खण्ड–37, अंक–03
शुक्रवार, 29 भाद्रपद, शक संवत्, 1935
(दिनांक 20 सितम्बर, 2013 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(तृतीय विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2013)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 37 में 03 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2014

मूल्य–

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	'क'
विपक्ष द्वारा सदन का कार्य दिवस बढ़ाये जाने की मांग	1–4
प्रश्नोत्तर	5–29
विपक्ष द्वारा अनुदानवार अनुपूरक बजट पारित न किये जाने की स्थिति को स्पष्ट किये जाने की मांग	29–40
विपक्ष द्वारा सदन का कार्य दिवस बढ़ाये जाने की मांग (क्रमागत)...	40–61
दैवीय आपदा के सम्बन्ध में आपदा प्रबन्धन मंत्री का वक्तव्य ...	61–63
कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत)	64–65
नियम–310 के अन्तर्गत प्राप्त आपदा की सूचना पर श्री अध्यक्ष का विनिश्चय	66–68
माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई के सम्बन्ध में सूचना	68–69
जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा जस्सोवाला की कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु शीतला नदी पर पूर्वी तटबन्ध बनाये जाने सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	69
जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा जस्सोवाली की कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु शीतला नदी पर पश्चिमी तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	69
जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा केदारवाला की कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु शीतला नदी पर पश्चिमी तटबन्ध बनाये जाने सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	70
जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा अम्बाड़ी की कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु यमुना नदी पर तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	70
जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा जमनीपुर के ग्राम मलूकावाला की कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु उद्मादी नदी पर उत्तरी तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	70
जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा ढकरानी की कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु यमुना नदी पर तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	71

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा बादामावाला के ग्राम जीतगढ़ की कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु उद्‌मादी नदी पर उत्तरी तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	71
जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा नवाबगढ़ की कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु यमुना नदी पर तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) ...	71
जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की नगर पंचायत हरबर्टपुर नेशनल हाई–वे नं0–72 पर देहरादून की ओर जमीनपुर खाले तक जल विकास एवं हाई–वे नं0–507 पर आसन नदी तक जल निकास हेतु नाले निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	72
जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा रूद्रपुर में पेयजल नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	72
जनपद देहरादून के तहसील, विकास नगर की नगर पंचायत हरबर्टपुर वार्ड नं0–3 में सीवरेज की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	72
जनपद देहरादून विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा बालूवाला की कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु शीतला नदी पर पश्चिमी तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	73
जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा फतेहपुर की कृषि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु आसन नदी पर उत्तरी तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	73
जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा जस्सोवाला की कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु आसन नदी पर उत्तरी तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	73
जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा बादामावला के ग्राम छोटूवाला में कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु उद्‌मादी नदी पर उत्तरी तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	74
जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा बैरागीवाला की कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु आसन नदी पर उत्तरी तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	74

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा भीमावाला की कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु यमुना नदी पर तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) ...	74
जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा मेदनीपुर–बद्रीपुर में कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु आसन नदी पर दक्षिणी तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	75
जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा जामनखाता की कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु शीतला नदी पर पश्चिमी तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	75
जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा बैरागीवाला की कृषि भूमि की बाढ़ से रोक–थाम हेतु उद्‌मादी नदी पर दक्षिणी तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	75
कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन' सदस्य, विधान सभा की विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	76–77
श्री राजेश शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	77
उत्तराखण्ड औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल की प्रबन्ध परिषद् के पदेन सदस्यों को नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष, वि०स० को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	78
उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2013 (पारित)	78–80
उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण)] (संशोधन) विधेयक, 2013 (पारित)	80–83
उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना (नियोजन, धनावंटन तथा उपयोग) विधेयक, 2013 (पारित)	83–94
उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2013 (पारित)	94–96

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2013 (पारित)	96–97
हेमवती नन्दन बहुगुणा सम्बद्धक चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 पर वापसी का प्रस्ताव (स्वीकृत)	97–98
हिमालयन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 (पारित) ...	98–99
राज्य सरकार द्वारा जनपद चमोली में गैरसैंण (चन्द्रनगर) में उत्तराखण्ड विधान सभा की ग्रीष्मकालीन सत्र प्रतिवर्ष किये जाने के निर्णय के दृष्टिगत वर्तमान अस्थाई राजधानी देहरादून को स्थाई राजधानी घोषित किये जाने सम्बन्धी असरकारी संकल्प पर चर्चा (जारी)	99–100
प्रदेश में घरेलू गैस की आपूर्ति में आ रही कठिनाई के कारण प्रदेश की जनता को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए एक पारदर्शी नीति बनाये सम्बन्धी असरकारी संकल्प पर चर्चा (जारी)	100
उत्तराखण्ड राज्य को ग्रीन बोनस दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–105 के अन्तर्गत प्रस्ताव (चर्चा जारी)	100
जनपद देहरादून के धर्मावाला नामक स्थान को उत्तर प्रदेश सहारनपुर के निकटतम स्थान तक सीधे रेल लाईन से जोड़ने के लिए एक नये रेल मार्ग की स्वीकृति सम्बन्धी नियम–105 के अन्तर्गत प्रस्ताव (चर्चा जारी)	100
उत्तराखण्ड राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत बैकलाग के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरम्भ करने हेतु तत्काल अधिनियम बनाये जाने सम्बन्धी नियम–105 के अन्तर्गत प्रस्ताव (चर्चा जारी) ...	101
नियम–54 के अन्तर्गत सूचना	101–102
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं	102
जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र रूद्रपुर के 42 विभिन्न सड़क सम्पर्क मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में श्री राज कुमार ठुकराल, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	103–104

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद अल्मोड़ा के सल्ट विधान सभा क्षेत्र में मछोड़ नामक स्थान पर सम्पूर्ण स्वीकृति के उपरान्त भी विद्युत सब पॉवर स्टेशन का निर्माण न होने के कारण व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	104
सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	104
राष्ट्रगान	105
नत्थियाँ	106–125

'क'

उपस्थिति

1—श्री अजय टम्टा
2—श्री अजय भट्ट
3—डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4—श्रीमती अमृता रावत
5—श्री अरविन्द पाण्डे
6—श्री आदेश चौहान
7—श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
8—श्री उमेश शर्मा (काऊ)
9—श्री विजय बहुगुणा
10—श्री गणेश गोदियाल
11—श्री चन्दन राम दास
12—श्री चन्द्र शेखर
13—डा0 जीत राम
14—श्री दलीप सिंह रावत
15—श्री दान सिंह भण्डारी
16—श्री दिनेश अग्रवाल
17—श्री दिनेश धनै
18—श्री नवप्रभात
19—श्री नारायण आर्य
20—श्री पुष्कर सिंह धामी
21—श्री पूरन सिंह फर्त्याल
22—श्री प्रदीप बत्रा
23—श्री प्रीतम सिंह पंवार
24—श्री प्रेमचन्द अग्रवाल
25—श्री प्रेम सिंह
26—श्री फुरकान अहमद
27—श्री बंशीघर भगत
28—श्री भीमलाल आर्य
29—श्री मदन कौशिक
30—श्री मदन सिंह बिष्ट
31—श्री मनोज तिवारी
32—श्री मयूख सिंह
33—श्री महावीर सिंह
34—श्री माल चन्द
35—श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
36—श्री यतीश्वरानन्द
37—श्री यशपाल आर्य
38—श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"
39—श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
40—श्री राजकुमार
41—श्री राज कुमार ठुकराल
42—श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
43—श्री राजेश शुक्ला
44—श्री ललित फर्स्वाण
45—श्री विक्रम सिंह नेगी
46—श्री विजयपाल सिंह सजवाण
47—श्रीमती विजय बड़थ्वाल
48—श्री बिशन सिंह चुफाल
49—श्रीमती शैला रानी रावत
50—डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
51—श्री संजय गुप्ता
52—श्री सरवत करीम अंसारी
53—श्रीमती सरिता आर्या
54—श्री सहदेव सिंह पुण्डीर
55—श्री सुबोध उनियाल
56—श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
57—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
58—श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
59—श्री सुरेन्द्र राकेश
60—श्री हरक सिंह रावत
61—श्री हरबन्स कपूर
62—श्री हरभजन सिंह चीमा
63—श्री हरिदास
64—श्री हरीश धामी
65—श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
66—श्री हेमेश खर्कवाल

शुक्रवार, दिनांक 20 सितम्बर, 2013 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा–मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

विपक्ष द्वारा सदन का कार्य दिवस बढ़ाये जाने की मांग

*नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, चर्चा जारी है, आपने चर्चा जारी रखी है। हमारे सदस्यों को बोलना भी है, उत्तर भाषण भी आना है, परन्तु मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मान्यवर, सरकार की मंशा पर हमको शंका हो रही है, इसलिए शंका हो रही है, पहले दिन यह बात हुई थी कि हाउस को हम आगे बढ़ाएंगे, 03 दिन आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर हाउस आगे नहीं बढ़ता है, सरकार कह देती है कि बिजनेस नहीं है। लॉ एण्ड आर्डर के सारे मामले रखे रह गये। इस प्रदेश में महामहिम राज्यपाल जी को भी लाईसेन्स लेना पड़ा है और रिपोर्ट गयी है कि उनको जान का खतरा है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)।

*मुख्यमंत्री (श्री विजय बहुगुणा)–

मान्यवर, उनके पास बहुत पुराना लाईसेन्स है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष के विषय पर व्यवस्था पर नहीं पूछा जाता है, पर एक प्रश्न है कि बिजनेस एडवाईजरी कमेटी के सदस्य माननीय नेता प्रतिपक्ष स्वयं होते हैं, जो कुछ बिजनेस एडवाईजरी कमेटी में तय हो रहा है, उनको विश्वास में लेकर तय हो रहा है तो शायद यह प्रश्न उठाना ठीक नहीं है। (व्यवधान) मान्यवर, हो क्या गया है। आपने कहा बहस हो, बहस हो रही है अरे ! हो क्या गया है माननीय निशंक जी, आपको तो पता है। (व्यवधान)

श्री हरबन्स कपूर–

मान्यवर, आपने आश्वासन दिया था कि सदन की कार्यवाही आगे बढ़ायी जायेगी। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आपकी पीठ से भी निर्देश आया है। (व्यवधान)

---

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, 172 करोड़ रूपया किसानों का बकाया है। अब वो मांग तो हम लोग कहीं न कहीं रखेंगे ही। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

*श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, इस पीठ के ऊपर कार्य–मंत्रणा समिति नहीं है। श्रीमन्, इस पीठ ने यह निर्देश दे दिया कि नियम–310 विशेष परिस्थितियों में लिया जायेगा, अपवाद नहीं माना जायेगा। जब तक 310 की चर्चा पूरी नहीं होती है तब तक कोई सरकारी काम नहीं होगा। (विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) और आपकी ही व्यवस्था है श्रीमन्, जब तक यह चर्चा आपदा पर, क्योंकि पक्ष और विपक्ष सब एक मत थे श्रीमन्, इस बात पर कि हां, पूरे देश और दुनिया के लिए और उत्तराखण्ड के लिए विशेष करके इस आपदा से बड़ी कोई चीज नहीं थी, इसलिए चर्चा होनी चाहिए श्रीमन्, और आपने कहा कि जितनी चर्चा होगी, उतना सदन आगे बढ़ाया जायेगा। इस सदन में जिनके प्रश्न लगे हैं श्रीमन्, ये अपने क्षेत्र में क्या जवाब देंगे। तब भी ये कहा था, हमने कहा था कि सदन चलना चाहिए और इस आश्वासन पर श्रीमन्, यह बात हुई थी कि जितनी भी चर्चा आपदा में होगी, उतना आगे सदन को बढ़ाया जायेगा। (व्यवधान) श्रीमन्, यह सदस्यों की मर्यादा का सवाल है, विधान सभा सदस्यों के अधिकारों का विषय है, यहां अधिकारों का हनन हो रहा है श्रीमन्। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह आपके ऊपर आक्षेप है, क्या आपने पीठ को निर्देशित करने का अधिकार भी दे दिया इन्हें?

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रस्ताव था 310 का, उसको जिस शर्त पर हमने स्वीकार किया, वो आपको मालूम है। उसके बाद कार्य–मंत्रणा समिति की बैठक होती है, उस बैठक में 03 दिन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया, जिसमें माननीय भट्ट जी उपस्थित थे और उसी के अनुसार सदन की कार्यवाही चल रही है। तो इसमें कहां पर कोई विवाद हो गया है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं कल की कार्य–मंत्रणा समिति की बैठक में नहीं था। (माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना जी के कुछ कहने पर) जीना जी, एक मिनट प्लीज, जब हम बोलते हैं तो आप लोग बोला न करें।

श्री अध्यक्ष–

पीठ से कोई निर्देश नहीं आया।

---

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, पीठ का निर्देश है तो बताईये, कहां है पीठ का निर्देश?

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हमारी सदाशयता देखिये, हमने जब आपकी अनुदान मांगे चल रही थी, पूरे सदन में कहा कि हम लोगों ने तय कर दिया है कि आपदा का मतलब है, (व्यवधान) हमने यह तय कर दिया था। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

चलिये, कार्यवाही चलने दीजिए।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, कार्यवाही चल जायेगी, कार्यवाही चलवाने के लिए ही तो इतना जोर चल रहा है। बात आ जाने दीजिए। तो हमारी सदाशयता देखिये कि हमने आपको ये भी कहा सरकार को कि हम आपकी जो अनुदान मांगे आ रही हैं, उन अनुदान मांगों पर कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपदा का वक्त है और आपदा के वक्त में सारे के सारे लोगों की एक जैसी मांग है। मान्यवर, वहाँ आई0टी0आई0 खुलने हैं, आपने और चीजें भी खोलनी है, हम भी उससे सहमत हैं, क्योंकि आप आपदा क्षेत्र में खोल रहे हैं, इसलिए हम मान रहे हैं। आप सप्लीमेन्ट्री कल ही ले आये, जब कि आप प्रोविजन देख लीजिए, क्योंकि उसे आज लाना चाहिए था, हम चुप रहे, हमने कहा सप्लीमेन्ट्री आ रही है चुप रहना चाहिए। हमने कहा माननीय अध्यक्ष जी भी जानते हैं कानून को और माननीय मंत्री, इन्दिरा हृदयेश जी भी कानून को जानती हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, कार्य–मंत्रणा समिति में सप्लीमेन्ट्री किस दिन होगा यह आपके सामने तय हुआ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने यह वादा किया कि हम इसको बिना विवाद के पास करा देंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हमने वादा किया कि हम इसे बिना विवाद के पास कर देंगे। उस दिन यह भी तय हुआ था कि हम सदन को आगे बढ़ायेंगे। यह कार्य–मंत्रणा समिति में हुआ है, आप उसकी प्रोसीडिंग निकाल लीजिए। उसमें यह भी तय हुआ कि हम सदन को आगे बढ़ायेंगे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सदन में यह बात हुई कि जो विधेयक लम्बित हैं, उन्हें पास कराया जाय। विधेयक जब प्राप्त हो गये हैं तो वह पास कराये जायेंगे। जिस दिन कार्य–मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी उस दिन विधेयक प्राप्त नहीं हुए थे। (व्यवधान)

श्री हरबन्स कपूर–

मान्यवर, मंत्री आवास में गोली चलती है, महामहिम राज्यपाल महोदय को रायफल का लाईसेन्स लेना पड़ता है। इस तरह के कई नये मुद्दे हमारे सामने हैं। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय इस प्रदेश में बन्दूक का लाईसेन्स ले रहे हैं, पुलिस वाले यह लिखते हैं कि इनको जान का खतरा है। यह कैन्ट का थानेदार लिखता है और राज्यपाल कहते हैं हां, मुझे खतरा है, तो प्रदेश कैसे चलेगा। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, कहीं खतरा नहीं लिखा है। लाईसेन्स लिया होगा, यह बात अलग है, पर खतरा नहीं है। उनके पुराने आमर्स लाइसेन्स है। (घोर व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।) (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठिये।

(नेता प्रतिपक्ष श्री अजय भट्ट को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'विल' में आकर अपनी–अपनी आत जोर–जोर से उठाने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, आप व्यवस्थित करिये, मैं व्यवस्था देता हूं। (घोर व्यवधान)

('वेल' में खड़े माननीय सदस्यगण एक साथ अपनी–अपनी बात कहते रहे और नारे लगाते रहे, जिससे सदन में घोर व्यवधान हुआ।) (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को 12:00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

ग्रामीण आबादी में उद्योगों द्वारा पेयजल दूषित किये जाने के कारण सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही

**1–कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र खानपुर में स्थापित टायर उद्योग मैसर्स बिरला टायर लि0 (केशु राम इन्डस्ट्रीज लि0 खेड़ी मुबारकपुर–हरिद्वार) द्वारा अपने उद्योग से निकास होने वाला दूषित जल सबमर्सीबल पम्प द्वारा भूजल में मिलाया जा रहा है जिससे भूजल दूषित होकर पेयजल भी पीला पड़ने लगा है एवं उक्त उद्योग का औद्योगिक तथा घरेलू उत्प्रवाह एक भूमिगत पाइप के माध्यम से हड़वाहा नाले में अन्तिम रूप से निरस्तारित किया जा रहा है, जिस कारण क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य को हानि पहुँच रही है ?

क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि उक्त उद्योग के आस–पास के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल भी पीला पड़ने लगा है और कृषि पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है जिससे क्षेत्रवासी परेशान और भयभीत हैं ?

क्या जनहित में क्षेत्रवसियों के स्वास्थ्य से किये जा रहे इस खिलवाड़ का सरकार अविलम्ब संज्ञान लेकर उद्योग के विरूद्ध पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रण के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ?

मुख्यमंत्री (विजय बहुगुणा)–

जी नहीं।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्याल रुड़की द्वारा दिनांक 16–09–2013 को मैसर्स बिरला टायर लि0 का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग के द्वारा सबमर्सीबल पम्प के माध्यम से उत्प्रवाह को भू–जल में नहीं डाला जा रहा है और न ही भूमिगत पाईप लाईन के माध्यम से उत्प्रवाह को हडवाहा नाले में निस्तारित किया जा रहा है। यद्यपि उद्योग द्वारा एक कूलिंग टावर के ब्लोडाऊन की वाईपास लाइन उद्योग में स्थित बरसाती नाले में पाई गयी, जो निरीक्षण के समय बन्द पाई गयी, जिसे पूर्णतः बन्द कर दिया गया है।

उक्त उद्योग परिसर के अन्दर और बाहर भू–गर्भीय जल, समीपरत बहने वाले हड़वाहा नाले तथा आस–पास के ग्रामीण क्षेत्र को आपूर्ति होने वाले जल के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला को प्रेषित किया गया है।

नोट :– उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–43 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

प्रयोगशाला से प्राप्त विश्लेषण अख्या यदि पर्यावरण (संरक्षण) नियम–1986 यथासंशोधित में निर्धारित पर्यावरणीय मानकों से अधिक पाया जाता है, तो जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों की नदियों में मत्स्य पालन द्वारा रोजगार

*1–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या मत्स्य पालन मंत्री बताने का कष्ट करेंग कि प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्रों में छोटी–छोटी नदियों में मत्स्य पालन द्वारा रोजगार के साधन उपलब्ध कराये जाने की क्या सम्भावनायें हैं ?

सरकार द्वारा इस दिशा में किये जा रहे प्रयासों का विवरण क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुपालन एवं शहरी विकास मंत्री (श्री प्रीतम सिंह पंवार)–

पर्वतीय क्षेत्रों की छोटी–छोटी नदियों में मत्स्य पालन तथा रोजगार की निम्नलिखित सम्भावनाएँ हैं :–

(1) पर्वतीय क्षेत्रों में छोटी–छोटी नदियों के चयनोपरान्त नदियों के उपयुक्त पूल्स को विकसित कर एंग्लिंग आदि के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे देखी एवं विदेश पर्यटक आयेंगे तथा स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार का साधन सुलभ होगा।

(2) नदियों में समीपवर्ती गाँवों में समितियों अथवा स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उक्त जलक्षेत्र को मात्स्यिकी कार्यों हेतु उपलब्ध कराया जा सकता है, जिससे कि उनके आय तथा रोजगार के साधनों में वृद्धि होगी।

(3) छोटी–छोटी नदियों के निकट किसान अपनी भूमि के नहर से पानी लेकर भारत सरकार एवं राज्य सरकार योजनाओं से तालाब निर्माण कर मछली पालन कर सकते हैं।

(I) नदियों में मत्स्य विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दिये जाने के दृष्टिकोण से मत्स्य नियमावली की संरचना प्रगति में है।

(II) मत्स्य पालन के प्रोत्साहन हेतु शीतलजल मात्स्यिकी का विकास, अनुसूचित जाति उपयोजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना संचालित की जा रही है।

*2–श्री बंशीधर भगत–

चतुर्थ सोमवार के तारां0–11 मे स्थाना0।

*3–श्री राजकुमार

चतुर्थ सोमवार के तारां0–12 में स्थाना0।

ऋषिकेश में पार्किंग व्यवस्था हेतु योजना

*4–श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत तीर्थनगरी ऋषिकेश में पार्किंग व्यवस्था न होने के कारण पर्यटकों एवं तीर्थ यात्रियों के साथ–साथ क्षेत्रीय जनता को भी काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार ऋषिकेश में पार्किंग व्यवस्था हेतु कोई योजना बना रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

नगर पालिका परिषद् ऋषिकेश सीमान्तर्गत चारधाम टूरिस्ट बस ट्रांजिट कम्पाउण्ड का निर्माण कार्य पयर्टन विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत पार्किंग स्थल का निर्माण भी किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

*5–श्री गणेश जोशी–

स्थगित।

देहरादून महानगर में सीवर लाइन बिछाने की कार्ययोजना की समयसीमा

*6–श्री हरबन्स कपूर–

क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा देहरादून महानगर में सीवर लाईन बिछाने का कार्य चल रहा है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस योजना का कार्य कब शुरू हुआ था और कब खत्म होना है और तथा योजना पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

क्या योजनानुसार कार्य चल रहा है और कब तक कार्य पूर्ण हो जायेगा ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी हाँ।

योजना का कार्य अगस्त, 2010 में प्रारम्भ हुआ था और दिसम्बर, 2014 में खत्म होना अनुमानित है। योजना पर ₹ 55.50 करोड़ की लागत आयेगी।

योजना निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण नहीं हो पायी है। वर्तमान में योजना दिसम्बर, 2014 तक पूर्ण होना अनुमानित है।

पर्वतीय क्षेत्र के जिलों में वर्ष 2012–13 में कुल खोली गयी डेरियां की संख्या

*7–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या दुग्ध उत्पादन मंत्री बताने काष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र के गाँवों में डेरी उत्पादन कितना व किन–किन गाँवों में किया जाता है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड के पर्वतीय जिलों में 2012–13 में कितनी डेरियां सरकारी सहयोग से खोली गई है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम, सेवायोजन, दुग्ध विकास एवं लघु उद्योग मंत्री (श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल)–

ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन की गणना डेरी विकास विभाग द्वारा नहीं की जाती है। विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कुल उत्पादित दूध में से दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से दुग्ध उपार्जन किया जाता है।

उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र के गाँवों में दूग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से औसत 54 हजार लीटर प्रतिदिन दूध उपार्जित किया जा रहा है।

उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र के गाँवों, जिनमें डेरी विकास विभाग द्वारा दुग्ध उपार्जन किया जा रहा है, उनका जनपदवार विवरण संलग्न है। †

डेरी विकास विभाग द्वारा सरकारी सहयोग से डेरियां नहीं खोली जाती हैं परन्तु सरकारी सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारी समितियां गठित की जाती हैं। विभाग द्वारा उत्तराखण्ड के पर्वतीय जिलों में वर्ष 2012–13 में 85 दुग्ध सहकारी समितियां सरकारी सहयोग से गठित की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† (देखिए संलग्नक नत्थी 'क' पृष्ठ संख्या–106–107 पर)

प्रदेश में बाल श्रमिकों के नियोजकों की विरूद्ध कार्यवाही

*8—श्री सरवत करीम अंसारी—

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में 18 वर्ष से कम आयु के कितने युवा/युवती धर्मशाला, होटल, भट्टों पर कार्य कर रहे हैं ?

क्या श्रम विभाग द्वारा ऐसे संस्थानों पर प्रदेश बनने से अब तक कोई कार्यवाही की गयी है ?

यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ?

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल—

14 वर्ष से अधिक आयु के युवा/युवती के धर्मशाला, होटल तथा भट्टों पर कार्य करने पर श्रम कानूनों में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इसलिए 14 वर्ष से अधिक के युवा/युवजियों का विवरण श्रम विभाग में नहीं रखा जाता है। होटल/ढ़ाबों में 14 वर्ष या उससे कम आयु के 74 बाल श्रमिक नियोजित पाये गये। धर्मशाला एवं ईंट भट्टों में 14 वर्ष से कम आयु के बाल श्रमिकों के नियोजन की सूचना शून्य है।

जी हाँ। 35 नियोजकों के विरूद्ध न्यायालयों में अभियोजन की कार्यवाही की गयी है।

तत्सम्बन्धी विवरण संलग्न है। †

तारांकित प्रश्न

देहरादून में वि0ख0 विकासनगर के ग्राम पृथ्वीपुर में पशुचिकित्सालय भवन निर्माण की प्रगति

1—श्री नवप्रभात—

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर के ग्राम पृथ्वीपुर में पशु चिकित्सालय भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया है?

यदि हाँ, तो इस विषय में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार—

जी हाँ।

जिलाधिकारी, देहरादून के आदेश संख्या—743/12ए—39/2011—14 दिनांक 08 फरवरी, 2013 के द्वारा ग्राम पृथ्वीपुर परगना पछवादून, जिला देहरादून में पशुचिकित्सालय निर्माण हेतु कुल रकबा 0.0800 है0 भूमि पशुपालन विभाग के नाम हस्तान्तरित की जा चुकी है।

---

† (देखिए संलग्नक नत्थी 'ख' पृष्ठ संख्या—108—112 पर)

देहरादून के हरबर्टपुर में पशु चिकित्सालय भवन निर्माण की स्वीकृति

2–श्री नवप्रभात–

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के हरबर्टपुर में पशु चिकित्तसालय भवन के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है ?

यदि हाँ, तो भवन निर्माण में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी हाँ।

पशुचिकित्सालय हरबर्टपुर में आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु सिंचाई विभाग नियंत्रणाधीन ग्राम ढकरानी (हरिपुर) स्थित भूमि में से 50मी0 X 40मी0 (0.2000 हेक्टेयर, खसरा नं0–2317 ख) भूमि विभाग को उपलब्ध हो चुकी है। पशुचिकित्सालय के निर्माण हेतु वर्तमान में ₹ 22.75 लाख कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया गया है जिसके सापेक्ष बाउन्ड्रीवाल एवं टाईप–1 के एक भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

प्रदेश के नगर निकायों में ए0डी0बी0 से वित्तीय सहायता प्राप्त योजनाओं की स्वीकृति तथा विवरण

3–श्री नवप्रभात–

क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2007 से 2012 के बीच प्रदेश में किन–किन नगर निकायों से एशियन डेवलपमेन्ट बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त योजनायें स्वीकृत हुई तथा इन योजनाओं का पूर्ण विवरण क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस अवधि में कौन–कौन सी योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत ए0डी0बी0 से वर्ष 2009 से 2012 के बीच स्वीकृत वित्तीय सहायता प्राप्त योजनायें तथा नगर निकायों का विवरण निम्नवत् है :–

नगर निकाय का नाम	पैकेज	योजना का विवरण	लागत (₹ करोड़ में)
1	2	3	4
नगर निगम देहरादून	डब्ल्यू एसएस 01 डी	देहरादून के कोर एरिया में जल आपूर्ति वितरण	39.15
	डब्ल्यू एसएस 02 डी	देहरादून के बांदल से दिलाराम बाजार तक वाटर सप्लाई लाईन बिछाना	11.35

1	2	3	4
नगर निगम देहरादून	डब्ल्यू एसएस 03 डी	देहरादून के 52 पम्पिंग प्लांटों का परिवर्तन/पुनर्रूद्धार	4.81
	डब्ल्यू एसएस 04 डी	देहरादून के पम्प हाउसों की वाटर सप्लाई हेतु साईलेंट मोबाईल जनरेटरों की आपूर्ति का कार्य	2.58
	डब्ल्यू एसएस 01 डी	देहरादून के कारगी जोन में 68 एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण	57.42
	डब्ल्यू एसएस 02 डी	देहरादून के कोर जोन में मेन तथा ब्रान्च सीवर लाईनें बिछाया जाना	39.22
	डब्ल्यू एसएस 03 डी	देहरादून के कोर जोन में मेन तथा ब्रान्च सीवर लाईनें बिछाया जाना	16.28
नगर निगम हरिद्वार	डब्ल्यू एसएस 01 एच	हरिद्वार में 33 पम्पिंग प्लांटों का परिवर्तन/पुनर्रूद्धार का कार्य	3.23
नगर पालिका परिषद् नैनीताल	डब्ल्यू एसएस 01 एन	नैनीताल के 12 पम्पिंग प्लांटों का परिवर्तन/पुनर्रूद्धार तथा नये टयूबवैलों का निर्माण कार्य।	11.70
	डब्ल्यू एसएस 02 एन	नैनीताल के ऑल सेन्ट जोन तथा ठण्डी सड़क क्षेत्र में वाटर सप्लाई तथा राईजिंग मेन (जीएलएसआर) के निर्माण कार्य।	4.33
	डब्ल्यू एसएस 03 एन	नैनीताल के पुराने जल स्रोतों का नवीनीकरण तथा स्टील टैंकों का निर्माण कार्य।	17.63
	डब्ल्यू एसएस 04 एन	नैनीताल में आर0सी0सी0 के 250 से 900 किलो लीटर क्षमता के 11 (सीडब्ल्यूआर) तथा 08 स्प्रिंगवॉटर कलेक्टिंग चैम्बर का निर्माण कार्य।	5.27

देहरादून के पम्प हाउसों की वॉटर सप्लाई हेतु 15 साईलैंट मोबाईल जनरेटरों की आपूर्ति का कार्य (पैकेज सं0 डब्ल्यूएसएस 04 डी) पूर्ण कर लिया गया है।

पशुपालन को प्रमुख व्यवसाय बनाये जाने हेतु सरकार द्वारा किया जा रहा प्रयास

4—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना—

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में पशुपालन को प्रमुख व्यवसाय बनाये जाने हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार—

उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पशुपालन को प्रमुख व्यवसाय बनाये जाने हेतु सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किया जा रहा है एवं वर्तमान में निम्नलिखित योजनायें चलाई जा रही हैं :—

1. एस0सी0पी0 / टी0एस0पी0 योजनान्तर्गत लाभार्थीपरक कुक्कुट पालन योजनाः— इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों का चयन कर 50—50 इनपुट टेक्नोलोजी (कम लागत तकनीक) के एक दिवसीय चूजों को लाभार्थियों को वितरित किया जाता है। योजनान्तर्गत लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा स्तर पर किया जाता है। उक्त यूनिटों की स्थापना 100 प्रतिशत अनुदानित है।
2. बकरी पालन योजना (राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत संचालित) :— इस योजनान्तर्गत बकरी पालन यूनिट की स्थापना हेतु 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। (बड़ी यूनिट 10 बकरी + 1 बकरा, छोटी यूनिट 5 बकरी + 1 बकरा)
3. चारा एवं चारागाह विकास योजना (केन्द्रपोषित योजना) :— इस योजनान्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में चारे की कमी को दूर करने हेतु वन पंचायतों की भूमि पर चारागाह का विकास किया जाता है।
4. भेड़ एवं भेड़पालक बीमा योजना :— इस योजनान्तर्गत भेड़पालन को प्रोत्साहित करने हेतु भेड़ एवं भेड़पालक का बीमा किया जाता है।
5. पशुधन बीमा योजना (75 प्रतिशत केन्द्रपोषित) :— इस योजनान्तर्गत पशुपालक के दो दुधारू पशुओं का बीमा कराया जाता है, जिससे असमय पशुओं की मृत्यु होने पर पशुपालक को आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके।
6. चारा बैंकों की स्थापना :— इस योजनान्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में चारे की कमी को देखते हुए चारा बैंकों के माध्यम से कॉम्पैक्ट फीड ब्लाक एवं चाटन भेली का वितरण किया जा रहा है, जिससे पशुपालक दुग्ध व्यवसाय की ओर आकर्षित हो तथा पशुओं को सुपाच्य चारा उपलब्ध हो सके। इस उद्देश्य से 95 विकास खण्डों में तथा 06 न्याय पंचायत स्तर पर चारा बैंकों की स्थापना की गई है।

7. पशु रोग नियन्त्रण हेतु राज्यों को सहायता अन्तर्गत टीकाकरण कार्यक्रम :– इस योजनान्तर्गत पशुओं की उत्पादन क्षमता निरन्तर बनाय रखने हेतु पशुओं का टीकाकरण किया जाता है।

8. नस्ल सुधार कार्यक्रम :– इस योजनान्तर्गत कृत्रिम गर्भाधान, प्राकृतिक गर्भाधान एवं भ्रूणप्रत्यारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

उक्त योजनाओं के अतिरिक्त पूर्व से विभागीय कार्यों को गति प्रदान करने के उद्‌देश्य से पूर्व स्वीकृत निम्न योजनायें भी संचालित की जा रही हैं, जिससे पशुपालन व्यवस्था को गति प्रदान हो :–

(1) कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना।

(2) भेड़ों को परजीवी कीटाणुओं से बचाव हेतु सामूहिक दवापान।

(3) पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना।

(4) पशु चिकित्सालयों में शल्य चिकित्सा आदि की सुविधा।

(5) पशु कल्याण बोर्ड, भेड़ बोर्ड एवं गौ सेवा आयोग की स्थापना।

(6) कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न बछियों को पुरस्कृत करने की योजना।

(7) निःशुल्क बकरा सांड वितरण की योजना।

(8) पशु प्रदर्शनी का आयोजन।

(9) प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी योजना।

(10) पशुओं को अन्तः परजीवी से बचाव की योजना।

(11) पशुलोक प्रक्षेत्र पर डेरी यूनिट की स्थापना।

उक्त योजनाओं के सफल संचालन एवं पशुपालक को योजनाओं में आने वाली कठिनाईयों को दूर हेतु विभाग के 308 पशुचिकित्सालय, 744 पशु सेवा केन्द्रों एवं 776 प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं के माध्यम से उक्त योजना कार्यों के साथ–साथ निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैं, जिसे पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि हो तथा पशुपालन व्यवसाय की ओर कृषकों को रूझान बढ़ सके :–

- पशुचिकित्सा, बधियाकरण, टीकाकरण, दवापान एवं दवास्नान।
- पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत कृत्रिम गर्भाधान एवं प्राकृतिक गर्भाधान।

प्रश्न नहीं उठता।

उद्योग विभाग में वर्ष 2007 के बाद से अब तक ठेकेदारी के आधार पर रखे गये श्रमिक कर्मचारियों का जिलेवार विवरण

5–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग में ठेकेदारी के आधार पर श्रमिकों व कर्मचारियों को रखा जाता है ?

यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2007 के बाद से अब तक कितने श्रमिकों कर्मचारियों को किन–किन स्थानों पर किस कम्पनी या ठेकेदार के द्वारा लगाया गया ?

क्या मंत्री जी उनका जिलेवार पूर्ण विवरण देंगे ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

जी हाँ।

विवरण संलग्न है। †

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

होमगार्ड में ठेकेदारी के आधार पर वर्ष 2007 के बाद से अब तक रखे गये श्रमिकों का जिलेवार पूर्ण विवरण

6–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या होमगार्ड्स मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि आपके अधीन विभाग में ठेकेदारी के आधार पर श्रमिकों व कर्मचारियों को रखा जाता है ?

यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2007 के बाद से अब तक कितने श्रमिकों कर्मचारियों को किन–किन स्थानों पर किस कम्पनी या ठेकेदार के द्वारा लगाया गया ?

क्या मंत्री जी उक्त का जिलेवार पूर्ण विवरण देंगे ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† (देखिए संलग्नक नत्थी 'ग' पृष्ठ संख्या–113–114 पर)

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

यदि कार्मिकों की आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें सेवाप्रदाता संस्था के माध्यम से कार्य हेतु रखा जाता है।

नगर निकायों को वर्ष 2007 से 2012 तक अवमुक्त धनराशि का विवरण

7–श्री नवप्रभात–

क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2007 से 2012 के बीच प्रतिवर्ष कितनी धनराशि नगर निकायों को अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये प्रदान की गई ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस धनराशि से विकसित की गई अवस्थापना सुविधाओं का विवरण क्या है ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी हाँ। (विवरण संलग्न) †

विवरण संलग्न। †

जनदपद देहरादून के अन्तर्गत विकासनगर नगर पालिका में निर्बल आवास योजना की स्थिति

8–श्री नवप्रभात–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत विकासनगर नगर पालिका में निर्बल वर्ग आवास योजना निर्माणाधीन है ?

यदि हाँ, तो यह योजना किस वर्ष में स्वीकृत की गयी तथा वर्षवार धन अवमुयोचन की क्या स्थिति है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस योजना के अन्तर्गत कितने मकान निर्मित किये जाने थे व दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 तक कितने मकानों को लाभार्थियों को उपलब्ध करा दिया गया है तथा कितने मकानों का निर्माण शेष है ?

---

† (देखिए संलग्नक नत्थी 'घ' पृष्ठ संख्या–115–120 पर)

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

9–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

द्वितीय बुध के अतां–26 में स्थाना0।

जनपद देहरादून में सहस्रधारा रोड स्थित कूड़े के स्थान को अन्यत्र हटाने पर विचार

10–श्री महावीर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून में सहस्रधारा रोड़ स्थित कूड़ा घर हटाने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी हाँ।

नवीन चयनित स्थल शीशमबाड़ा पछवादून तहसील विकास नगर में प्रस्तावित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने एवं भू–भरण करने हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त होने तथा संयंत्र का निर्माण होने के उपरान्त विचार किया जाना सम्भव हो पायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

रूद्रपुर नगर निगम में निकटवर्ती कालोनियों एवं ग्रामों को नगर निगम में शामिल किये जाने पर विचार

11–श्री राज कुमार ठुकराल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रूद्रपुर नगर निगम के विस्तार के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर द्वारा दिनांक 20–12–2012 को उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित पत्र संख्या–2002/2/23–स्था0नि0/12 के अनुसार नगरपालिका परिषद्, रूद्रपुर से नगर निगम का विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव देहरादून भेजा गया था, परन्तु वर्तमान में सरकार ने ग्रामीणों के हितों के विपरीत छोटी सी नगरपालिका को नगर निगम का दर्जा दे दिया है ?

यदि हाँ, तो निकटवर्ती कालोनियों व ग्रामों को नगर निगम में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी हाँ।

प्राप्त प्रस्ताव पर विधिवत् कार्यवाही गतिमान है।

शहरी विकास विभाग में वर्ष 2007 के बाद से अब तक ठेकेदार अथवा कम्पनी द्वारा लगाये गये श्रमिकों का विवरण

12–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग के ठेकेदारी के आधार पर श्रमिकों व कर्मचारियों को रखा जाता है ?

यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2007 के बाद से अब तक कितने श्रमिकों कर्मचारियों को किन–किन स्थानों पर किस कम्पनी या ठेकेदार के द्वारा लगाया गया ?

क्या सरकार उनका जिलेवार पूर्ण विवरण देंगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी हाँ।

विवरण संलग्न है। †

जी हाँ।

जिन स्थानों में ठेकेदारी के आधार पर श्रमिकों व कर्मचारियों को रखा गया है, उनका विवरण संलग्न है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

हरिद्वार कुम्भ मेला 2010 में स्थाई सम्पत्तियों के सृजन हेतु स्वीकृत धनराशि एवं उपयोग

13–श्री नवप्रभात–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गत हरिद्वार कुम्भ के आयोजन पर कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी तथा इन धनराशि में कितनी धनराशि स्थाई सम्पत्तियों के सृजन के लिये स्वीकृत की गई ?

---

† (देखिए संलग्नक नत्थी 'ड' पृष्ठ संख्या–121–122 पर)

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कुम्भ के आयोजन से पूर्व कितनी धनराशि की येाजनाओं का सृजन पूर्ण कर उसका उपयोग कुम्भ मेले के समय किया जाना सुनिश्चित किया गया है ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

हरिद्वार कुम्भ मेला 2010 की व्यवस्थाओं हेतु कुल ₹ 59446.96 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी तथा इस धनराशि में से ₹ 40887.56 लाख की धनराशि स्थाई सम्पत्तियों के सृजन हेतु स्वीकृत की गयी।

कुम्भ मेला प्रारम्भ होने से पूर्व ₹ 25065.29 लाख के कार्य पूर्ण कर उनका उपयोग कुम्भ मेला के समय किया गया।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

14–श्री नवप्रभात–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जवाहरलाल नेहरू नेशनल अरबन रिनीवल मिशन (जे0एन0एन0यू0आर0एम0) के अन्तर्गत प्रदेश में कितने शहर सम्मलित हैं ?

क्या इस योजना के अन्तर्गत शहरों कसे सिटी डेवलपमेन्ट प्लान (सी0डी0पी0) विरचित किये गये थे ?

यदि हाँ, तो शहरवार कितनी कितनी लागत की योजनायें सी0डी0पी0 में प्रस्तावित की गई थी ?

क्या इन सी0डी0पी0 को अनुमोदन प्राप्त हुआ ?

यदि हाँ, तो इस प्राप्त अनुमोदन के सापेक्ष कितनी कितनी लागत की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अग्रसारित की गई ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि डी0पी0आर0 के सापेक्ष कितनी कितनी धनराशि की योजनायें स्वीकृत हुई तथा उनका पूर्ण विवरण क्या है तथा इस स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कितनी धनराशि वास्तव में व्यय की जा चुकी है ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार

इस योजना के अन्तर्गत 03 मिशन शहरों सहित कुल 21 शहर सम्मिलित हैं।

मिशन शहरों हेतु सिटी डेवलपमेन्ट प्लान (सी0डी0पी0) विरचित किये गये।

शहरी	प्रस्तावित योजनाओं की लागत
1. देहरादून	₹ 3885.44 करोड़
2. हरिद्वार	₹ 3780.60 करोड़
3. नैनीताल	₹ 46.71 करोड़

जी हाँ

804.00 करोड़ की डी0पी0आर0 स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित की गयी।

विवरण संलग्न। †

ऊधमसिंह नगर के रूद्रपुर वि0स0 के जिला मुख्यालय में पार्क निर्माण हेतु कार्यवाही

15—श्री राज कुमार ठुकराल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के रूद्रपुर विधान सभा के जिला मुख्यालय में आम नागरिकों के घूमने फिरने व बच्चों के खेलने कूदने के लिए एक आधुनिक पार्क का नितान्त अभाव है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार पार्क निर्माण हेतु कोई कार्यवाही कर रही है तथा इसकी कोई रूप रेखा तैयार की गई हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार—

जी हाँ।

पार्क हेतु भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

मसूरी वि0स0 क्षेत्र के अन्तर्गत गढ़ीकैंट में सीवर लाइन बिछाये जाने की योजना

16—श्री गणेश जोशी—

क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि मसूरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गढ़ीकैंट क्षेत्र में सीवर लाइन नहीं है ? क्या यह सत्य है कि कैंट बोर्ड द्वारा एक प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया है जिसमें उन्होंने अंशराशि भी देने का उल्लेख किया है ?

क्या मंत्री जी भी बतायेंगे कि उक्त योजना का सर्वे हो गया है ?

यदि हाँ, तो क्यों सरकार सीवर लाइन बनाने के लिए उक्त योजना पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

† (देखिये संलग्नक नत्थी 'च' पृष्ठ संख्या 123—125 पर)

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी हाँ।

कैंन्ट बोर्ड के अनुरोध पर पेयजल निगम द्वारा सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

कैंन्ट बोर्ड के अनुरोध एवं भारत सरकार की सहमति के आधार पर आगामी योजनाओं में सम्मलित करने पर विचार किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

मसूरी में गाँधी चौक/पिक्चर पैलेस बस अड्डा या लण्ढौर में मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाये जाने पर विचार

17–श्री गणेश जोशी–

क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत मसूरी में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पार्किंग की काफी समस्या है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार मसूरी गाँधी चौक/पिक्चर पैलेस बस अड्डा या लण्ढौर में मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाय जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी हाँ।

लण्ढौर क्षेत्र में एम0डी0डी0ए0 द्वारा बहुमंजिली पार्किंग का निर्माण किया जा चुका है। नगर पालिका द्वारा गाँधी चौक से लगी शिफन कोट की भूमि पर 900 वाहनों की दो पार्किंग के निर्माण की कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त पिक्चर पैलेस स्थित मैसानिक लॉज बस स्टेण्ड पर भी नगर पालिका द्वारा अतिरिक्त पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

मसूरी में बहुउद्देशीय भवन/टाउन हॉल बनाये जाने की कार्यवाही

18–श्री गणेश जोशी–

क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनारों के आयोजन के लिए बहुउद्देशीय भवन/टाउन हॉल न होने के कारण मसूरी में बड़े आयोजनों के लिए स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनपद देहरादून के अन्तर्गत मसूरी में बहुउद्देशीय भवन/टाउन हॉल बनाये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार के लक्सर में सब्जी मण्डी से शुगर मिल तक के नाले को पक्का निर्माण किये जाने की योजना

19–श्री संजय गुप्ता–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि लक्सर नगर, जनपद हरिद्वार में सब्जी मण्डी से शुगर मिल तक नाले को पक्का बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक निर्माण कराया जायेगा ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र रानीपुर के अन्तर्गत शिवालिक नगर विस्थापित टिहरी कालोनी आदि विभिन्न कालोनियों के नागरिकों द्वारा लम्बे समय से सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए अलग निकाय (नगर पालिका) के गठन की माँग

20–श्री आदेश चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के रानीपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत शिवालिक नगर, विस्थापित टिहरी कालोनी, सुभाषनगर, जिला मुख्यालय

(रोशनाबाद) विस्थापित टिहरी कालोनी (रोशनाबाद) व रावली महदूद के सन्त कृपाल नगर, देवनगर, रामधाम कालोनी, दर्शननगर, फ्रैंन्डस कालोनी, इन्द्रलोक के नागरिक लम्बे समय से इस सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए अलग निकाय (नगर पालिका) के गठन की माँग कर रहे है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उपरोक्त क्षेत्र की अलग नगर पालिका गठित करने पर विचार कर रही है ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी हाँ।

जी हाँ। प्रकरण विचाराधीन है।

सम्बन्धित विभागों की सहमति प्राप्त की जा रही है। यथासमय निर्णय लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

हरिद्वार नगर निगम के सीमावर्ती गाँवों तथा कालोनियों को नगर निगम हरिद्वार में सम्मिलित किये जाने की माँग

21–श्री आदेश चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि हरिद्वार नगर निगम के सीमावर्ती गाँव जगजीतपुर, सीतापुर, नया गाँव (देवीपुर), हरिलोक कालोनी, पुल जरवाड़ा, रानीपुर, बी0एच0ई0एल0 की पुनर्वास कालोनी विष्णुलोक, गुरूकल विश्वविद्यालय की जनता लम्बे समय से इन क्षेत्रों को नगर निगम हरिद्वार में शामिल किये जाने की माँग कर रही है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों को नगर निगम, हरिद्वार में शामिल करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी हाँ।

प्राप्त प्रस्ताव पर विधिवत् कार्यवाही गतिमान है।

सम्बन्धित विभागों की सहमति प्राप्त की जा रही है। यथासमय निर्णय लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

22—श्री भीमलाल आर्य—

द्वितीय बुधवार के अता0—37 में स्थाना0।

प्रदेश के नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के विकास हेतु बजट की व्यवस्था

23—श्रीमती विजय बड्थ्वाल—

क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में नगर पंचायतें एवं छोटी नगर पालिकाओं में वित्तीय संसाधनों की कमी है ? क्या ऐसी नगर पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के अन्दर के विकास कार्यों के लिए सरकार प्रति वर्ष पर्याप्त बजट की व्यवस्था करेगी ?

यदि हाँ, तो कितना ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार—

राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में नगर निकायों को राज्य के राजस्व का निर्धारित अंश समानुदेशित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

देहरादून महानगर में पथ प्रकाश को विभिन्न क्षेत्रों में बांट कर क्षेत्र के केन्द्र बिन्दु में मास्टर स्विच की व्यवस्था

24—श्री हरबन्स कपूर—

क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून महानगर क्षेत्र की पथ प्रकाश व्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रों में बांट कर क्षेत्र के केन्द्र बिन्दु पर मास्टर स्विच की व्यवस्था करेंगे ? जिससे समय पर पथ प्रकाश चालू किया जा सके और समय पर बन्द किया जा सके ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार—

जी हाँ।

इस हेतु उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड को नगर निगम, देहरादून द्वारा भुगतान कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत नई पाईप लाइन डालने से रोड कटिंग को ठीक करने की कार्यवाही

25—श्री आदेश चौहान—

क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत नई पेयजल पाईप लाइन डालने का काम जिन गलियों, सड़कों में लगभग एक वर्ष पूर्व हो चुका है वहाँ की रोड कटिंग को अभी तक ठीक नहीं किया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इन रोड कटिंग को ठीक कराने का कार्य शीघ्र करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार—

जी हाँ। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत नई पेयजल पाईप लाइन डालने हेतु पेयजल निगम द्वारा जिन—जिन गलियां, सड़कों की कटिंग की गयी है, उनमें से अधिकांश की मरम्मत करायी जा चुकी है।

अवशेष कार्य को शीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

किच्छा नगर पालिका द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सरकार द्वारा अवस्थापना अथवा राज्य योजना से स्वीकृत धनराशि

26—श्री राजेश शुक्ला—

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2012—13 में किच्छा नगर पालिका द्वारा पम्प प्रशासक, सीवर लाइन एवं सड़कों तथा पार्कों के निर्माण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा अवस्थापना अथवा राज्य योजना से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है ?

यदि हाँ, तो कब और कितनी ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बजट की सीमित उपलब्धता के कारण।

उत्तराखण्ड मेला समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा कच्चे माल पर आधारित खड़िया एवं लीसा उद्योग स्थापना की घोषणा

27—श्री ललित फर्स्वाण—

क्या लघु उद्योग मंत्री अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री दिनांक 13—01—2013 को उत्तरायणी मेला बागेश्वर के उद्घाटन समारोह के अवसर पर बागेश्वर में कच्चे माल पर आधारित खड़िया और लीसा उद्योग की स्थापना की घोषणा की गई है ?

यदि हाँ, तो घोषणा पर शासनादेश कब तक जारी होगा ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल—

मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग—4 उत्तराखण्ड शासन से प्राप्त सूचनानुसार मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 13—01—2013 को इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग में वर्ष 2007 के बाद से अब तक ठेकेदार एवं कम्पनी द्वारा लगाये श्रमिकों की संख्या

28—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना—

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग में ठेकेदारी के आधार पर श्रमिकों व कर्मचारियों को रखा जाता है ?

यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2007 के बाद से अब तक कितने श्रमिकों कर्मचारियों को किन—किन स्थानों पर किस कम्पनी या ठेकेदार के द्वारा लगाया गया है ? क्या श्रम मंत्री जी उनका जिलेवार पूर्ण विवरण देंगे ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल—

जी हाँ। श्रम एवं सेवायोजन विभाग में उपनल, प्रादेशिक रक्षा दल (पी0आर0डी0) एवं हिल्ट्रॉन के माध्यम से संविदा पर कार्मिक रखे गये हैं।

वित्तीय वर्ष 2007 के बाद अब तक उपनल के माध्यम से 138, पी0आर0डी0 के माध्यम से 01 तथा हिल्ट्रॉन के माध्यम से 24 कार्मिक संविदा पर रखे गये हैं, जिनके जिलेवार विवरण निम्नवत् है :–

क्र0सं0	जिले का नाम	कार्मिकों की संख्या
1.	नैनीताल	28
2.	ऊधमसिंह नगर	31
3.	अल्मोड़ा	11
4.	पिथौरागढ़	11
5.	बागेश्वर	05
6.	चम्पावत	06
7.	पौड़ी	16
8.	टिहरी	05
9.	चमोली	04
10.	रूद्रप्रयाग	08
11.	उत्तरकाशी	06
12.	देहरादून	12
13.	हरिद्वार	20
	योग	163

विवरण उपरोक्तानुसार दिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पालिका पिथौरागढ़ में राज मिस्त्री के पद पर कार्यरत व्यक्ति को ड्राफ्ट्समैन के पद पर दी गयी पदोन्नति

29–श्री मयूख सिंह–

क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि न0पा0 पिथौरागढ़ में क्या राज मिस्त्री के पद पर कार्यरत व्यक्ति को ड्राफ्ट्समैन के पद पर प्रोन्नत कर दिया गया है?

यदि हाँ, तो विधिवत कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी ?

यदि नहीं, तो किस नियम अथवा अधिकार के तहत यह नियुक्ति की गयी है?

क्या उक्त व्यक्ति को नियुक्ति से पूर्व से ही इस पद का वेतन दिया जा रहा था?

यदि हाँ, तो कब से ?

क्या विभाग इसे नियम विरूद्ध की गयी कार्यवाही पर नियुक्ति अधिकारी पर दण्डात्मक कार्यवाही करेगा

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी नहीं।

नगरपालिका परिषद् द्वारा ड्राफ्ट्समैन के पद पर कोई प्रोन्नति नहीं की गई है। अपितु नगरपालिका परिषद् पिथौरागढ़ के आदेश संख्या 1117/एन0पी0/का0आ0/2012–13 दिनांक 16–02–2013 द्वारा श्री नन्दाबल्लभ पाण्डेय को मानचित्रकार के पद पर नियमित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

अवगत कराना है कि नगरपालिका के अन्तर्गत ड्राफ्ट्समैन के पद पर नियुक्ति का अधिकार सम्बन्धित निकाय के अध्यक्ष को प्राप्त है।

नगरपालिका परिषद् पिथौरागढ़ के सम्बन्ध में मानचित्रकार के पद पर नियम विरूद्ध नियमितीकरण की शिकायत शासन को प्राप्त हुई है जिसके क्रम में शासन के पत्र संख्या–846/IV(1)/152(सा0)/2005 दिनांक 02 सितम्बर, 2013 द्वारा जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को जाँच कर जाँच आख्या शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिलाधिकारी की जाँच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

सम्बन्धित कार्मिक को नियमितीकरण के पूर्व से ही नगरपालिका द्वारा मानचित्रकार के पद पर वेतन दिया जा रहा था।

दिनांक 03 नवम्बर, 1998 से।

जिलाधिकारी की जाँच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त अग्रेत्तर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के स्थानीय निकायों में मिस्त्री पद से मानचित्रकार पद पर पदोन्नति का विवरण

30–श्री ललित फर्स्वाण–

क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के स्थानीय निकायों में मिस्त्री पद से मानचित्रकार पद पर पदोन्नति दी जा सकती है ?

यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में शासनादेश का विवरण क्या है ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागेश्वर के नवसृजित नगर पंचायत कपकोट में अधिशासी अधिकारी, टैक्स कलैक्टर के पद पर नियुक्ति

31–श्री ललित फर्स्वाण–

क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के नवसृजित नगर पंचायत कपकोट में अधिशासी अधिकारी, टैक्स कलैक्टर के पद रिक्त हैं ?

यदि हाँ, तो उक्त पदों पर कब तक नियुक्ति की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी हाँ।

अधिशासी अधिकारी के पद हेतु लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन की संस्तुतियाँ शासन को प्राप्त हुई हैं। शीघ्र ही अधिशासी अधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति कर दी जायेगी। टैक्स कलैक्टर का पद पालिका अकेन्द्रीयित सेवा का पद है जिस पर सम्बन्धित निकाय के अध्यक्ष द्वारा ही नियमानुसार नियुक्ति की जानी है। निदेशक, शहरी विकास निदेशालय के आदेश दिनांक 05–7–2013 द्वारा नगर पंचायत कपकोट में अधिशासी अधिकारी के पद का कार्यभार नगरपालिका परिषद्, बागेश्वर के अधिशासी अधिकारी को दिया गया है तथा टैक्स कलैक्टर के पद पर नियमित तैनाती होने तक आऊटसोर्सिंग के माध्यम से तैनाती किये जाने के आदेश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

सुरक्षाधिकारी, विधान सभा–

मानदीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 12:15 बजे तक के लिए बढ़ा दिया।

(सदन की कार्यवाही अपराहन 12 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

विपक्ष द्वारा अनुदानवार अनुपूरक बजट पारित न किये जाने की स्थिति को स्पष्ट किये जाने की मांग

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, चर्चा प्रारम्भ हो, उससे पहले मैं आपके सामने एक बात बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि सरकारी बिजनेस तो सब हो गया है, लेकिन हमारे प्रश्न कल तक बिल्कुल नहीं आये और हमने यहां तक भी सदाशयता दिखायी, क्योंकि अनुपूरक अनुदान पूरे प्रदेश की तनख्वाह से लेकर सारे वित्तीय मामलों से सम्बन्धित होता है, यह देखते हुए मान्यवर, तकनीकी दृष्टि से यह बहुत गलत हो गया है कि जो माननीय वित्त मंत्री जी ने कल आप से मदवार अनुदान मांगे लेनी चाहिए थी, ऐसा न करने से वित्त विभाग तो इसे लौटा देगा। मान्यवर, आप कार्यवाही को देख लें जिलोटिन में चर्चा होनी चाहिए थी और मदवार मांगे आनी चाहिए थी। मान्यवर, कोई भी संविधान विशेषज्ञ इसको सही नहीं बतायेगा। मान्यवर, कार्यवाही मांग कर देख लें, यदि यह तकनीकी दृष्टि से सही निकल जायेगा तो आप कहेंगे कि अजय भट्ट जी सदस्यता छोड़ दो तो मैं सदस्यता छोड़ दूंगा। मान्यवर, मदवार सदन में एक–एक चीजें आनी चाहिए थी, पहली मद से लेकर अंतिम मद तक आनी चाहिए थी। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैंने मदवार बोला, तो आपने कहा कि पढ़ा हुआ मान लिया जाय। आप कार्यवाही को देख लें। आपने सदाशयता दिखायी, एक–एक शब्द कार्यवाही का हिस्सा हैं। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, परम्पराएं टूट रही हैं। अभी बजट ही पास नहीं हुआ है। (घोर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, एक–एक शब्द कार्यवाही का हिस्सा है, आपको बहाना ढूंढना है तो ढूंढिए। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। आप अपनी गलती स्वीकार कर लीजिए। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, कार्यवाही निकाल ली जाय और कार्यवाही में देख लिया जाय। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अब आप बहाना ढूंढ रहे हैं। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हम कोई बहाना नहीं ढूंढ रहे हैं। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) हम तो यहां पर तीन दिन से कह रहे हैं, सदन को तीन दिन तक के लिए और बढ़ा दीजिए। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप अपनी ही बोली हुई बात से मुकर रहे हैं। सब कार्यवाही का हिस्सा है। हम मदवार बोले तो आपने कहा पढ़ा हुआ माना जाय। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हमने जो भी कहा, लेकिन हम तीन दिन से कह रहे हैं, सत्र बढ़ा दीजिए, आप यह क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) मान्यवर, तकनीकी दृष्टि से यदि हम कोई चीज कह रहे हैं और इसको जिसने कानूनी अमली–जामा पहनाना हो, यदि मैं कुछ बोलूंगा तो क्या कानून उसे मान लेगा। मान्यवर, मदवार जिलोटिन, जब तक आप मदवार पास नहीं करेंगे, तब तक वित्त विभाग से वह वापस आ जायेगा। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप कार्यवाही का हिस्सा देख लीजिए, मैं कार्यवाही पढ़ कर आयी हूँ। आप कार्यवाही देख लीजिए। बजट तो आपने पास किया है। यह सदन में कार्यवाही का हिस्सा है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जब तक बजट मदवार पास नहीं होगा, तब तक पास नहीं माना जायेगा। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यदि हमारी हर बात मानी जाती है तो हम गोली कांड की जांच की मांग कर रहे हैं, तो गोली कांड की जांच की बात भी हमारी मान लीजिए। हमारी हर बात मानते हैं तो तीन दिन हाउस बढ़ा दीजिए और गोलीकांड की जांच करा दीजिए। यदि हमारी सभी बातें मान लेते हैं तो यह बात भी मान लीजिए। जहां पर राज्यपाल महोदय रिवाल्वर ले रहे हैं, बंदूक ले रहे हैं। महामहिम यहां पर असुरक्षित हैं। मान्यवर, यह बजट तकनीकी दृष्टि से फिट है ही नहीं। चाहे आप कार्यवाही का अंश मंगा लीजिए, यह तकनीकी दृष्टि से फिट है ही नहीं। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, स्पीकर साहब ने कार्यवाही देख ली है। क्या आप चेयर को आपेक्ष करेंगे? (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मेरा सदन के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि प्रतिपक्ष के आग्रह पर नियम–310 की सूचना पर चर्चा हो रही है और चर्चा अभी पूर्ण नहीं हुई है। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि चर्चा से पहले पूर्ण होने दें और इसके बाद जब अगला कार्यक्रम आयेगा, तब आप लोग अपनी बात उठायें तो अच्छा रहेगा। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, चर्चा के बीच में बिजनेस कैसे आ गया है? (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह तो बिजनेस एडवाईजरी कमेटी में सब कुछ तय हुआ है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन आपके संरक्षण में कार्य–संचालन नियमावली से संचालित होता है। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से बहुत विनम्रतापूर्वक चाहूंगा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसका अवलोकन कर लें। श्रीमन्, हम आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपने 310 को स्वीकार किया। अभी भी आपने कहा कि इस पर चर्चा जारी है। पूरा सदन आपका आभारी है। श्रीमन्, 310 में लिखा है, "नियमों का निलम्बन–(1) कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित कर दिया जाय" श्रीमन्, जैसा कि अभी आपने सारे

सदन को आदेश दिया कि अभी चर्चा जारी है। मुख्य विषय यह आया है कि जब 310 में चर्चा अभी खत्म हुई ही नहीं, जब 310 में उत्तर माननीय नेता सदन का आया ही नहीं है, तो गवर्नमेंट यह धींगामुश्ती क्यों कर रही है? बीच में बिजनेस की बात कहां से आ गयी? ये बिजनेस, जिसकी अभी चर्चा हो रही है, यह तो हो ही नहीं सकता, जब तक 310 का उत्तर नहीं आ जाता।

*खेल एवं युवा कल्याण मंत्री (श्री दिनेश अग्रवाल)–

माननीय अध्यक्ष जी की आज्ञा से सब कुछ हो सकता है।

(सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर–व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप अध्यक्ष जी को चुनौती मत दीजिए। अध्यक्ष जी को दी गयी चुनौती हम स्वीकार नहीं करेंगे। आप अध्यक्ष जी के ऊपर आपेक्ष लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, अध्यक्ष जी के सान्निध्य में हम आपको चुनौती दे रहे हैं। (व्यवधान) आप सदन की अवमानना कर रही हैं। यह विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप विशेषधिकार हनन ले आईए। (व्यवधान)

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, संसदीय कार्य मंत्री जी बहुत पुरानी है। मैं बहुत विनम्रता से अनुरोध करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय 'निशंक' जी, नियमावली के आधार पर आपकी बात सही मानी जा सकती है, लेकिन जो कार्य सदन में आया, वह सबकी सहमति से आया। चर्चा जारी रखते हुए, बीच में जो बिजनेस था, उसको लिया गया, उसमें सभी लोग सहमत रहे, तब लिया गया। जो प्रश्न अभी आप उठा रहे हैं, इसे आप पहले उठा देते तो यह बात न होती। (घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक निवेदन यह करना चाह रहा हूँ, सदन के संज्ञान में मैं यह लाना चाहता हूँ कि कार्य संचालन नियमावली के नियम–313 में लिखा है, "अध्यक्ष

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के विनिश्चय पर आपत्ति नहीं की जायेगी" हम इस बात से सहमत हैं। हम आपकी बात पर कोई आपत्ति नहीं कर रहे हैं, जो बात आपने कह दी, वह हमें मान्य है। (व्यवधान) मेरा यह आपसे अनुरोध है, क्या जो नियम है, जो संवैधानिक बाध्यता है, मैं कह भी देता हूँ कि फलाने को पकड़ लो, मैं कह देता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, फलाने के खिलाफ एफ0आई0आर0 कर दीजिए, ये मेरी ओर देख रहा है, मुझे घूर रहा है, इसे पकड़ लीजिए, माननीय अध्यक्ष जी, आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। एफ0आई0आर0 होनी जरूरी होगी मेरी तरफ से, यह नियम है, बाध्यता है। उसी तरह से बिना जिलोटिन के चर्चा के, अगर मैं कह भी दूँ, सदाशयता दिखाई हमने कहा पास कर दो, तो क्या सरकार को इतना आईडिया नहीं है कि वित्त विभाग इसको सारा वापिस कर देगा और कहेगा मदवार नहीं है। आप कार्यवाही मंगवा लीजिए, हर चीज को मदवार होना चाहिए, उसको लीगल बनाईये। एक-एक चीज को आपको मदवार लेना पड़ेगा। मान्यवर, हम इस पर बोलेंगे नहीं, आप मदवार तो लाईये, हम पांच मिनट में इसे पास कर देंगे।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

घोर व्यवधान के मध्य

मान्यवर, हमारा सहयोग कहां पर नहीं मिला है और 310 में तो कोई कार्यवाही भी नहीं होती है, हमारे क्वेशचन रह गये और सरकार बीच में अपना बिजनेस ले आई। कार्य मंत्रणा समिति में तो यह तय हो गया था कि सदन तीन दिन आगे बढ़ाया जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

कृपया, शान्त रहें।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"—

श्रीमन्, आपने तो हमेशा से ही सदस्यों के अधिकारों का संरक्षण किया है और कई बार आपने नियमों के ऊपर जाकर भी निर्णय लिये हैं। हमने भी हमेशा इस पीठ का सम्मान किया है और आज भी आपके जो निर्देश होंगे, उन्ही का हम पालन करेंगे। श्रीमन्, इस सदन में कई नये सदस्य हैं, उनके सैकड़ों प्रश्न हैं, वह जब अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ की समस्याओं का प्रश्न के रूप में यहाँ पर लगाते हैं और जब उसका उत्तर आता है तो उनको सुकून मिलता है। हमने यह तय किया था कि सदन व्यवस्थित चलना चाहिये, हर सदस्य की बात सदन के अभिलेखों में दर्ज होनी चाहिये। श्रीमन्, हम आपकी उदारता और सदाशयता का बहुत सम्मान करते हैं, आपने बहुत उदारतापूर्वक कहा भी कि दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं। श्रीमन्, इस सदन का हर सदस्य महत्वपूर्ण है, चाहे वह पक्ष का हो या विपक्ष का हो और वह अपने क्षेत्र की जनता के प्रति जिम्मेदार है। इसलिये दोनो चीजें महत्वपूर्ण थी, सदस्यों की भावनाओं का सम्मान और आपदा,

जिस पर पूरे देश और दुनिया की नजर थी, उस पर चर्चा। श्रीमन्, वैधानिक दृष्टि से क्या इस समय इन सदस्यों के अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, वह प्रश्न जो दो या तीन दिन बाद आने चाहिये थे, मान्यवर, आपदा पर जब चर्चा हो रही थी तो और कोई विषय आना ही नहीं चाहिये था। इससे इस सदन के प्रत्येक सदस्य के विशेषधिकार का हनन हुआ है, इसे रोकने के लिये इस सदन को दो दिन और चलाया जाना चाहिये। मैंने तो कार्यवाही का एक-एक शब्द पढ़ लिया है, मेरी समझ में यह नहीं आया कि सरकार को आखिर सदन चलाने में क्या परेशानी है। हमारी दीदी इन्दिरा ह्रदयेश जी, उत्तर प्रदेश में भी विधायक रही हैं, तो उनसे भी मेरा अनुरोध है कि इन नये सदस्यों को भी कुछ सीखने का मौका दीजिये। यदि सोमवार और मंगलवार को हाउस चल जाता है तो क्या परेशानी है, इसमें सारे सदस्यों की भावनायें सदन के सामने आ जायेंगी। इसलिये आपसे अनुरोध है, एक तो यह वैधानिक दृष्टि से खराब हो गया और इससे भविष्य के लिये परम्परायें भी खराब हो जायेंगी।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, इसी भरोसे पर कि सदन तीन दिन आगे बढ़ाया जायेगा, हमने पूरा सहयोग किया था। हमने कहा था कि हम कहीं भी आब्जेक्शन नहीं करेंगे। जो जोलिटिन की बात है, वह इल्लीगल हो गया है, जिलोटिन आया ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

यह सदन जो हमारी कार्य-संचालन नियमावली है, उसी के अनुसार चलता है। कार्य-संचालन नियमावली के 296 बिन्दु पर विनिश्चय दिया गया है और जहां तक बजट पास करने की बात आप कह रहे हैं, उसमें मतदान भी हुआ है और मतदान के बाद बजट को पास भी किया गया है और मदवार भी हुआ है। जब उसमें मदे पूरी एक-एक करके पढ़ी गयी, सारे बिन्दु आये। मद संख्या-1, मद संख्या-2, मद संख्या-3, इस तरह मद संख्या-28 तक आ गये। उसके बाद यह कहना उचित नहीं है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, पहली बार पढ़े, इन्होंने कहा कि पढ़ा हुआ मान लिया जाय।(घोर व्यवधान)

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है। मैं तो यहां आ ही नहीं रहा हूं श्रीमन्, ये तो बाद का विषय है, मुझे तो इस पर चर्चा करनी ही नहीं है श्रीमन्, कि इन्होंने पढ़ा या नहीं पढ़ा। मुझे मालूम है कि कुछ नहीं पढ़ा इन्होंने, लेकिन मैं तो वहां आ ही नहीं रहा हूँ श्रीमन्। मैं तो इस बात पर आ रहा हूं श्रीमन्, जो इन्होंने पढ़ने की कोशिश की, ये

तो पढ़ ही नहीं सकते थे उसको। 310 का उत्तर जब तक नेता सदन द्वारा नहीं आ जाता है श्रीमन्, तब तक ये तो आ ही नहीं सकता था। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, ये पीठ के आदेश पर आक्षेप लगा रहे हैं। ये कौन होते है पीठ पर आक्षेप करने वाले। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, कम से कम इस सरकार के मंत्रियों को इतना तो निर्देश दीजिए श्रीमन्, कि जब कोई बोलता है तो बौखलाते नहीं हैं। श्रीमन्, सदन दादागिरी से नहीं चलेगा, ये सदन दादागिरी से नहीं चलेगा, सदन कार्य–संचालन नियमावली से चलता है, आपके निर्देशों पर चलता है। इसलिए यह जो कार्य संचालन नियमावली है श्रीमन्, यदि इसमें कोई संशोधन हो गया है तो मुझे कुछ नहीं कहना है और इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है तो जब तक नियम–310 में मतदान होता है और मतदान यदि सर्वसम्मति से नहीं भी होने की बात है तो जब तक नेता सदन का उत्तर नहीं आ जाता श्रीमन्, यह परम्परा है, वैसे आपका अधिकार है। यदि आपको इसमें संशोधन करना है तो सारा सदन यहां पर है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सदन ने सर्वसम्मति से कोई विनिश्चय दिया तो फिर उसमें कहां यह बाध्यता है कि ये चीज नहीं हो सकती है। कार्य–स्थगन के बीच में सारे सदन की सहमति के बाद जो सरकारी बिजनेस था, उसको लेने की सहमति बनी और उसी के आधार पर बजट लिया गया। अब इसमें बीच में कहां पर आप रोड़ा अटका रहे हैं। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, यदि संसदीय कार्य मंत्री यह प्रस्ताव लायी हैं सदन में, कि 310 में चर्चा चलने के बाद भी यह सदन सहमत है कि उसी के बीच एक मत तरीके से इनके बिजनेस के काम को करा दिया जाय। श्रीमन्, मैं बैठ जाऊँगा। (घोर व्यवधान) श्रीमन्, यह सदन प्रस्ताव से चलता है, आप प्रस्ताव दिखाएं। (घोर व्यवधान) मैं कहना चाहता हूँ श्रीमन्, यदि संसदीय कार्य मंत्री जी इस सदन में सर्वसम्मति का कोई प्रस्ताव लायी हैं तो सब सहमत हैं श्रीमन्। उसे पढ़े। मान्यवर, वह प्रस्ताव पढ़ा जाय और हम सहमत हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी कि माननीय 'निशंक' जी, जो मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी रहे हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी भी

काफी लम्बे समय से रहे हैं और संसदीय कार्य के ज्ञाता हैं और यहां पर बहुत सारे पुराने लोग बैठे हैं। मान्यवर, सदन में एक एजेण्डा आया, एजेण्डे के हिसाब से वह कार्यवाही के साथ–साथ चलता रहा और यह बार–बार कहा गया, आप अपने मन पर हाथ रखिये और कार्यवाही का हिस्सा भी देखिये, उसमें है कि सर्वसम्मति से पास माना जाये। ऐसा विवाद क्यों उठा रहे हैं, जिसको आपने पास कर दिया। आप यह तो बताईये कि सर्वसम्मति से पास माना जाय, यह कहा गया।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, आप फिर आगे की बात कर रहे है। मैंने तो विनम्रता से संसदीय कार्य मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध किया। ठीक है सारा सदन एक साथ था तो वह प्रस्ताव ले आयें कि "यह सदन सहमत है कि 310 की चर्चा के बाद भी, 310 की चर्चा चलती रहेगी और यह सदन एक मत से सब प्रस्ताव को पास करता है।" यह प्रस्ताव दिखाईये। यदि यह प्रस्ताव नहीं है तो यह कार्य संचालन नियमावली की हत्या है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहती हूँ, जिस दिशा में यह बहस हो रही है, वह किस नियम के अन्तर्गत हो रही है? आपके निर्देश पर सब हुआ और इसी सदन में सर्वसम्मति से पारित हुआ। मान्यवर, आपका संरक्षण चाहिए, यह जो बहस हो रही है इसका कोई औचित्य नहीं है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि अगर कोई गलती सदन में हो गई हो।

श्री उपाध्यक्ष–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, क्या उपाध्यक्ष बोल सकते हैं ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, नियम बता सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

मान्यवर, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली के नियम–176(2) के उपनियम (1) में स्पष्ट है–"के अधीन रहते हुए अनुदान की मांग ऐसे क्रम में उपस्थित की जायेगी जैसा कि सदन नेता विरोधी दल के नेता से परामर्श करके निश्चित करें।" (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, दो–दो अध्यक्ष होंगे तो पीठ कौन सी होगी? (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह सर्वोच्च सदन है, आप जिस पीठ पर है। यह ग्राम सभा नहीं है, जो जैसा चाहे वैसा चला ले। पत्नी की जगह पति चला जाये। आप यहाँ पर पीठ पर हैं, कोई नियम दें तो उसका भी कोई तरीका होगा। हम यहाँ पर बैठे हैं तो कोई बहस थोड़ी करेंगे। यह कोई तरीका नहीं है। एक बात बजट में आई है।

(कई माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर बैठे–बैठे अपनी बात कहते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, हम सरकार से सीधे पूछना चाहते हैं और हम यह भी मान लेते हैं कि आपने कहा कि बजट आया और पास भी हो गया और वह नियमों में नहीं हो सकता था तथा कार्यवाही में नहीं लिया जा सकता, जब तक कोई मद नहीं आती है। मान्यवर, जब तक नियम–310 पर पूरी चर्चा नहीं हो जाती है और आपका पीठ से निर्देश नहीं आ जाता है, तब तक बिजनेस भी नहीं लिया जा सकता है। इसमें हमसे गलती हो गयी और आपसे नहीं हुई, जो कि हम आपकी बातों में आ गये। (कई माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर बैठे–बैठे अपनी बात कहते रहे, जिससे सदन में घोर व्यवधान हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग शान्त रहें। माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, आप उनकी बात को सुन लें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, सदन में तो ऐसा हास–परिहास हो गया है। माना, आप इस पर संशोधन करने के लिए तैयार नहीं हैं। आपने कोई चीज कह दी और आपकी बात को हमने मान लिया, आपने उसमें व्यवस्था भी दे दी। आखिर हमने जो कहा और वह एक विश्वास की बात है। (व्यवधान) और विश्वास पर यह सदन चलता है। हमने सरकार को विश्वास दिलाया और सरकार ने भी हमको विश्वास दिलाया कि हम सदन को तीन दिन आगे बढ़ायेंगे। अपने सारे माननीय सदस्यों को एवं प्रदेश के सदन को भी पता था कि चर्चा

भी चलेगी और तीन दिन आगे भी बढ़ेगी। क्या इतने बड़े सदन में, इतना विश्वास आने के बाद भी यह विश्वासघात नहीं है? हम यह पूछना चाहते हैं कि क्या सरकार सदन को बढ़ायेगी या नहीं बढ़ायेगी ? सरकार इस सदन में बताये। हम इसके बारे में यहीं पर तय कर लेते हैं। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य हेमेश खर्कवाल जी, क्या वे इस सरकार के मुख्यमंत्री हो गये हैं? जो बार–बार हर बात पर उठकर बोलते रहते हैं। यहाँ पर माननीय नेता सदन बैठे हुए हैं। (व्यवधान) (भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण 'वेल' की ओर आने लगे।) (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग बैठ जायें। माननीय खर्कवाल जी, आप भी बैठ जायें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हम जब यहाँ पर कोई बात को कह रहे हैं और मैं नेता प्रतिपक्ष के नाते संसदीय परम्पराओं में बोल रहा हूं तो और माननीय सदस्यगणों को बैठना पड़ता है। जैसा कि यहाँ पर हमारे माननीया श्रीमती इन्दिरा हृदयेश जी, संसदीय कार्य मंत्री एवं वित्त मंत्री बोल रही हैं तो मैं बैठ जाता हूँ, कुछ परम्पराएं तो सीखे। इससे सदन में परम्परायें टूटती हैं। (व्यवधान के मध्य)

श्री हेमेश खर्कवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर एक गम्भीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है उस पर चर्चा करें। (व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, हमको यहां पर बैठकर कोई फायदा नही है और हम लोग चाहते हैं। (व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

कृपया माननीय हेमेश खर्कवाल जी, आप बैठ जायं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, पहले एक ज्यूडीशियल इन्क्वारी हुई थी तो मुझे यह बात यहां पर जरूर लानी होगी। उस समय एक सदस्य ने कहा कि इसको वापस ले लें जो कि पुलिस का मामला था और वह मामला पूरा हो गया। उस समय हम लोग चुप हो गये। जबकि उसमें माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का प्रस्ताव आना चाहिए था। उस दिन भी एक विधायक का प्रस्ताव आया। मान्यवर, आज इस सदन में बतायें कि सरकार का कौन

संसदीय कार्य मंत्री है और कौन मुख्यमंत्री है? क्या हर आदमी मुख्यमंत्री है? क्या सत्ता पक्ष का हर एक आदमी हमारी बातों का उत्तर देगा? जब हम बात करते हैं तो वह हर बात पर टोकते रहते हैं। आखिर यहां पर माननीय नेता सदन बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप अपनी बात को कहें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह भटकाने की बात नहीं है। मैं कह रहा था कि पहले भी इस सदन में इस प्रकार की गलत परम्परायें हुई है।

*कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री (श्री हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, जब मैं नेता प्रतिपक्ष था तो उस समय माननीय सदन कौशिक जी हर बात पर रोज खड़े हो जाते थे। इस बात को सभी सदस्य जानते हैं। यह परम्परा तो आपने ही शुरू की है। आप लोग अपना पिछला इतिहास देखें। (व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, अगर मैं कोई बात को कह रहा हूँ तो उस बात को माननीय नेता सदन या संसदीय कार्य मंत्री जी बतायें। हम इतना प्रस्ताव रख रहे हैं और जो मेरा प्रस्ताव है। "मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन जनहित में तीन दिन और चलना चाहिए, जो माननीय सदस्य इससे सहमत है वह 'हां' कहें और जो सदस्य इससे असहमत हैं वह 'न' कहें।" (कई माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहते रहे, जिससे सदन में घोर व्यवधान हुआ।) (व्यवधान के मध्य)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह पीठ की अवमानना है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं पीठ का सम्मान कर रहा हूँ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को 2:00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

सुरक्षा अधिकारी, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, ने सदन का स्थगन 2:30 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

सुरक्षा अधिकारी, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 03:00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

(सदन की कार्यवाही 3 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, आसन ग्रहण करें।

विपक्ष द्वारा सदन का कार्य दिवस बढ़ाये जाने की मांग (क्रमागत)

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, हम अपनी बात पर फिर से बल दे रहे हैं कि हाउस कम से कम तीन दिन और बढ़ना चाहिये। कार्य–मंत्रणा समिति में क्या हुआ, यह आपने भी देख लिया होगा और सरकार ने भी देख लिया होगा, उसमें हमने साफ मांग की है कि या सात या दस दिन चलना चाहिये। मांग नहीं भी करते तो एक विश्वास हमारा आपस में था, विश्वास पर यह बात हो गई थी कि तीन दिन हाउस को और बढ़ायेंगे। सरकार ने अपना बिजनेस तो पूरा कर लिया, लेकिन जो हमसे वादा था, हमने कहा था कि हमारे विधान मण्डल दल के जितने भी सदस्य हैं, सभी के प्रश्नों का उत्तर आना चाहिये। इसीलिये हमने कहा था कि हमारी ओर से कुछ भी नहीं होगा, आपने भी इतनी सदाशयता दिखाई है, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता सदन से भी कहना चाहता हूं कि कम से कम सोमवार एवं मंगलवार को दो दिन और आप हाउस बढ़ा लीजिये। क्योंकि इस पर आज सारी बातें हो गई हैं, हम चाहते हैं कि नेता सदन का उत्तर भी आये और उसके बाद आपका कोई विनिश्चय भी आये। मैं तो चाहता हूँ कि नेता सदन का उत्तर आये फिर मैं उस पर प्रत्युत्तर दूँ और आपका विनिश्चय भी आये। लेकिन दो दिन का हाउस आप बढ़ा दें, यह मेरा विनम्र निवेदन है। अगर आप हाउस बढ़ाते हैं तो एक तो विश्वास कायम रहेगा, वरना फिर कभी इस तरह की बात आई तो फिर विश्वास कायम नहीं हो पायेगा, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि हाउस को तीन दिन आगे बढ़ाया जाय। मैं चाहता हूँ कि पूरा प्रदेश नेता सदन का उत्तर भी सुने और उसके बाद आपका विनिश्चय भी आये और आपका विनिश्चय ऐतिहासिक होगा, मुझे विश्वास है। यदि आप सोम और मंगल को हाउस बढ़ा देते हैं तो हमारा कोई एतराज नहीं होगा। हाउस को चलाने के लिये पक्ष और विपक्ष की जो म्यूचअलअंडरस्टेंडिंग थी, यह हम दोनों की जिम्मेदारी होती है और आपके मार्गदर्शन में हम चलते हैं, इससे हमारा विश्वास भी कायम रहेगा, इस पर मैं आपका विनिश्चय चाहता हूँ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष पूरी तरह से जानकार हैं। मान्यवर, आपने नियम–310 की सूचना को इस दृष्टि से स्वीकार किया कि आपदा जैसे विषय पर सभी सदस्यों को बोलने का अवसर मिले। वहाँ पर यह बात थी कि सरकारी बिजनेस क्या है और तब तक विधेयक नहीं आये थे। इस बीच कुछ नामिनल विधेयक आये, जिसमें कुछ विधेयकों में नाम परिवर्तन होना है या छोटा संशोधन होना है, सरकारी बिजनेस आज के एजेण्डे में पूरा है। नेता प्रतिपक्ष यह भी जानते हैं कि सरकार की ओर से जो बिजनेस लाया जाता है, उसका ही प्रस्ताव आता है और बाकी पर चर्चा भी होती है। सोमवार या मंगलवार को हाउस बढ़ाने की जो बात है, उससे भी ज्यादा बढ़ जाता, लेकिन इसका आधार क्या होगा? आधार तो कोई है नहीं, और सरकार द्वारा इसको स्वीकार किये जाने में भी कठिनाई है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, बिजनेस लाना तो सरकार का काम है, आप और विधेयक ला सकते हैं। जो आज बिजनेस है, उसे ही आप पार्टवाइज ला सकते हैं, चार विधेयक सोमवार को ले लीजिये, चार मंगलवार को ले लीजिये।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने नियम–310 इसलिये उठाया क्योंकि यह अति महत्वपूर्ण था और है तथा अध्यक्ष जी ने उसके महत्व को देखकर उसे स्वीकार भी किया, इतनी तो सदाशयता बरतनी ही चाहिये कि सरकार का भी उत्तर सुन लिया जाय। उसके बाद आप अपना प्रत्युत्तर दे दें और माननीय अध्यक्ष जी का विनिश्चय भी आ जाय। पहले जो विषय सदन के सम्मुख उपस्थित हुआ है, वह तो समाप्त हो जाय, आप उसके बाद भी इस बात को रख सकते हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आप ठीक कह रही हैं, हम आपकी बात पर कोई एतराज नहीं कर रहे हैं, पर सरकार की मंशा तो साफ हो गई कि सरकार ने कह दिया कि उसके पास बिजनेस नहीं है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपदा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर लगातार दो दिन चर्चा हुई और आपके ही द्वारा लाई गई 310 की सूचना पर ज्यों ही हम निष्कर्ष पर पहुँच रहे थे, उस पर आप ही विवाद उत्पन्न कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। पहले

आप उसका निष्कर्ष निकलने देते, फिर कोई और बात कहते तो अच्छा होता। मेरा अनुरोध है कि आपदा के विषय पर सरकार का उत्तर आने दीजिये। उस पर चर्चा को पूर्ण होने दीजिये, उस सूचना का पटाक्षेप होने दीजिये। मैं आपसे पुनः विनती करता हूँ, अनुरोध करता हूं कि उस 310 की जो आपकी सूचना है, उस सूचना का पटाक्षेप होने दीजिए, उसका उत्तर आने दीजिए, उसमें जो चर्चा पूर्ण होनी है, उसे पूर्ण होने दीजिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, निर्णय तो स्पीकर लेंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ आपसे, कि पीठ से अगर सीधे हमारे ऊपर आपेक्ष लगेगा कि आप विवाद खड़ा कर रहे तो फिर तो हमारा यहाँ बैठना व्यर्थ है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आक्षेप नहीं लगाया। (घोर व्यवधान) मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ मैं इतना निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप ही के द्वारा लायी गयी 310 की सूचना जिसमें पूरे सदन के माननीय सदस्यों ने 02 दिन गम्भीरता से चर्चा की, अब जब अंतिम क्षणों में सरकार की तरफ से उत्तर आना है। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हम इसीलिए तो कह रहें है कि हम अनुपूरक पर कुछ नहीं बोले, जो आप बीच में दूसरा बजट लाये, उस पर हम कुछ नहीं बोले। हमने पहले वादा कर दिया था, इसको तो वादाखिलाफी मानना चाहिए मान्यवर, अगर हम पर आरोप लगा रहे है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मेरा आपसे यह अनुरोध है कि पहले इस चर्चा को समाप्त होने दीजिए।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आज सरकारी दिवस है, वैसे भी असरकारी दिवस है आज। इसको सारे लोग जो पुराने सदस्य है, जानते हैं, आप भी जानते हैं, उत्तर प्रदेश से यहाँ तक देख रहे हैं। आज तो असरकारी दिवस है।

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हम जानते हैं तभी तो कह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आप स्वयं विपक्ष में थे, तब ये सदन ही नहीं चलने देते थे। आपने कितने दिन सदन चलाया।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, नेता सदन को हम पहले की कह चुके हैं कि हम सुनने को आतुर है। आपका निर्देश क्या आता है, उसको सुनने को प्रदेश भी आतुर है।

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आपदा पर अपनी बात सारे सदस्यों ने कह दी। सरकार ने क्या–क्या आपदा में किया, सरकार का पक्ष आ रहा है, ये सुनना ही नहीं चाहते हैं उसको ये नहीं जानना चाहते कि सरकार ने क्या–क्या किया।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, सरकार अपना पक्ष कहने के बाद हाउस बंद करने के मूड में है, क्योंकि सरकार ने साफ कह दिया है कि हमारे पास बिजनेस नहीं है। जब सरकार के पास काम–काज नहीं है तो काम–काज कौन पैदा करेगा? उस विश्वास को ठेस लगेगी, जिस विश्वास पर 03 दिन तक इतनी अच्छी चर्चा हुई है। तो फिर हमारे ऊपर कोई ब्लेम नहीं आना चाहिए कि सदन अव्यवस्थित हो गया, नहीं चलने दे रहे हैं। हम तो हमेशा सदन को चलाना चाह रहे हैं। 02 दिन और चलाने के निर्देश आप दे दें मान्यवर,।

श्री अध्यक्ष–

आप पर कोई ब्लेम नहीं लगा रहा है।

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह तो पीठ की अवमानना है, पीठ का विनिश्चय आ चुका है और उसके बाद आपने स्वयं कहा कि सरकार का कन्क्लूजन आ जाय इसमें। लगातार आप पर दबाव डाला जा रहा है, यह तो पीठ की अवमानना है माननीय अध्यक्ष जी, आपका विनिश्चय आ चुका है कि इस पर कन्क्लूजन हो जाने दे। इतना बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह तो सरासर अन्याय है, सरासर दादागिरी है और आपके सामने सरकार ने जो कहा है और सरासर सरकार के साथ हमने जो विश्वास किया, उसका विश्वासघात है, यह सीधे–सीधे विश्वासघात है। जब यह बात तय हो गयी थी कि हम तीन दिन आगे सदन ले जाएंगे। (घोर व्यवधान) हम मना तो कर ही नहीं रहे हैं, हम सुनेंगे भी और हम आपका विनिश्चय भी चाहेंगे। दो दिन आप हाउस को बढ़ाने के आदेश कर दीजिए। आप निर्देशित कर दीजिए कि हाउस दो दिन बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ? कम से कम हमारे सदस्यों की सूचनाएं जीरो आवर में आ जाएंगी, प्रश्नकाल

आ जाएगा और भी कई चीजें हैं, वो आ जाएंगी। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है इतना अच्छा हाउस चला है, कहीं से कहीं कोई दो राय नहीं तीन दिन तक बहुत अच्छा चला है, सरकार के और विपक्ष के सारे लोग बोले हैं, हमारे प्रेम चन्द अग्रवाल जी छूट गये हैं, हम चाहते हैं कि ये भी बोलें और पक्ष–विपक्ष जो 2–3 सदस्य छूटे हैं, वो भी बोलें और माननीय नेता सदन का उसमें वक्तव्य आ जायें, बस इतनी हमको श्योरिटी हो जाय कि हम सदन को दो दिन आगे बढ़ाएंगे, इतनी हमको गारन्टी हो जाय, हम इतनी सी गारन्टी चाह रहे हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं नेता प्रतिपक्ष से यह कहना चाहती हूँ कि जब हम माननीय अध्यक्ष जी के कक्ष में बैठे तो यह हमारे, आपके और उनके बीच में तय हुआ, जैसा आपने कहा कि हम सरकारी काम–काज को एक दिन के लिए बढ़ा देंगे। यह आपके बीच में तय हुआ। आज शुक्रवार है कल शनिवार को सदन चलाने के लिए स्पीकर साहब ने भी सहमति दे दी है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, शनिवार को प्रश्नकाल कैसे हो पायेगा? (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, क्या एक दिन बढ़ने से प्रश्नकाल आ जाएगा?

श्री हरबन्स कपूर–

मान्यवर, यह तो सरासर अन्याय है। शुक्रवार को असरकारी दिवस होता है, इसमें माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिलता है। इसको भी एक दिन काटकर आधा दिन कर दिया।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हमेशा ही आधा दिन होता है।

श्री हरबन्स कपूर–

मान्यवर, सभी सदस्यों की महत्वपूर्ण सूचनायें है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, जहां सरकार के आपने इतने काम निपटाये वहीं असरकारी दिवस पर असरकारी सदस्यों के विषयों को भी आ जाने दीजिए। मान्यवर, माननीय सदस्य कहां जायेंगे? (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जितने भी संकल्प हैं, रात के 12:00 बजे तक हाउस चलेगा, स्पीकर साहब जब तक बैठे रहेंगे तब तक सुना जायेगा, आप चलाइये तो।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, प्रश्नकाल की बात चल रही है, जीरो आवर की बात चल रही है, प्रदेश के कानून व्यवस्था की बात चल रही है। खनन का मुद्दा है, गन्ने के खेतों में 20–20 मीटर पानी चढ़ गया, हम उन सारी चीजों को कहां लायेंगे?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हमने कहां रोका था, तीन दिन बहस के झगड़े में क्यों पड़ गये।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जीरो आवर नहीं आया, प्रश्नकाल नहीं आया, हमारे तो कोई भी प्रश्न नहीं आये।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसमें हमारा कहाँ दोष है। आपकी बात स्पीकर साहब ने मानी और हमने सहमति दे दी।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आपने विश्वास दिलाया था कि तीन दिन आगे करेंगे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, तब विधेयक नहीं आये थे, हमने कहा था कि जब विधेयक नहीं आयेंगे तो आगे बढ़ेगा। मान्यवर, विधेयक आ गये।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह हमारा काम नहीं है, सरकार बिजनेस लाये, आप संसदीय कार्य मंत्री हैं। संसदीय कार्य मंत्री सरकार होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी की विश्वसनीय होती है। संसदीय कार्य मंत्री जी बोलती है तो माना जाता है कि सरकार बोल रही है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपसे यह कहा गया कि अभी विधेयक नहीं आये हैं। मान्यवर, कल की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में विधेयक आ गये थे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, उनका बंटवारा कैसे होता, हमारी तरफ से कल की बैठक में कोई नहीं था।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, एक–एक मिनट का विधेयक है, केवल नाम बदलना है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जैसा आप चाहेंगे, होगा वैसा ही। सरकार की जैसी मंशा होगी वैसा ही होगा, सदन में हमारा तो बहुमत नहीं है। सवाल यह है कि कल की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में न मैं सदस्य के नाते था और न ही अजय टम्टा जी थे। हम दोनों लोग नहीं थे। मान्यवर, इतना तो एडजस्टमेंट होना चाहिए। क्या हम वादा भी करें और इस तरह से तो एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं रह जायेगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप नहीं आ सकते थे तो अपने किसी प्रतिनिधि को भेज देते। आपके प्रतिनिधि को स्वीकार कर लिया जाता।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हमको इतना पता नहीं था कि सरकार विश्वासघात करेगी कि एक ही दिन में ले आयेगी।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सरकार ने तो सदाशयता बरती। नियम–310 आज तक कभी स्वीकार नहीं हुआ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह तो माननीय अध्यक्ष जी ने सदाशयता बरती है, सरकार ने नहीं बरती है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अध्यक्ष जी का सहयोग रहा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, आपदा पर चलने दीजिए, जो अन्य सदस्य रह गये हैं, वह बोल सकते हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हमको गारंटी तो दिलाईये कि हाउस बढ़ जायेगा। नेता सदन बोलना चालू करें। हमारी तरफ से कोई विवाद नहीं होगा।

*चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

मान्यवर, अभी तो आपने कहा कि चर्चा के बीच में कोई संशोधन नहीं होगा, चर्चा पूरी हो जाने दीजिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हम सारा सुनने को तैयार हैं, अभी इतने महत्वपूर्ण बिन्दु नहीं आये हैं। माननीय राज्यपाल महोदय को बन्दूक खरीदनी पड़ी। लॉ एण्ड आर्डर का बिन्दु नहीं आया है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप तो इसके लिए भी तैयार नहीं हैं कि कल अपने महत्वपूर्ण बिन्दु ले आयें, अब ऐसी मनमानी तो नहीं चल पायेगी।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मनमानी तो आपकी चल पायेगी। जैसा आप चाहेंगे वैसा आप चलायेंगे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हमारे हिसाब से तो आज बिजनेस पूरा है, आप कल चाहे तो सारे बिन्दु ला सकते हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, कल शनिवार है। प्रश्नकाल कहां से लायेंगे?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, पार्लियामेंट भी शनिवार को चली है, बिल पास कराने के लिए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, सदन में 'चित भी मेरी, पट्ट भी मेरी' नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप लोगों ने पूरा प्रश्नकाल नहीं चलने दिया।

श्री अध्यक्ष–

मेरा पूरे सदन से यह अनुरोध है कि प्रदेश के अन्दर जो आपदा आयी है और जो अभी भी तात्कालिक है और बहुत महत्वपूर्ण है। उस बिषय पर यहां पर बहुत सारे माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया और इसमें दो दिन लगातार सदस्यों ने बढ़कर समय भी दिया है। लेकिन मुझे इस बात पर बहुत दुख हुआ है कि अन्तिम क्षण में, जब उस चर्चा का पूरा निष्कर्ष निकलना था और सबको सूचना मिलनी चाहिए थी और जनता के बीच में एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए था कि सदन के सारे माननीय सदस्य इस विषय

में बहुत गम्भीर हैं। माननीय सदस्यों ने प्रदेश में आयी दैवीय आपदा पर दो–तीन दिन तक चर्चा में बहुत अच्छे सुझाव दिये और सरकार की तरफ से भी जवाब आया और इस पीठ से भी निर्देश मिले। इस बीच में जो यह व्यवधान हुआ है, उससे निश्चित रूप से बहुत बड़ा आघात लगा हैं। लेकिन मैं फिर माननीय नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा कि इसमें दो–तीन माननीय सदस्य और छूट गये हैं, उनके बोलने के बाद माननीय नेता सदन इस पर बोलेंगे और उसके बाद फिर आगे की कार्यवाही चलेगी।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, ठीक है, आपकी आज्ञा सिर माथे है। लेकिन हमारा संरक्षण कौन करेगा? जब एक बात तय हुई थी कि तीन दिन हम हाउस बढ़ायेंगे। (कई माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर बैठे–बैठे एक साथ बोलने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान हुआ।) (व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपका संरक्षण स्पीकर साहब करेंगे और पीठ करेगी। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह बात कार्य–मंत्रणा समिति में भी आयी है और मैंने तो यहां तक मांग की है कि हाउस 7 से 10 दिन तक बढ़ाना चाहिए। वह आपने कार्यवाही में देख भी लिया होगा और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह भी कहा कि सात–आठ विधेयक और हैं, इन तीन दिनों में हाउस तद्नुसार कार्य–मंत्रणा समिति के अनुसार चलेगा। लेकिन कार्य–मंत्रणा समिति की बैठक नहीं हुई और हम दूसरी बैठक में थे ही नहीं, फिर भी उसका फायदा उठा लिया है। कल हमारी पार्टी की रैली थी और हम लोग उसमें चले गये थे, यह तो अविश्वास हुआ। (कई माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर बैठे–बैठे एक साथ बोलने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान हुआ।) अब आप मानें या न मानें बिल्कुल अविश्वास है। हम भी इस समिति में सदस्य हैं। (व्यवधान)

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैं यह कह रहा हूँ कि यह सदन हर हाल में चाहता है कि माननीय नेता सदन यहाँ पर जितनी भी बातें आयी है उनका जवाब दें, लेकिन सदन यह भी चाहेगा कि आपके सानिध्य में नीति–नियमों का पालन हो। मान्यवर, यह सरकार पहले ही गलत काम कर चुकी है, वह अनुपूरक अनुदान को पास नहीं कर सकती थी, मैं संविधान भी लाया हूँ। दूसरा वादाखिलाफी हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार घोषणा कर दे कि दो दिन और सदन बढ़ेगा। इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी, चार घण्टे बोलें तो भी हम लोग यहीं पर बैठकर सुनेंगें। हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं। (कई माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर बैठे–बैठे एक साथ बोलने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान हुआ।) (व्यवधान) यह हमारा मूल अधिकार का विषय है। कृपया करके आप लोग फिर बोल लें। (व्यवधान)

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आपको बोलने के लिए पीठ से थोड़ी कहा गया है। आप किस अधिकार से बोलने के लिए खड़े हुए है। (व्यवधान)

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, सत्ता पक्ष के लोग जबरदस्ती सदन में व्यवधान कर रहे हैं। कृपया हम लोग आप से अनुरोध करते हैं और आपका संरक्षण चाहिए। इस विषय पर सरकार सदन में जवाब देना नहीं चाहती है। माननीय विधायकों के सवालों का जवाब देने के लिए सरकार में दम नहीं है। (कई माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर बैठे–बैठे एक साथ बोलने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान हुआ।) श्रीमन्, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली के नियम–176 में है कि मतदान के लिए 15 दिनों से अनधिक के दिन नियत कर सकते हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका विनिश्चय आ चुका है।

श्री अध्यक्ष–

मुझे बड़ा अफसोस और दुःख है कि जिस विषय पर प्रदेश की पूरी जनता का ध्यान लगा हुआ है, जिसको प्रदेश की जनता जानना चाहती है। दैवीय आपदा जैसा मुद्दा जिसने इस प्रदेश को ही नही बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया है और उस मुद्दे पर दो दिन चर्चा करने के बाद जिस तरह से इसमें बाधा उत्पन्न की जा रही है तो मैं सोचता हूँ कि यह उचित नहीं है, क्योंकि आपके अनुरोध पर उसमें चर्चा स्वीकार की गई और सभी सम्मानित सदस्य इस पर बोले और जब चर्चा अन्तिम चरण में पहुंची तो इस समय पता नहीं किन बातों को ले करके आप लोगों ने इस तरह का वातावरण पैदा किया, जिस वजह से बाधा उत्पन्न हो गई। दैवीय आपदा के मुद्दे को समाप्त करने के बाद आप कुछ भी हाउस में कर सकते थे उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन इतने गम्भीर मुद्दे पर चर्चा होने के बाद उसका अन्तिम निष्कर्ष निकालने में आपने बाधा डाली इसका मुझे बहुत खेद है और यह अच्छी परम्परा नहीं है। मैं फिर निवेदन कर देना चाहता हूँ माननीय निशंक जी, जो आप कह रहे हैं वह उचित नहीं है सारा काम नियमों के तहत हुआ है, नियमावली के तहत हुआ है, कुछ गलत नहीं हुआ है। मैं फिर अनुरोध आपसे कर देना चाहता हूँ कि इस चर्चा को समाप्त करवाने के लिए जो समय और बचा है उसको होने दीजिए, चर्चा का निष्कर्ष निकलने दीजिए, उसके बाद हाउस में जो भी बात आप चाहें अपनी बात कहें उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह मैं फिर अनुरोध कर देना चाहता हूँ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, दो दिन हाउस बढ़ाने की बात है तो वह कैसे बढ़ेगा?

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, या तो नियमों में संशोधन हो जाए।

श्री अध्यक्ष–

नियमों के अनुसार हुआ है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली के नियम–176 में है कि (व्यवधान) मान्यवर, आप मतदान करायेंगे लेकिन जिसकी इजाजत संविधान में नहीं है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका विनिश्चय आने के बाद भी, कार्यवाही में व्यवधान डाला जा रहा है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, कार्यवाही में व्यवधान सरकार डाल रही है। हम तो कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, 4 घंटा नहीं 40 घंटे बोलिये। पूरा सदन बैठने को तैयार है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप जिस नियम का उल्लेख कर रहे हैं, पृष्ठ–67 में नियम–176 की धारा–2 के उपनियम–1 के अधीन रहते हुए अनुदान की मांग ऐसे काम में उपस्थित की जायेगी जैसा कि सदन नेता विरोधी दल के नेता से परामर्श करके निश्चित करें। इसमें नेता विरोधी दल से परामर्श हो गया था। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, परामर्श कहां हुआ है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) कार्य–संचालन नियमावली के नियम–176 (1) अध्यक्ष, सदन नेता के परामर्श से अनुदान की मांगो पर विचार और मतदान के लिये 15+4 दिनों से अनधिक के दिन नियत करेंगे। ऐसा लिखा हुआ है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह तो नेता विरोधी दल का अपमान है, जब नेता विरोधी दल बोलने के लिए खड़े है तो विपक्ष के माननीय सदस्य बीच में क्यों बोल रहे है? (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग बैठ जाईये। माननीय निशंक जी, आप भी बैठ जाईये। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अनावश्यक विवाद खड़ा न करें। कार्य संचालन नियमावली के नियम–176 में जो बात आयी है। हमारी बिल्कुल साफ बात हुई थी कि आपदा का मौका है, इसमें हम लोग वाद–विवाद ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते हैं। प्रदेश में पक्ष और विपक्ष दोनों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह अनुपूरक को पास करे। एस0एन0डी0 वगैरा जो भी आते हैं आपदा को देखते हुए इन्हें पास करे। यह बात हो गयी थी। जब इतने सौहार्दपूर्ण माहौल में बात हो गयी थी और यह भी बात हुई थी कि हम हाउस को तीन दिन आगे कर देंगे। यह विश्वास था, बस इतनी सी बात है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर हैं। यदि कोई बात नहीं हुई है तो नेता सदन के प्रतिनिधि के रूप में संसदीय कार्य मंत्री जी थी, यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं आपकी बात को मान लेता हूँ। मान्यवर, हमारा प्रश्न तो सिर्फ वादा–खिलाफी का है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, मेरी अध्यक्षता में कार्य–मंत्रणा समिति की बैठक हुई, उसमें आपने जरूर मांग की कि सदन को तीन दिन आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन उस समय आप से यही कहा गया कि सरकारी बिजनेस होगा तो सदन आगे बढ़ेगा। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैंने कार्य–मंत्रणा के आधार पर कहा। समिति के यह मिनिट्स हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कार्य–मंत्रणा के आधार पर भी कहा और सरकार के बिजनेस पर भी कहा है। (व्यवधान) इसके बाद मैं समझता हूँ कि कार्य–मंत्रणा समिति की बैठक फिर होती है और उस कार्य–मंत्रणा की बैठक में यह कार्यक्रम तय होता है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जिस बैठक में यह तय हुआ उसमें न तो मैं उपस्थित था और न ही हमारे दूसरे सदस्य माननीय अजय टम्टा जी ही उपस्थित थे। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) हम दोनों ही सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं थे, जब दोनों ही सदस्य नहीं थे तो सरकार ने खुद ही यह तय कर दिया। यदि सरकार की मंशा साफ होती तो यदि हम नहीं भी थे तो हाउस को आगे बढ़ना चाहिए था। जब वादा किया है तो उसे निभाया जाना चाहिए था। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन नियमों से चलता है। सदन किसी के दबाव में नहीं चलता है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आगे के लिए भी बहुत गलत परम्पराएं चल रही है। हम कह रहे हैं कि 176 आपने कहा है, हमने माना उसको। (व्यवधान)

श्री हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, (व्यवधान) गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे है। दादागिरी शब्द संसदीय शब्द है क्या? गलत शब्दो का प्रयोग करते हैं। (व्यवधान) हम तो नहीं कर रहे हैं। दादागिरी तो आप कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इस बात को आप भी स्वीकार कर रहे हैं कि यह बात हुई थी। हम भी यहीं कह रहे है, जो नियम–176 में आपने कहा है कि दोनों की सहमति से सारी बातें तय हो गयी थी। उसमें यह भी बात थी कि 3 दिन सदन आगे बढ़ेगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सरकारी बिजनेस से ही तो बढ़ेगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, सरकारी बिजनेस लाना हमारा काम थोड़ी है, वह तो सरकार का काम है। मान्यवर, यह कैसी सरकार है, इतनी बड़ी आपदा आयी और यह 3 दिन का बिजनेस नहीं ला पा रही है। इतने सौहार्दपूर्ण माहौल में आप दो दिन का बिजनेस क्यों नहीं ला रहे हैं? (व्यवधान) इसी बिजनेस को आप 2 दिन में कर दीजिए। (व्यवधान) हमारा कहना है कि इसी काम को दो दिन में बांट दीजिए आप। (व्यवधान)

श्री हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका विनिश्चय आ चुका है कि पहले आपदा के विषय पर चर्चा हो जाये। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह तो हमेशा के लिए विश्वास टूट गया। (व्यवधान) अगर यह बात नहीं है तो दिन बढ़ा दीजिए। सोमवार–मंगलवार बढ़ा दीजिए। (व्यवधान) हम इसमें कहीं आपकी बात को काट नही रहे हैं। (व्यवधान) ये सारी चीजें कही है। लेकिन दो दिन का बढ़ाईये तो सही। जीरो ऑवर है, प्रश्नकाल है। सारे विधायकों के, चाहे सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के, सबके सवाल हैं। दो दिन इसी बिजनेस को बांट दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

भट्ट जी, आपदा पर चर्चा करवाईये।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इसी बिजनेस को बांट दीजिए। 4 विधेयक सोमवार को कर दीजिए और 4 विधेयक मंगलवार को कर दीजिए। (व्यवधान)

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, क्या आपके कहने से कर दें? माननीय अध्यक्ष जी, सारा बिजनेस हाउस के पटल पर आ चुका है। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, कैसे पटल पर आ गया, बिना कार्य–मंत्रणा समिति में गये हुए ?

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आप तो पीठ पर आरोप लगा रहे हैं (व्यवधान) यह पीठ पर आक्षेप है। (व्यवधान) पहले हम पर चर्चा होने दें, उसके बाद अपनी बात कहें। पीठ का विनिश्चय आ चुका है। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, कोई विनिश्चय नहीं आया है पीठ का।

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, दैवीय आपदा की गम्भीरता को देखते हुए, इस पर चर्चा पूरी होने दें। (व्यवधान) आप नहीं चाहते कि प्रेम चन्द अग्रवाल जी बोले इस विषय पर? (व्यवधान) बहुत सारे सदस्य इस विषय पर बोलना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि ये लोग बोलें? (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हम सिर्फ दो दिन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, तब आपके सदस्य भी खड़े होते थे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय रावत जी, कृपया शांत रहें। माननीय निशंक जी, बैठिए। (व्यवधान) माननीय नेता बसपा की बात सुन लीजिए।

श्री हरक सिंह रावत–

माननीय चुफाल जी, इतनी ज्यादा गुटबाजी क्यों है, आप लोगों में? (व्यवधान) मान्यवर, यह तो तय कर लें कि विपक्ष का नेता है कौन। भट्ट जी है या निशंक जी, यह तो तय कर लीजिए। (व्यवधान) जो निशंक जी के साथ हैं, वह लोग हाथ खड़ा करें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, सदन का नेता कौन है, पहले यह तय कर लीजिये कि मेरी बात का जबाब बहुगुणा जी देंगे या हरक सिंह जी देंगे। (व्यवधान)

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ। हमारे विजय बहुगुणा जी नेता सदन है। मैंने यह हरिद्वार के पंडे से सीखा है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपयां, शांत रहें, माननीय हरिदास जी की बात आने दीजिये। जो माननीय सदस्य बिना अनुमति के बोल रहे हैं, उनकी कोई बात नोट नही की जायेगी।

(कई माननीय सदस्यों के साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

*श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, कार्य–मंत्रणा की सिफारिश से ही हाउस का एजेंडा तय होता है, कोई दिक्कत थी तो वहाँ पर डिस्कस करना चाहिये था।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपयां, शांत रहें, माननीय हरिदास जी को बोलने दीजिये।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरिदास–

मान्यवर, कार्य–मंत्रणा समिति में तो अपनी बात विपक्ष ने नहीं रखी और आज यहां पर व्यवधान कर रहे हैं। तब आप लोग कहाँ चले गये थे?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान।)

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन के माध्यम से घोषणा करता हूँ कि मैं कार्य–मंत्रणा समिति से इस्तीफा देता हूँ। (व्यवधान)

श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा तो निवेदन सिर्फ इतना है कि कार्य–मंत्रणा समिति में सारे दलों के लोग होते हैं और माननीय अध्यक्ष जी उसकी अध्यक्षता करते हैं साथ ही उसमें सरकार की ओर से माननीय संसदीय कार्य मंत्री भी होती है। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बड़ा खेद है, मैंने ऐसी राजनीति भी कहीं नहीं देखी, जहाँ कोई सुनता नहीं हो, इसलिये मैं कार्य–मंत्रणा समिति से सार्वजनिक रूप से इस्तीफा दे रहा हूँ, क्योंकि उसके अन्दर की बातों की यहाँ कोई मान्यता नहीं है। (व्यवधान) कार्य–मंत्रणा समिति में यह बात हुई कि हाउस को आगे बढ़ाया जायेगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, कहाँ है यह, कार्यवाही में तो नहीं है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं कार्यवाही में से अपना प्वाइंट पढ़कर सुना रहा हूँ कि "मान्यवर, हम लोग यह मानकर चलें कि यह हाउस तीन दिन का हो रहा है।" (व्यवधान) आपकी बात को भी ला रहा हूँ, कुछ चीजें तो बहन जी विश्वास की भी होती है। "मान्यवर, यानी 7–8 विधेयक और हैं तो इन तीन दिनों में हाउस तद्नुसार कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिशों पर आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।" (व्यवधान) मदन जी, प्लीज वह चाहतें है कि आप बोले तो उनको मौका मिले, मेरी बात आ जाने दीजिये। जब मैं कल कार्य–मंत्रणा समिति में नहीं आ पाया, हमारी पार्टी की रैली थी, मैं कहकर गया था और मैंने अजय टम्टा जी से कहा कि आप चले जाईये, लेकिन वह समय पर नहीं आ पाये और अध्यक्ष जी के कमरे में गये।

*श्री अजय टम्टा–

मान्यवर, समिति की बैठक दो मिनट भी नहीं चली थी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, उसमें हमारे हस्ताक्षर भी नहीं है, सरकार को इतनी भी तसल्ली नहीं थी कि दो मिनट रूक जाते।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह तो अध्यक्ष पर आरोप है, अध्यक्ष की अध्यक्षता में यह बैठक होती है, जब बैठक समाप्त हो गई तो हम चले गये।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, अध्यक्ष भी तय नहीं कर सकते, यदि अध्यक्ष को हाउस का बिजनेस डिसाईड करने की ताकत होती.........। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप लोग किस–किस तरह की बातें करते है, जो नियमों से भी परे है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आप ही बोल लीजिये, मैं बैठ जाता हूँ।

*श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, क्या भट्ट जी ने इस्तीफा दे दिया। .... निशंक जी, आपको बधाई हो। (व्यवधान)

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, क्या सुबोध जी भी अध्यक्ष हो गये हैं?

(व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब हम कल कार्य–मंत्रणा समिति में गये ही नहीं, लेकिन अजय टम्टा जी वहां पर पहुंचे और उनसे कहा गया कि बैठक तो हो चुकी है, उनके दस्तखत भी नहीं हुये और उनको रजिस्टर भी नहीं मिला। दो सैकण्ड की उनको देर हुई, मान्यवर, अगर इतना भी एक–दूसरे का विश्वास नहीं है तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने कोई सूचना दी कि आप लेट आएंगे?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माननीय इन्दिरा जी इतना टैक्निकल चलेंगी तो काम नहीं करा पाएंगी। मैं कहना चाहता हूँ कि इतना टैक्निकल चलेंगे तो कई जगह नहीं हो पायेगा। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह इनकी पार्टी का अन्दरूनी मामला है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, नियम की बात चली है, इसमें अन्दरूनी की क्या बात है? कौन सी अन्दरूनी बात है?

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, जब मैं नेता प्रतिपक्ष था तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए कि कार्य–मंत्रणा समिति में उपस्थित नहीं हो सकता हूँ तो मैंने माननीय दिनेश अग्रवाल जी को कार्य–मंत्रणा समिति की बैठक में भाग लेने के लिए भेजा था। मान्यवर, यह तो आपका मैनेजमेंट है आपको रैली भी देखनी है, आपको कार्य–मंत्रणा समिति भी देखनी है, आप किस तरह से मैनेज करेंगे, यह आपका काम है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हमारे सदस्य को एक सेकेण्ड देर हुई, हस्ताक्षर तक नहीं है। अगर कहीं हस्ताक्षर है हमारे सदस्य के तो बताएं। (व्यवधान) मान्यवर, अगर हम कार्य–मंत्रणा समिति की बैठक में गये हों, एक मिनट की देरी में सरकार को इतना भी संयम नहीं हुआ कि कम से कम हमारे सदस्य के विचार तो जान लेते। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) आप नियमावली पढ़िये, आपको नियमावली का ज्ञान नहीं है। अगर अध्यक्ष जी को पावर होती तो अध्यक्ष जी यहाँ पर अनुज्ञा नहीं मांगते। कार्य–मंत्रणा समिति की मंत्रणा के बाद अनुज्ञा मांगते हैं यहाँ। अनुज्ञा इसीलिए मांगी जाती है। कोई पावर नहीं है अध्यक्ष जी को, मैं कही पर कोई उनकी अवमानना नहीं कर रहा हूँ। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहिये।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी कार्य–मंत्रणा समिति के बाद यहाँ पर अनुज्ञा मांगते हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी, मुख्यमंत्री या नेता सदन, वो अनुज्ञा मांगते हैं कि कार्य–मंत्रणा की सिफारिशें जिसे मंजूर है, वो हाँ कहें और न मंजूर हों, वो ना कहें। पर हम इसे सर्वसम्माति से पास करते हैं। (घोर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अनुज्ञा मांग ली गयी है, वो कार्यवाही का हिस्सा है। मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मैंने कार्यवाही देखी है। क्या हो गया है आपको। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जहाँ तक कार्य–मंत्रणा समिति की बात आ रही है। कार्य–मंत्रणा समिति में जो प्रस्ताव पास होता है, जो कार्ययोजना बनती है, उसको सदन भी पास करता है और पूरे सदन ने उसको पास किया है और उसके बाद उस पर टिपण्णी करना मैं समझता हूँ कि सदन का अपमान है। (सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ जितनी मैंने कार्यवाही देखी है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसको सुनिश्चित कर दे कि क्या कार्य–मंत्रणा समिति में जिसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, जो सदस्य गये थे, उनके हस्ताक्षर भी नहीं है, इतना तो भरोसे में इस सरकार को लेना चाहिए। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) मान्यवर, कार्यवाही में यह सुनिश्चित करा लें कि क्या कार्य–मंत्रणा समिति की बैठक में, क्या इस सदन ने उसको अनुमति दी है? यह सुनिश्चित कर लिया जाय। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) मान्यवर, इस सरकार के पास बोलने को कुछ भी नहीं है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, विपक्ष दैवीय आपदा पीड़ितों के दुख–दर्द को नहीं सुनना चाहता है। (घोर व्यवधान)

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, हम सदन को चलाने के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री जी एक छोटा सा प्रस्ताव ले आयें कि यह सदन सोमवार, मंगलवार तक बढ़ा दिया जाये। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं विनम्र निवेदन इस लिए करना चाहता हूं कि कार्य–मंत्रणा समिति में आपने कहा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी लाई है। मैं समझता हूं आज तो अभी प्रस्ताव भी नहीं आया है। आता तो उसमें वैसे भी हमारा विरोध होता, क्योंकि अभी तक सुबह से यह सदन चल रहा है कार्य मंत्रणा–समिति की अभी संस्तुति तो नहीं आयी है।

श्री अध्यक्ष–

कार्य–मंत्रणा समिति की संस्तुति कल ही आ गई है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, कल जो डिसीजन हुआ होगा उसमें अनुज्ञा तो आज मांगी जायेगी। अभी अनुज्ञा मांगी नहीं है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम कहीं गलत नहीं है। हम नियमानुसार कह रहे हैं, आप अपने सचिवालय से पूछ लीजिए। अभी तक नहीं आयी है।

श्री अध्यक्ष–

वह कार्यसूची में है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, कार्यसूची में है, इस लिए तो हम अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। हम कहां गलत है? जैसा संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि मैंने अनुज्ञा मांगी है। अभी तक मांगी नहीं है, इस लिए तो हमारा राईट है, हम कल नहीं आये थे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अनुज्ञा तो वहीं आयेगी, जो समिति में तय होगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हम समिति में तो थे नहीं, समिति माइनोरिटी में थी।

श्री अध्यक्ष–

माइनोरिटी में नहीं थी, बहुमत में थी।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हमारा पक्ष नहीं था, हमें दो मिनट की देरी हो गई।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, दो मिनट में हवाई जहाज छूट जाता है, दो मिनट में ट्रेन छूट जाती है, दो मिनट मे बहुत कुछ छूट जाता है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, एक सेकेण्ड में गोली चल जाती है, उससे आप क्या करोगे। वह तो एक ही सेकेण्ड में छूट जाती है। मै समझता हूं कि हमारी बात कहने के बाद भी नहीं करते हैं तो हम अनिश्चित काल के लिए यहीं वेल पर धरना देते हैं। इसलिए देते हैं कि इतना अच्छा चलाने के बावजूद भी सरकार का अड़ियल रवैया है।

(नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में अपनी–अपनी बात जोर–जोर से उठाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, कार्य–मंत्रणा समिति में जो विश्वास था उस विश्वास पर भी आपने ठेस लगाया है, सरकार नहीं चाहती थी कि कोई बात यहां पर आये, इसलिए हमने यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने का निर्णय लिया है। इसलिए लिया है कि जिस सरकार को हमने सारा काम–काज करने दिया, उनकी यह शर्त थी कि मात्र दो–तीन दिन हाउस बढ़ा देंगे, यह हमारा सार्वजनिक तरीके से तय हो गया था, इसके बाद भी प्रस्ताव नहीं लाया गया, सरकार अड़ियल रवैये पर है। कार्य–मंत्रणा समिति की बैठक में पहुंचने के लिए हमें एक मिनट के लिए देरी हो गई थी। क्योंकि हमारी पार्टी का कार्यक्रम था उसमें मैं चला गया था, अजय टम्टा जी ने कहा भी था कि मुझे एक सेकेण्ड के लिए देर हो गई, उसके बावजूद उनके हस्ताक्षर भी नहीं है। कार्य–मंत्रणा समिति की बैठक में कही हस्ताक्षर नहीं है, इसका मतलब है कि हम बैठक में उपस्थित नहीं थे, इतना भी सरकार आपस में विश्वास नहीं करती है। अपना काम निकाल करके विपक्ष के काम में रोड़ा डाल रही है, इसलिए हमने यह डिसीजन लिया है कि हम अनिश्चित कालीन धरने में बैठे रहेंगे। यह अच्छी परम्परा नहीं पड़ी है, इसका हमें भी कष्ट है। कम से कम तीन दिन तक इतना अच्छा सदन चलने के बाद, मात्र दो दिन हाउस चलाने के लिए सरकार के अडियल रवैये के कारण हमको यह निर्णय लेना पड़ रहा है। क्योंकि यह सरकार संख्या बल के आधार पर हमारी आवाज दबाना चाहती है। संख्या बल के आधार पर विपक्ष को दबाकर नेस्तनाबूत करना चाहती है, इसलिए हम यह धरना दे रहे हैं। (घोर व्यवधान)

('वेल' में खड़े माननीय सदस्यगण एक साथ अपनी–अपनी बात कहते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान हुआ।) (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर दो दिन की चर्चा हुई। उसमें सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। (घोर व्यवधान) (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, बात तय हो गयी। आपने जो कहना था वह कह दिया है। अब आप अपना काम करें और हम अपना काम करते हैं। (माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अजय भट्ट जी भी 'वेल' में आ गये।) (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप लोग अपने स्थान पर बैठ जायें। (व्यवधान के मध्य) (तत्पश्चात् माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री अजय भट्ट जी अपने आसन पर वापस चले गये।)

श्री अजय भट्ट—

मान्यवर, सदन बहुत अच्छा चल रहा था और जितना कष्ट आपको है, उससे दुगुना कष्ट हम लोगों को हुआ। यहां पर माननीय नेता सदन का वक्तव्य आना चाहिए था तब उसके बाद उसमें आपका विनिश्चय आता। हम केवल यह चाह रहे थे कि हाउस दो दिन और बढ़े, इस सम्बन्ध में आप लोगों से भी बात हुई थी। हमने सरकार से कहा था कि आपदा के समय हम सारे काम होने देंगे और मात्र दो दिन हमारा हाउस बढ़ा दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें वादाखिलाफी हुई है जिससे हम लोगों को बहुत दुख हुआ है। सरकार के अड़ियल रवैये के कारण यह स्थिति आयी है। (कई माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर बैठे—बैठे अपनी बात कहते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान हुआ।) (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप लोग शान्त रहें। (व्यवधान के मध्य)

दैवीय आपदा के सम्बन्ध में में आपदा प्रबन्धन मंत्री का वक्तव्य

*राजस्व एवं आपदा प्रबन्ध मंत्री (श्री यशपाल आर्य)—

माननीय अध्यक्ष जी, नियम—310 के अन्तर्गत इस विषय पर चर्चा करने के लिए माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय निशंक जी और प्रतिपक्ष के माननीय विधायक और हमारे सत्ता पक्ष के माननीय विधायकगणों ने अपने विचार प्रस्तुत किये। प्रदेश में निश्चित रूप से 16 जून को भीषण त्रासदी हुई थी। इस प्राकृतिक प्रकोप से प्रदेशवासियों को भारी जान—माल की हानि हुई, जो अकल्पनीय है। ('वेल' में खड़े भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यगण माननीय अध्यक्ष के आसन की ओर कागजात फेंकते रहे और नारे लगाते रहे।) मान्यवर, लगभग चालीस हजार करोड़ रूपये का उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र में नुकसान हुआ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने इस पर राजनीति की है। मान्यवर, आपकी सदाशयता थी कि आपने इस विषय पर सभी माननीय विधायकों को सदन में बोलने का मौका दिया। भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायकों ने जिस प्रकार से इस सरकार पर गलत आरोप लगाये और झूठी बातों का सहारा लिया और इस सदन को गुमराह करने की कोशिश की है। (व्यवधान) चाहे भारतीय जनता पार्टी के देश के नेता हों या हमारे प्रदेश के नेता हों निश्चित रूप से बहुत शर्म की बात है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में खड़े होकर पूर्ववत् नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने और भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायकों ने कहा कि सरकार के अन्दर इच्छा शक्ति नहीं थी, सरकार की लापरवाही थी और सरकार की बहुत बड़ी विफलता रही, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से भीषण आपदा इस प्रदेश में आई, जिस तरीके से भारी मूसलाधार बारिश हुई, जिस तरह से ग्लेशियर पिघले, जिस तरह से जल प्रलय हुआ, देश के इतिहास में कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। लेकिन कॉंग्रेस ने, हमारी सरकार ने पूरी गम्भीरता के साथ,पूरी ईमानदारी के साथ उन पीड़ित परिवारों को, प्रभावित परिवारों को मदद करने की मंशा से, हमारा नैतिक दायित्व भी था और हमारी सरकार ने उन पर्वतीय अंचलों में, प्रभावित क्षेत्रों में जाकर राहत सामग्री आदि सामान पहुँचाने का कार्य किया। मान्यवर, यह देश का, विश्व का सबसे बड़ा एयर रेस्क्यू ऑपरेशन था और 33 हजार उन लोगों को जो कहीं न कहीं फंसे हुये थे उनको बाहर निकालने का काम हमारी सरकार ने किया और डेढ़ लाख लोगों को सड़क मार्ग से बाहर निकालने का हमने काम किया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से दो दिन से आपने सदाशयता का परिचय देते हुये भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायाकों को बोलने का पूरा अवसर दिया, लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय विधायकगणों ने सदन की परम्पराओं और सदन की मर्यादाओं और सदन की गरिमा को तार–तार करने का काम किया है, यह आज देखने को मिला है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात हो ही नहीं सकती है, यह आपकी सदाशयता है कि आपने इस लोगों को बोलने का मौका दिया और सरकार के जवाब को भारतीय जनता पार्टी सुनने को तैयार नहीं है। इसके मायने क्या हैं तो इसके मायने साफ हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को मान चुके हैं कि इस प्रदेश में आपदा की इस घड़ी में हमने खुलकर मदद की है, मानकों में बदलाव किया है, मानकों को आगे बढ़ाने का काम किया है। मान्यवर, इस बात को भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनने को तैयार नहीं हैं, लेकिन मन से, अन्तर्मन से इस बात को स्वीकार किया है। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों जिस तरीके से हमारे एन0डी0आर0एफ0 के जवान, हमारे सेना के जवान, हमारे आई0टी0बी0पी0 के जवान, हमारे सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने कार्य किया उसके लिए उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने पुलिस बल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर ऐतिहासिक और साहसिक कार्य करके उन लोगों को बचाने का काम किया जो वहां फंसे हुये थे। मान्यवर, इलेक्ट्रानिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथियों ने भी इस घड़ी में सरकार को सचेत भी किया और सरकार को उस स्थान पर जाने के लिए प्रेरित भी किया था जहाँ पर आपदा की वजह से लोग फंसे हुये

थे और जहाँ पर लोगों को हमारी जरूरत भी थी तो मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मान्यवर, सरकार ने आपदा पीड़ितों के कष्टों को दूर करने के लिए, उन्हें राहत पहुंचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसले का निर्णय लिया, हमने बिजली बिल माफ किया, हमने दैवीय आपदा के क्षेत्र में छात्रों को सहायता दी, उच्च शैक्षणिक संस्थान आई0टी0आई0, पॉलीटेक्निक संस्थानों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को एक हजार रूपया प्रति छात्र–छात्रा दिया।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाते रहे।)

('वेल' में खड़े किसी माननीय सदस्य द्वारा माननीय आपदा प्रबन्धन मंत्री से भाषण छीना गया।)

मान्यवर, यह बहुत गलत बात है। (घोर व्यवधान के मध्य) मान्यवर, यह विश्व का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर आपरेशन रहा है, जिसमें 76 हेलीकॉप्टर तथा वायु सेना के 5 फिक्स्ड विंग जहाजों का उपयोग किया गया। मान्यवर, मौसम की कठिनाई एवं घााटियों की संकीर्णता के कारण एक समय में अधिक हेलीकॉप्टर संचालित नहीं किये जा सके। मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से अपनी बात को रख रहा था जो उपयोगी फैसले हमने लिये है। मृतकों की राहत धनराशि बढ़ायी गयी, बिजली बिल माफ करने, छात्रों को सहायता देने, ढाबों को राहत सहायता, आपदा प्रभावित परिवारों को मुफ्त भोजन सामग्री अनाथ बच्चो का पालन–पोषण, फसल नुकसान पर राहत, गन्ने की फसल के नुकसान पर राहत, बेघर लोगों को किराया, सरकारी बैकों की किश्तें स्थगित, मिट्टी, बालू, बजरी के उठान की अनुमति, क्षतिग्रस्त मकान में मुआवजे में वृद्धि, किरायेदारों को राहत, विधवाओं को राहत, राज्य की भूमि पर बनाये भवनों के क्षतिग्रस्त होने पर भवन स्वामियों को राहत देने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। मान्यवर, क्षतिग्रस्त होटल मालिकों को राहत, घराटों को हुई क्षति पर राहत इत्यदि अनेकों ऐसी मदें हैं, जो दो से तीन गुनी की गयी है। मान्यवर, पहली बार इस सरकार ने जनता को घावों पर मरहम लगाने का कार्य किया है। मान्यवर, हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है और इनमें कहीं से कहीं तक कोई सच्चाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते है कि हमारी सरकार ने आपदा प्रभावित परिवारों की अधिक से अधिक मदद करने के लिए खुल कर हाथ बढ़ाये है। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने मंत्रिमण्डल के माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने माननीय विधायकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपदा की घड़ी में वे जनता के साथ खड़े हुए, जिनको मदद की दरकार थी। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने आचरण को सुधारे। मान्यवर, जो संवैधानिक पद की गरिमा को नहीं समझ सकती, संसदीय मूल्यों को नहीं समझ सकती, जो संसदीय परम्पराओं को नहीं समझ सकती, उनसे हम ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र है, यही चेहरा है। मान्यवर, इन्ही शब्दों के साथ मै, आप सभी को बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूँ।

कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 19–09–2013 की बैठक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:–

20 सितम्बर, 2013

1. विधायी कार्य

(1) उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)

(2) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)

(3) उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उप योजना और जन जाति उप योजना (नियोजन,धनांवटन तथा उपयोग) विधेयक, 2013 पर विचार पर पारण। (10 मिनट)

(4) उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)

(5) उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)

(6) हेमवती नन्दन बहुगुणा सम्बद्धक चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)

(7) हिमालयन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)

(2) असरकारी कार्य:–

(1) श्री नवप्रभात सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा:–

"दिनांक 22–03–2013 से राज्य में उत्तराखण्ड नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली वर्ष 2013 लागू हो गयी है।

उत्तराखण्ड राज्य में चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति अभी भी बहुत संतोषजनक नहीं है। विशेषकर सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में तो चिकित्सा सुविधा का लगभग अभाव है।

राज्य सरकार को चिकित्सा सुविधा विशेषकर सुपर स्पेशिलिटी के क्षेत्र में बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

हमारे राज्य के निवासियों को सस्ती दरों पर चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है, परन्तु इस नियमावली के प्रावधानों से चिकित्सा सुविधा का खर्च बहुत अधिक बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। इस स्थिति में राज्य में निजी क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा का विकास जनहित में आवश्यक है। निजी क्षेत्र की भागीदारी इस नियमावली पर ही आधारित होगी।

यह नियमावली केन्द्र सरकार के अधिनियम–2010 पर आधारित है। उत्तराखण्ड के विशेष भौगोलिक तथा अवस्थापना स्थितियों के अनुरूप इसे संशोधित तथा परिवर्तित नहीं किया गया है।

इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन यू0ए0 स्टेट ब्रांच ने इस नियमावली पर अपने सुझाव शासन के समक्ष प्रस्तुत किये हैं, परन्तु अभी तक इस समस्या के निदान के लिए कार्यवाही नही हो सकी है।"

शेष कार्यक्रम यथावत रहेंगे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूं कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सदन को दी गयी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, कृपया सदन को व्यवस्थित कीजिए। आपदा की सूचना पर विनिश्चय आ रहा है (व्यवधान)

('वेल' में बैठे माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम–310 के अन्तर्गत प्राप्त आपदा की सूचना पर श्री अध्यक्ष का विनिश्चय

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों द्वारा नियम–310 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में आयी आपदा पर प्रस्तुत सूचना विषय की तात्कालिकता, गम्भीरता एवं सम्पूर्ण प्रदेश के जनमानस की भावनाओं एवं आकांक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए मैंने इस सूचना को नियम–310 के अन्तर्गत भविष्य में इसे दृष्टांत एवं परम्परा न बनाये जाने के साथ अपवाद स्वरूप ग्राह्यता पर चर्चा के लिए स्वीकार किया।

माननीय विधायकगणों ने आपदा की गम्भीरता तथा प्रभावितों की पीड़ा का मार्मिक एवं हृदय विदारक दृश्य प्रस्तुत किया। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर मैंने स्वयं भी इस आपदा के विकराल रूप को नजदीक से देखा तथा महसूस भी किया है। ऐसी विनाशकारी आपदा मैंने अपने जीवनकाल में न देखी और न सुनी। इस आपदा से जहां एक ओर बड़ी संख्या में सड़क मार्ग, लोगों के आवास, पेयजल, विद्युत, विद्यालय भवन, चिकित्सालय आदि अवस्थापना सुविधाएं ध्वस्त एवं क्षतिग्रस्त हुई, वहीं दूसरी ओर व्यापक जनहानि तथा हजारों लोगों के लापता होने की भी सूचना है। इस त्रासदी से कृषि भूमि नष्ट होने के साथ–साथ, पर्यटन से जुड़े छोटे–बड़े सभी व्यवसायियों के रोजगार के साधन भी छिन गये।

इतनी अप्रत्याशित अकल्पनीय दैवीय आपदा के कारण व्यापक स्तर पर अपेक्षित आपदा प्रबन्धन तंत्र की पूर्व व्यवस्था न होने के बावजूद सभी उपलब्ध संसाधनों के द्वारा बचाव कार्यों को प्रारम्भ किये जाने के प्रयास किये गये। इन बचाव कार्यों में राज्य सरकार के स्थानीय प्रशासन, पुलिस बल के अतिरिक्त सेना, अर्द्धसैनिक बलों, एन0डी0आर0एफ0 आदि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया एवं अनुकरणीय भूमिका का प्रदर्शन किया। बचाव राहत कार्य के दौरान राज्य सरकार के अधिकारी/कर्मचारी, पुलिस बल, सेना, अर्द्धसैनिक बल, एन0डी0आर0एफ0 के कई जवान भी शहीद हुए। मैं पुनः सदन की ओर से इस त्रासदी में दिवंगत तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, स्थानीय निवासियों, व्यावसायियों तथा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शहीद हुए सभी लोगों के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ।

माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त जनभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये मैं निदेश देता हूँ कि सरकार द्वारा आपदा राहत कार्य में किये जाने वाले पुनर्निर्माण के कार्यों के सम्बन्ध में जो चिन्तन सदन में व्यक्त किया है, उस पर गम्भीरता से विचार किया जाय तथा चर्चा में प्रस्तुत सुझाव शासन की नीति तथा योजनाओं में परिलक्षित हों, इसके लिये आपदा राहत कार्यों में तेजी लाने, प्रभावी अनुश्रवण, समन्वय एवं पारदर्शी कार्यप्रणाली विकसित की जाय। सरकार नदियों की प्रवाह धारा सुचारू रखने तथा नदियों

से हो रहे भू–कटाव रोकने के लिये वैज्ञानिकों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं शोध संस्थाओं का सहयोग लेकर एक ठोस नीति तथा कार्यक्रम बनाकर इसे एक दीर्घकालिक योजना के रूप में क्रियान्वित करे।

श्री केदारनाथ धाम मन्दिर, जो कि उत्तराखण्ड का ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण देश की धार्मिक आस्था का प्रतीक है, उसके सम्पूर्ण क्षेत्र की सफाई का कार्य कराया जाय। जो तीर्थयात्री चारधाम यात्रा के लिये आये थे एवं स्थानीय लोग जो लापता हैं, उनको सरकार पुनः पता लगाने का प्रयास करे व कहीं पर भी कोई शव प्राप्त होता है तो पूर्ण धार्मिक विधि विधान से दाह संस्कार सुनिश्चित करे। चारों धामों की सुरक्षित यात्रा प्रारम्भ करने की भी व्यवस्था शीघ्रशीघ्र की जाय। तात्कालिक व्यवस्था के रूप में जो उत्तराखण्ड वासी अस्थाई शरणालयों में निवास कर रहे हैं, उन्हें शीतकाल से पूर्व स्थाई आवासीय व्यवस्था, जो उनकी संस्कृति एवं जीवनशैली के अनुकूल हो, उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। जहां यह सम्भव न हो वहां शीत ऋतु के लिये मूलभूत आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाय। जिला आपदा प्रबन्धन तंत्र तथा जिला रेडक्रास सोसायटी जैसी संस्थाओं का विस्तार ग्राम स्तर पर करते हुये, उन्हें प्रभावी बनाते हुये उचित अधिकार भी प्रदान किये जाये।

चारों धामों के लिये नये वैकल्पिक मार्ग तथा तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों के लिये नये सुरक्षित आवास क्षेत्र विकसित किये जायें। सरकार सड़क तथा पैदल मार्गों को आवागमन हेतु उपलब्ध कराने की व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता से करे। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण हेतु उपलब्ध अन्तराष्ट्रीय स्तर की तकनीकी का उपयोग किया जाय, जिससे भू–स्खलन न्यूनतम हो तथा सड़क के दोनों तरफ जल निकास की सुविधा तथा सघन वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जाय। मोटर मार्ग सुचारू रूप से संचालित रहे, इसके लिये छोटे–मोटे कार्यों आदि के लिये पूर्व में जो गैंगमेट की व्यवस्था संचालित थी, उसे भी लागू किया जाय। सड़क निर्माण से जुड़ी केन्द्रीय संस्था से व्यापक समन्वय स्थापित कर इसे अधिक तत्परता से कार्य करने के लिये प्रेरित किया जाय।

जिन ग्रामों को अन्यत्र पुनर्वासित किया जाना है, उनके लिये निश्चित अवधि तय करके एक ठोस कार्य योजना तैयार कर शीघ्र पुनर्वास सुनिश्चित किया जाय। जो गांव विस्थापित करने के लिये चिन्हित किये गये हैं, उन गांवो को आधुनिक गांव के रूप में मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्र में ही विस्थापित करने की योजना बनाई जाय, अगर पर्वतीय क्षेत्र में उचित भूमि उपलब्ध न हो रही हो तो फिर गांव के रूप में ही मैदानी क्षेत्र में विस्थापित किया जाय। सरकार पुनर्निर्माण तथा पुनर्वास जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी लाने तथा इसे पारदर्शी गुणवत्तायुक्त एवं समयबद्ध रूप से करने लिये एक प्रभावी आपदा प्रबन्धन तंत्र विकसित करे, जो तात्कालिक एवं दीर्घकालिक स्तर पर ऐसी त्रासदी के समय अपनी प्रभावी भूमिका निभा सके।

विशेष केन्द्रीय सहायता, केन्द्र सहायतित योजनाओं, विश्व बैक तथा एशियन डेवलपमेंट बैक आदि संस्थाओं से मिलने वाले विभिन्न संसाधनों का प्रयोग पारदर्शिता पूर्ण हो। सरकार निष्पक्ष, स्वच्छ तथा पारदर्शी रहे, जन विश्वास अर्जित करने के लिये एक प्रथम आवश्यकता है। कोई भी ऐसी बात न की जाये, जिससे उत्तराखण्ड की व्यवस्था के बारे में भय तथा संशय का वातावरण पैदा हो। पुनर्निर्माण, पुनर्वास तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को पुनःस्थापित करने में सम्पूर्ण उत्तराखण्ड की जनता, जनप्रतिनिधियों एवं सरकार को अपनी-अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुये आपसी सहयोग से एक नई कार्य संस्कृति विकसित कर इस सदन में व्यक्त की गयी भावनाओं को मूर्तरूप देना होगा, तभी हम वास्तविक रूप से इस दैवीय आपदा से प्रभावित जनमानस की भावनाओं के अनुरूप कार्य करने में सफल होंगे एवं वस्तुतः यही उन दिवंगतों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुझे विश्वास है कि इस सदन के मार्ग दर्शन में हम यह चुनौती पूर्ण करने में सफल हो सकेंगे।

अतः मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता सदन, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय आपदा प्रबन्धन मंत्री एवं सभी माननीय सदस्यों को सुनने के पश्चात नियम-310 के अन्तर्गत प्रस्तुत उक्त सूचना को उपरोक्त निदेशों के आलोक में अग्राह्य करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष-

जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून ने अपने पत्रांक-1689/आलि/2013 दिनांक 19 सितम्बर, 2013 द्वारा अवगत कराया है कि दिनांक 19 सितम्बर, 2013 को भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित विधान सभा घेराव कार्यक्रम शान्ति पूर्ण सम्पन्न हुआ। आयोजित कार्यक्रम में लगभग पांच हजार की संख्या में लोग शामिल हुए। उक्त आयोजन भारतीय जनता पार्टी के मुख्य नेताओं की अगुवाई में संचालित हुआ। दौराने विधान सभा सत्र भारतीय जनता पार्टी के निम्न विधान सभा सदस्यों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात निम्न महानुभावों ने सांकेतिक गिरफ्तारी दीः-

1. श्री अजय भट्ट, विधायक, रानीखेत (नेता प्रतिपक्ष)
2. श्री हरबन्स कपूर, विधायक, कैण्ट (पूर्व विधान सभा, अध्यक्ष)
3. श्री रमेश पोखरियाल "निशंक", विधायक, डोईवाला (पूर्व मुख्यमंत्री)
4. श्री मदन कौशिक, विधायक, हरिद्वार
5. डा0 प्रेम सिंह राणा, विधायक, नानकमत्ता

6. श्री पुष्कर सिंह धामी, विधायक, खटीमा

7. श्री दान सिंह भण्डारी, विधायक, भीमताल

8. श्री भीमलाल आर्य, विधायक, घनसाली

9. श्री अरविन्द पाण्डेय, विधायक, गदरपुर

10. श्री हरभजन सिंह चीमा, विधायक, काशीपुर

माननीय विधान सभा सदस्यों द्वारा सांकेतिक गिरफ्तारी देने का अनुरोध करने पर जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा माननीय विधान सभा, अध्यक्ष से दूरभाष पर अनुमति प्राप्त की गयी। सांकेतिक गिरफ्तारी देने के पश्चात उक्त महानुभाव अपने समर्थकों के साथ पुलिस लाईन, देहरादून लाये गये, जिन्हें ससम्मान पुलिस लाईन से विदा किया गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा जस्सोवाला की कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु शीतला नदी पर पूर्वी तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका.

*श्री नवप्रभात–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास, नगर की ग्राम सभा जस्सोवाला की हजारों बीघा कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु शीतला नदी पर पूर्वी तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री तारचंद, निवासी ग्राम सभा जस्सोवाला, विकास खण्ड, विकास नगर जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा जस्सोवाला की कृषि भूमि की बाढ़ सुरक्षा हेतु शीतला नदी पर पश्चिमी तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका.

श्री नवप्रभात–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा, जस्सोवाला की हजारों बीघा कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु शीतला नदी पर पश्चिमी तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में"श्री तारचंद, निवासी ग्राम सभा जस्सोवाला, विकास खण्ड, विकास नगर जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा केदारवाला की कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु शीतला नदी पर पश्चिमी तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा केदारावाला की कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु केदारावाला में शीतला नदी पर पश्चिमी तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में" श्री इमरान जान, निवासी ग्राम सभा केदारावाला विकासखण्ड, विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा अम्बाड़ी की कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु यमुना नदी पर तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका,

श्री नवप्रभात–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा अम्बाड़ी की कृषि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु यमुना नदी पर तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में" श्री नरेन्द्र कुमार, निवासी ग्राम सभा अम्बाड़ी, विकास खण्ड, विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकासनगर की ग्राम सभा जमनीपुर के ग्राम मलूकावाला की कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु उद्‌मादी नदी पर उत्तरी तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा जमनीपुर के ग्राम मलूकावाला की हजारों बीघा कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु उद्‌मादी नदी पर उत्तरी तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में" श्री राम प्रसाद, निवासी ग्राम सभा जमनीपुर, ग्राम मलूकावाला, विकास खण्ड, विकास नगर जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून के विकासखण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा ढ़करानी की कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु यमुना नदी पर तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा ढ़करानी की हजारों बीघा कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु यमुना नदी पर तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में" श्री मौसम सिंह, निवासी ग्राम सभा ढ़करानी, विकास खण्ड, विकास नगर जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा बादामावाला के ग्राम जीतगढ़ की कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु उद्‌मादी नदी पर उत्तरी तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा बादामावाला के ग्राम जीतगढ़ की हजारों बीघा कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु उद्‌मादी नदी पर उत्तरी तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में" श्री उम्मेद सिंह, निवासी ग्राम सभा बादामावाला, ग्राम जीतगढ़, विकास खण्ड, विकास नगर जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा नवाबगढ़ की कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु यमुना नदी पर तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका.

श्री नवप्रभात–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा नवाबगढ़ की हजारों बीघा कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु यमुना नदी पर तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में" श्री मकसद, निवासी ग्राम सभा नवाबगढ़, विकास खण्ड, विकास नगर जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की नगर पंचायत हरबर्टपुर नेशनल हाई–वे न0–72 पर देहरादून की ओर जमनीपुर खाले तक जल विकास एवं हाई–वे नं0–507 पर आसन नदी तक जल निकास हेतु नाले निर्माण के सम्बन्ध में याचिका.

श्री नवप्रभात–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की नगर पंचायत हरबर्टपुर नेशनल हाई–वे न0 507 व नेशनल हाई–वे न0 72 पर देहरादून की ओर जमनीपुर खाले तक जल निकास एवं हाई–वे न0–507 पर आसन नदी तक जल निकास हेतु नाले का निर्माण की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में" श्री नितीश नैथानी, निवासी नगर पंचायत हरबर्टपुर, विकास खण्ड, विकास नगर जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा रूद्रपुर में पेयजल नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा रूद्रपुर में पेयजल नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में" श्री अनिल कुमार, निवासी ग्राम सभा रूद्रपुर, विकास खण्ड, विकास नगर जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून के तहसील विकासनगर की नगर पंचायत हरबर्टपुर वार्ड नं0–3 में सीवरेज की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में याचिका.

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून के तहसील, विकास नगर की नगर पंचायत हरबर्टपुर में सीवरेज की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में" श्री नितीश नैथानी, निवासी नगर पंचायत नं0–03 हरबर्टपुर, विकास खण्ड, विकास नगर जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा बालूवाला की कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु शीतला नदी पर पश्चिमी तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा बालूवाला की हजारों बीघा कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु शीतला नदी पर पश्चिमी तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में" श्री उम्मेद सिंह, निवासी, ग्राम सभा बादामावाला, ग्राम जीतगढ़, विकास खण्ड, विकास नगर जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर के ग्राम सभा फतेहपुर की कृषि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु आसन नदी पर उत्तरी तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा फतेहपुर की हजारों बीघा कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु आसन नदी पर उत्तरी तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में" श्री सत्यपाल सिंह, निवासी ग्राम सभा फतेहपुर, विकास खण्ड, विकास नगर जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा जस्सोवाला की कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु आसन नदी पर उत्तरी तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा जस्सोवाला की हजारों बीघा कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु आसन नदी पर उत्तरी तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में" श्री ताराचंद, निवासी ग्राम सभा जस्सोवाला, विकास खण्ड, विकास नगर जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा बादामावाला के ग्राम छोटूवाला में कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु उद्मादी नदी पर उत्तरी तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा बादामावाला के ग्राम छोटूवाला में कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु उद्मादी नदी पर उत्तरी तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में" श्री प्रवेश कपिल, निवासी ग्राम सभा बादामावाला के ग्राम छोटूवाला, विकास खण्ड, विकास नगर जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा बैरागीवाला की कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु आसन नदी पर उत्तरी तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा बैरागीवाला की कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु आसन नदी पर उत्तरी तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में" श्री अशफाक, निवासी ग्राम सभा बैरागीवाला, विकास खण्ड, विकास नगर जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा भीमावाला की कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु यमुना नदी पर तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा भीमावाला की हजारों बीघा कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु यमुना नदी पर तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में" श्री बचन सिंह, निवासी ग्राम सभा भीमावाला, विकास खण्ड, विकास नगर जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा मेदनीपुर–बद्रीपुर में कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु आसन नदी पर दक्षिणी तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा मेदनीपुर–बद्रीपुर में कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु आसन नदी पर दक्षिणी तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में" श्री खेम सिंह., निवासी ग्राम मेदनीपुर–बद्रीपुर विकास खण्ड, विकास नगर जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा जामनखाता की कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु शीतला नदी पर पश्चिमी तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा जामनखाता की हजारो बीघा कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु शीतला नदी पर पश्चिमी तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में" श्री आनन्द चौहान, निवासी ग्राम सभा जामनखाता, विकास खण्ड, विकास नगर जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा बैरागीवाला की कृषि भूमि की बाढ़ से रोकथाम हेतु उद्‌मादी नदी पर दक्षिणी तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा बैरागीवाला की हजारों बीघा कृषि भूमि की बाढ़ से रोकथाम हेतु उद्‌मादी नदी पर दक्षिणी तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में" कुमारी बीना, निवासी ग्राम सभा बैरागीवाला, विकास खण्ड, विकास नगर जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन' सदस्य, विधान सभा की विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन' सदस्य, विधान सभा ने अपने पत्र दिनांक 04 अगस्त, 2011 द्वारा यह अभिसूचित किया है कि उत्तराखण्ड के सरकारी गेस्ट हाऊस (उत्तराखण्ड निवास) नई दिल्ली की व्यवस्था में घोर अनियमितताएं एक अर्से से देखी जा रही है तथा जनप्रतिनिधिगण के उत्तराखण्ड निवास में प्रवास हेतु पहुंचने पर कक्ष की स्थिति और उपयोगार्थ सामान बहुत ही घटिया स्तर पर उपलब्ध कराया जाता है। माननीय सदस्य द्वारा अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि दिनांक 01 और 02 अगस्त, 2011 को उन्हें एवं उनके साथी कार्यकर्ताओं को बासी दाल तथा कच्ची रोटी परोसी गई थी। उनके द्वारा विरोध करने पर व्यवस्थाधिकारी, उत्तराखण्ड निवास ने कहा कि यहां ऐसी ही व्यवस्था है। उनके द्वारा व्यवस्थाधिकारी, उत्तराखण्ड निवास, नई दिल्ली के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दी गई।

माननीय सदस्य द्वारा अभिसूचित उपरोक्त सूचना के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पत्र दिनांक 20 नवम्बर, 2012 द्वारा वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी, उत्तराखण्ड निवास, नई दिल्ली द्वारा अवगत कराया गया है कि माननीय विधायक जी के द्वारा दिनांक 30 जुलाई, 2011 से 06 अगस्त, 2011 तक उत्तराखण्ड निवास में अध्यासन के दौरान उनके 16 कार्यकर्ताओं एवं निजी स्टाफ द्वारा अतिथिगृह में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिस कारण किचन कर्मचारियों द्वारा अपना कार्य बन्द कर दिया गया। उक्त घटना को माननीय विधायक जी के संज्ञान में लाये जाने पर माननीय सदस्य द्वारा भविष्य में उनके स्टाफ द्वारा कर्मचारियों के साथ कोई दुर्व्यहार नहीं किये जाने का आश्वासन दिया गया। वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि माननीय विधायक जी एवं उनके स्टाफ को सदैव ही अतिथिगृह द्वारा आदर एवं सम्मान दिया गया है। उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त अध्यासन अवधि में यदि माननीय सदस्य को कोई असुविधा हुई हो तो उसके लिए उनके द्वारा माननीय सदस्य से क्षमा याचना की गई है।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि उत्तराखण्ड निवास, नई दिल्ली में माननीय विधायक जी के प्रवास के दौरान हुई असुविधा के लिए शासकीय पत्रांक—1256/XXXII/2011 दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 द्वारा सम्बन्धित वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी को आगाह कर दिया गया है। साथ ही वस्तुस्थिति से शासकीय पत्रांक—1318/XXXII/2011-05 (दो)2011, दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 द्वारा माननीय विधान सभा सचिवालय को अवगत करा दिया गया है। उपरोक्त के दृष्टिगत उत्तराखण्ड निवास, नई दिल्ली में पधारने वाले महानुभावों के साथ उनकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए उनके साथ सदैव की भांति मर्यादित एवं संयमित व्यवहार सुनिश्चित किया जाता रहेगा।

माननीय सदस्य द्वारा दी गई सूचना तथा माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त वस्तुस्थिति की जानकारी के फलस्वरूप मैं उक्त सूचना को विशेषाधिकार हनन के रूप में अग्राह्य करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राजेश शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

श्री राजेश शुक्ला, मा0 सदस्य विधान सभा ने दिनांक 01 जून, 2012 के उपवेशन की कार्यवाही एवं अपने पत्र दिनांक 07/12/12 द्वारा यह अभिसूचित किया है कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के एक छात्रावास में 20 मई, 2012 को गैस सिलेण्डर के फट जाने से हुई भीषण दुर्घटना में घायलों एवं मृतकों को, सदन की कार्यवाही के दौरान मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा मृतक आश्रितों को 1,50,000 रूपये तथा अन्य घायलों को उनके जलने के प्रतिशत के आधार पर व चिकित्सालय में उपचार कराने की अवधि के आधार पर तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने की घोषणा किये जाने के 6 माह उपरान्त भी, कोई आर्थिक सहायता सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने पर विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है।

माननीय सदस्य द्वारा अभिसूचित उपरोक्त सूचना के संबंध में माननीय आपदा प्रबंधन मंत्री द्वारा दिनांक 20 मई, 2012 को गोविन्द बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर के सरोजनी छात्रावास में गैस सिलेण्डर फटने से घायल व मृत व्यक्तियों को मा0 मुख्यमंत्री राहत कोष से अ0शा0प0सं0–डी0–1057/XXXI-14/2012-13, दिनांक 08 मार्च, 2013 के द्वारा 05 मृत व्यक्तियों को 50,000/– रूपये प्रति व्यक्ति एवं 03 घायल व्यक्तियों को 20,000/– रूपये प्रति व्यक्ति की दर से कुल रू0 3,10,000/– की धनराशि राहत विवरण हेतु जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर को आवंटन हेतु स्वीकृत किए जाने का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त मा0 आपदा प्रबंधन मंत्री द्वारा गैस सिलेण्डर फटने से हुआ अग्निकाण्ड एक दुर्घटना होने तथा आपदा राहत मानकों से आच्छादित न होने के कारण अन्य किसी मद से कोई सहायता नहीं दिए जा सकने व इसी कारण इस दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों को घटना के तत्काल बाद राहत राशि अनुमन्य नहीं कराये जाने का उल्लेख किया है।

मा0 सदस्य द्वारा दी गई सूचना तथा माननीय आपदा प्रबंधन मंत्री से प्राप्त वस्तुस्थिति की जानकारी के फलस्वरूप मैं उक्त सूचना को विशेषाधिकार हनन के रूप में अग्राह्य करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल की प्रबन्ध परिषद के पदेन सदस्यों को नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष, वि0स0 को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) की धारा 10(1)(जी)10(3)10(4) के अन्तर्गत निर्धारित व्यवस्था के अनुसार 02 माननीय विधान सभा सदस्यों को यह सदन उत्तराखण्ड औद्योनिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल की प्रबन्ध परिषद के पदेन सदस्य के रूप में नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष विधान सभा को प्राधिकृत करता है तथा इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत निर्वाचित समझे जायेंगे।

अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2013

श्री अध्यक्ष–

क्या कोई माननीय सदस्य इसमें संशोधन का प्रस्ताव करना चाहता है? (किसी भी माननीय सदस्य ने संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया।)

परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री सुरेन्द्र राकेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2013

(उत्तराखण्ड विधेयक सं0 वर्ष 2013)

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 12 वर्ष 2003) में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

धारा–4 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा–4 में–

(1) उपधारा (1–क) में वर्तमान परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित एक नया परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात–

"परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन किसी तीन पहिया मोटर कैब के सम्बन्ध में ऐसी दर पर तिमाही कर का भी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा उसके सम्बन्ध में अधिसूचित किया जाय, भुगतान किया जा सकेगा।"

(2) उपधारा (2) में वर्तमान परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित एक नया परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात,–

"परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन किसी मोटरकैब और मैक्सीकैब के सम्बन्ध में ऐसी दर पर मासिक कर का भी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा उसके सम्बन्ध में अधिसूचित किया जाय, भुगतान किया जा सकेगा।"

धारा–9 का संशोधन 3. मूल अधिनियम की धारा–9 की उपधारा (1) के खण्ड (दो) एवं खण्ड (तीन) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात–

"(दो) धारा–4 की उपधारा (1–क) के अधीन संदेय कर, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन मोटरयान के रजिस्ट्रीकरण के समय, तीन पहिया मोटरकैब के लिये एक तिमाही के लिये अग्रिम में और अन्य के लिये एक वर्ष के लिये अग्रिम में और तत्पश्चात यथा स्थिति प्रत्येक अगले अनुवर्ती तिमाही के प्रथम कैलेण्डर माह के पन्द्रह तारीख को या उसके पूर्व या अगले अनुवर्ती वर्ष के प्रथम कैलेण्डर माह के पन्द्रह तारीख को या उसके पूर्व, संदेय होगा,

"(तीन) धारा–4 की उपधारा (2) के अधीन संदेय कर, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण के समय, मोटर कैब की मैक्सी कैब के लिये एक कैलेण्डर माह के लिये अग्रिम में और अन्य के लिये एक त्रैमास के लिये अग्रिम में और तत्पश्चात यथा स्थिति प्रत्येक अगले अनुवर्ती कैलेण्डर माह के पन्द्रह तारीख या उसके पूर्व या प्रत्येक अगले अनुवर्ती त्रैमास के प्रथम कैलेण्डर माह के पन्द्रह तारीख या उसके पूर्व संदेय होगा."

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक 2013 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण)] (संशोधन) विधेयक, 2013

श्री अध्यक्ष–

क्या कोई माननीय सदस्य इसमें संशोधन का प्रस्ताव करना चाहता है?

(किसी भी माननीय सदस्य ने संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण)] (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण)] (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–4 तक खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण)] (संशोधन) विधेयक, 2013

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या, सन्, 2013)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 (अधिनियम संख्या 17 सन् 1976) (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में संशोधन करने हेतु–

विधेयक

भारतगण राज्य के 64वें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा–2 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा–2 के खण्ड (क–3) के उपरान्त निम्न खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात–

(क–3(क))"विधिक प्रतिनिधि" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी मृत व्यक्ति की सम्पदा का विधिक दृष्टिकोण से प्रतिनिधित्व करता हो और इसमें पेंशनिक, सेवानिवृत्ति, सेवान्त या अन्य लाभ प्राप्त करने का अधिकार धारण करने वाला व्यक्ति भी सम्मिलित है।

धारा–3 का संशोधन 3. मूल अधिनियम की धारा–3 में उपधारा (8) (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात–

(क) अध्यक्ष / उपाध्यक्ष के मामले में सड़सठ वर्ष और,

(ख) किसी अन्य सदस्य के मामले में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो।

धारा–4 का संशोधन 4. मूल अधिनियम की धारा–4 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात

(1) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति, जो लोक सेवक हो या रहा हो और अधिकरण की अधिकारिता के भीतर किसी सेवा सम्बन्धी मामले के सम्बन्ध में किसी आदेश से व्यथित हो, अपनी शिकायत को दूर कराने के लिए अधिकरण को दावा निर्दिष्ट कर सकेगा।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजन के लिए "आदेश" का तात्पर्य राज्य सरकार या धारा–2 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य निगम या कम्पनी द्वारा या राज्य सरकार या ऐसे स्थानीय प्राधिकारी या निगम के किसी अधिकारी, समिति या अन्य निकाय या अधिकरण, द्वारा दिये गये किसी आदेश या लोप या निष्क्रियता से है,

परन्तु यह कि किसी करार के निबन्धनों के अधीन रहते हुए किसी लोक सेवक के स्थानान्तरण से उत्पन्न होने वाले किसी दावा के बारे में कोई निर्देश नहीं किया जायेगा,

परन्तु यह और कि किसी लोक सेवक की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके विधिक प्रतिनिधि और जहां दो या दो से अधिक विधिक प्रतिनिधि हो, सभी संयुक्त रूप से ऐसे मृत लोक सेवक के देय वेतन, भत्ता ग्रेच्यूटी, भविष्य निधि, पेशन तथा अन्य सेवा सम्बन्धी आर्थिक लाभों हेतु अधिकरण के समक्ष दावा निर्दिष्ट कर सकें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–4 तक खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण)] (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण)] (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उपयोजना (नियोजन, धनावंटन तथा उपयोग) विधेयक, 2013

श्री अध्यक्ष–

क्या कोई माननीय सदस्य संशोधन का प्रस्ताव रखना चाहते हैं?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा संशोधन का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री सुरेन्द्र राकेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उप योजना और जन जाति उप योजना (नियोजन, धनावंटन तथा उपयोग) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उप योजना और जन जाति उप योजना (नियोजन, धनावंटन तथा उपयोग) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–29 तक खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना (नियोजन, धनावंटन तथा उपयोग) विधेयक, 2013

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या   वर्ष 2013)

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का त्वरित विकास सुनिश्चित करने, समानता प्राप्ति पर विशेष बल प्रदान करने, आर्थिक, शैक्षिक और मानव विकास को केन्द्रित करने के साथ सुरक्षा और सामाजिक गरिमा सुनिश्चित करने तथा उत्तराखण्ड राज्य के सम्पूर्ण योजना परिव्यय में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों

की जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना परिव्यय का निर्धारण करते हुए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मध्य समानता को प्रोत्साहित करने और इनके क्रियान्वयन तथा सम्बन्धित अथवा आनुषांगिक विषयों हेतु प्रभावी संस्थागत प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो:-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना (नियोजन, धनावंटन तथा उपयोग) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाएं

2 इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) "राज्य" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;

(ख) "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(ग) "राज्य समिति" से समाज कल्याण मंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण समिति अभिप्रेत है;

(घ) "नोडल विभाग" से उत्तराखण्ड राज्य का समाज कल्याण विभाग अभिप्रेत है;

(च) "अनुसूचित जाति" तथा "अनुसूचित जनजाति" से 'भारत का संविधान' में निर्दिष्ट अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अभिप्रेत है;

(छ) "अनुसूचित जाति उप योजना" से अनुसूचित जातियों के विकास में पिछड़ेपन को दूर करने हेतु वार्षिक योजना में सम्मिलित करने के लिए राज्य स्तरीय समिति के द्वारा अनुमोदित योजना प्रस्ताव अभिप्रेत है;

(छ) "अनुसूचित जाति उप योजना" से अनुसूचित जातियों के विकास में पिछड़ेपन को दूर करने हेतु वार्षिक योजना में सम्मिलित करने के लिए राज्य स्तरीय समिति के द्वारा अनुमोदित योजना प्रस्ताव अभिप्रेत है;

(झ) "जनजाति उप योजना" से अनुसूचित जनजातियों के विकास में पिछड़ेपन को दूर करने हेतु वार्षिक योजना में सम्मिलित करने के लिए राज्य समिति के द्वारा अनुमोदित योजना प्रस्ताव अभिप्रेत है;

(ञ) "अनुसूचित जाति उप योजना परिव्यय/जनजाति उप योजना परिव्यय" से राज्य योजना राशि का वह अंश अभिप्रेत है, जो धारा–3 में निर्धारित की गयी है;

(ट) "अनुसूचित जाति उप योजना/जनजाति उप योजना की योजना" से विभागों द्वारा अनुसूचित जाति उप योजना तथा जनजाति उप योजना में सम्मिलित की गई योजनाएं अभिप्रेत है;

(ठ) "सामान्य योजना" से विभागों द्वारा वार्षिक योजना में सम्मिलित की गयी योजना अभिप्रेत है, जिससे समस्त जनसंख्या समूह जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भी सम्मिलित है, लाभान्वित होती है;

(ड) "विभाग" से ऐसा विभाग अभिप्रेत है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ योजनाएं संचालित करता है;

(ढ) "विकास में विषमता" से विकास के सूचकांकों में राज्य के औसत तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मध्य व्याप्त अन्तर अभिप्रेत है;

(ण) "उप योजना" से अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना अभिप्रेत है,

(त) "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (ग्राम/बस्ती/रिहाईश)" से ऐसे ग्राम/बस्ती/रिहाईश अभिप्रेत है, जहां पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या के चालीस प्रतिशत से कम न हों;

(थ) "अधिसूचना" से उत्तराखण्ड के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है।;

अध्याय दो

अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना के अन्तर्गत योजनाओं एवं वित्तीय संसाधनों का निर्धारण

राज्य योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना परिव्यय का निर्धारण

3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य योजना की एक निश्चित राशि, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के समानुपातिक हो, अनुसूचित जाति उप योजना तथा जनजाति उप योजना के लिए निर्धारित की जायेगी। परिव्यय की राशि का निर्धारण आगामी वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व किया जायेगा। वार्षिक राज्य योजना के आकार में परिवर्तन होने पर अनुसूचित जाति उप योजना तथा जनजाति उप योजना परिव्यय को तदनुसार संशोधित किया जायेगा। अनुसूचित जाति उप योजना तथा जनजाति उप योजना के अन्तर्गत निर्धारित धनराशि का लेखा–जोखा पृथक से रखा जायेगा।

उप योजना परिव्यय निर्धारण की सूचना

4. राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत नोडल विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार अन्य विभागों को प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना हेतु निर्धारित परिव्यय में से अनन्तिम परिव्यय का आवंटन विभागीय अनुसूचित जाति उप योजना एवं जनजाति उप योजना गठित करने हेतु किया जायेगा

अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना अन्तर्गत सम्मिलित योजनाएँ

5. विभागीय अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना में ऐसी योजनाएं सम्मिलित की जायेगी जिनका प्रत्यक्ष एवं परिमाणक लाभ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के परिवार, बस्ती या जनजाति अधिसूचित क्षेत्र को प्राप्त होगा तथा इनके क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप विकास की विषमता दूर हो सके। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम/अनुसूचित जाति बस्ती/तोक/मजरा/वार्ड, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्राम/अनुसूचित जनजाति बस्ती/तोक/मजरा/वार्ड केन्द्रित क्षेत्रीय विकास की योजनाओं को अनुसूचित जाति उप योजना/जनजाति उप योजना में सम्मिलित किया जायेगा।

परन्तु यह कि योजनाओं का चयन एवं गठन राज्य नियोजन विभाग द्वारा वार्षिक योजना एवं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुरूप किया जायेगा।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों में समानता के लिए प्रोत्साहन

6. विभागों द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विभिन्न उप समूहों के समान विकास तथा इन समूहों के पिछड़ी हुयी बस्ती को केन्द्रित करते हुए योजनाएं बनायी जायेगी।

सामान्य योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को लाभान्वित करना

7. विभागों द्वारा सामान्य योजनाओं के अन्तर्गत भी अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को पात्रतानुसार लाभान्वित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना का गठन

8. नोडल विभाग से सूचना प्राप्ति होने पर विभिन्न विभाग अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की वास्तविक आवश्यकताओं का निर्धारण प्रक्रिया के अनुसार आंकलन करने के उपरान्त राज्य योजना की प्राथमिकताओं के अनुरूप अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना का गठन करेंगे।

उप योजनाओं का प्रेषण

9. प्रत्येक विभाग नोडल विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर समयावधि में अनुसूचित जाति उप योजना तथा जनजाति उप योजना नोडल विभाग को राज्य समिति के परीक्षण एवं अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

अध्याय–तीन

अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना का मूल्यांकन, निर्धारण तथा अनुमोदन

राज्य समिति द्वारा उपयोजना प्रस्तावों का परीक्षण

10. राज्य समिति द्वारा विभागों से अनुसूचित जाति उप योजना तथा जनजाति उप योजना के अन्तर्गत प्राप्त योजनाओं का परीक्षण इस अधिनियम में निर्धारित मानकों के सापेक्ष किया जायेगा।

अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना के अन्तर्गत सम्मिलित योजनाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था के मानक

11. राज्य समिति के द्वारा विभागों से प्राप्त अनुसूचित जाति उप योजना तथा जनजाति उप योजना का मूल्यांकन निम्न मानकों के आधार पर किया जायेगाः

(क) ऐसी योजनाएं जिनका सम्पूर्ण लाभ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति अथवा परिवार को मिलेगा, उन योजनाओं के लिए शत–प्रतिशत धनराशि अनुसूचित जाति उप योजना तथा जनजाति उप योजना के नामें डाला जायेगा;

(ख) ऐसी योजनाऐं, जिनका शत–प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ग्राम/बस्ती/रिहाईश/तोक/मजरा/वार्ड को मिलेगा, उन योजनाओं के लिए शत प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था अनुसूचित जाति उप योजना/जनजाति उप योजना मद से की जायेगी। अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों के अतिरिक्त अन्य ग्रामों में संचालित/क्रियान्वित किये जाने वाले ऐसे कार्यक्रम/योजनायें जिनका लाभ केवल अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के समूह को प्राप्त होता है तो उन्हें भी लाभान्वित वर्ग के अनुसार अनुसूचित जाति उप योजना अथवा जनजाति उप योजना, जैसी स्थिति हो, के अन्तर्गत सम्मिलित किया जायेगा;

(ग) सामान्य योजनाओं में व्यय की जाने वाली ऐसी धनराशि, जिससे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या लाभान्वित होती है, में से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जाति उप आनुपातिक जनसंख्या के आधार पर धनराशि अनुसूचित जाति उप योजना और अनुसूचित जनजाति उप योजना मद में डाली जायेगी;

(घ) अविभाज्य प्रकृति की योजनाओं में होने वाले व्यय में से अनुसूचित जाति उपयोजना तथा जनजाति उपयोजना मद में दर्शायी जाने वाली धनराशि का निर्धारण नोडल विभाग द्वारा किया जायेगा।

राज्य समिति की संस्तुति

12. राज्य समिति द्वारा अधिनियम में उल्लिखित मानकों के अनुरूप प्राप्त प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान किया जायेगा ताकि विभाग बजट की प्रक्रिया पूर्ण करा सकें।

अध्याय–चार

बजट प्राविधान, विवरण तथा क्रियान्वयन संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण

बजट निर्धारण

13. अनुसूचित जाति उप योजना तथा जनजाति उप योजना के लिए राज्य समिति द्वारा अनुमोदित परिव्यय/बजट को विभिन्न विभागों की सुसंगत लेखाशीर्षक के अन्तर्गत क्रमशः अनुदान संख्या–30 एवं 31 की मांग में सम्मिलित किया जायेगा।

वित्त विभाग में उप योजना हेतु पृथक अनुभाग

14. वित्त विभाग द्वारा इस अधिनियम में निर्धारित प्राविधानों के अनुरूप बजट आवंटन तथा क्रियान्वयन के कार्यों को सम्पादित करने के लिए सरकार वित्त विभाग को, वित्त विभाग में उपलब्ध संसाधनों तथा निर्धारित प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में जैसा उपयुक्त हो, सुदृढ़ करेगी।

बजट आंबटन

15. विधायिका द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार बजट पारित किये जाने के उपरान्त अनुसूचित जाति उप योजना एवं जनजाति उप योजना मद में आय–व्ययक अनुमान में निर्धारित बजट को सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी किया जायेगा।

अध्याय–पांच

संस्थागत व्यवस्थाएं

राज्य समिति का गठन

16 (1) राज्य सरकार अधिसूचना से इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात समाज कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में "राज्य अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण समिति" का गठन करेगी। राज्य समिति इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों में निहित अधिकारों एवं कृत्यों का निष्पादन करेगी।

(2) राज्य समिति वर्ष में न्यूनतम दो बार बैठक करेगी।

राज्य समिति के कृत्य

17. राज्य समिति–

(क) राज्य सरकार को अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना से सम्बन्धित नीति विषयक परामर्श देगी;

(ख) विभागों को योजनाओं के गठन एवं क्रियान्वयन के लिए सुझाव देगी;

(ग) नोडल विभाग की सहायता से विभागों द्वारा प्रस्तुत अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना प्रस्तावों का मूल्यांकन अधिनियम में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत करेगी;

(घ) विभागों की वार्षिक अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना प्रस्तावों का अनुमोदन करेगी;

(ङ) अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा एवं अनुश्रवण करेगी;

(च) उप योजना के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों की पहचान तथा निराकरण के लिए सुझाव देगी;

(छ) ऐसे अन्य कार्य जो अपेक्षित है, को सम्पादित करेगी;

टिप्पणी—राज्य समिति के निर्देश समस्त विभागों के लिए बाध्यकारी होंगे।

नोडल विभाग

18. राज्य समिति को अपने अधिकारों के उपयोग तथा कार्यों के निर्वहन में सहयोग प्रदान करने के लिए समाज कल्याण विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा।

नोडल विभाग के कृत्य

19. नोडल विभाग के निम्नलिखित कृत्य होंगे; अर्थात :—

(क) अनुसूचित जाति उप योजना तथा जनजाति उप योजना के गठन के लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करना;

(ख) अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना के अन्तर्गत विभागों से प्राप्त प्रस्तावों को संकलित करते हुए राज्य समिति के विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना;

(ग) एक विभाग से दूसरे विभाग में अनुसूचित जाति उप योजना एवं जनजाति उप योजना परिव्यय का पुनर्विनियोग करना;

(घ) अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना के क्रियान्वयन व्यय, परिणाम उपलब्धि आदि सूचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए वेबपोर्टल तैयार करना।

नोडल विभाग के सुदृढ़ीकरण के लिए पृथक से प्रशासनिक एवं तकनीकी इकाई की स्थापना

20. राज्य समिति को सहायता प्रदान करने तथा निर्धारित कृत्यों के निर्वहन के लिए राज्य सरकार नोडल विभाग के स्तर पर अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना प्रशासनिक एवं तकनीकी इकाई को आवश्यकतानुसार सुदृढ करेगी।

विभागों के स्तर पर उप योजना सहायता इकाई

21. राज्य समिति द्वारा अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना के लिए चिन्हांकित विभाग भी "उप योजना सहायता इकाई" का गठन आवश्यकतानुसार कर सकेंगे।

जिला स्तर पर अनुसूचित जाति उप योजना/जनजाति उप योजना क्रियान्वयन

22. (1) राज्य सरकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला अनुश्रवण समिति का गठन करेगी, जो जिले स्तर पर अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी।

(2) प्रत्येक जनपद की "जिला योजना समिति" अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना के क्रियान्वयन की सामयिक समीक्षा करेगी।

प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संस्थागत सुदृढ़ीकरण

23. सभी सम्बन्धित विभाग अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना के प्रभावी क्रियान्वयन तथा समीक्षा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने, स्टाफ की व्यवस्था करने तथा स्टाफ को निर्धारित प्रशिक्षण दिलाने आदि ऐसे उपाय करेगे जो राज्य, जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय विभागीय इकाई के लिए आवश्यक है।

अध्याय–छः

अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व निर्धारण

पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व–

24. (1) प्रत्येक विभाग अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व सुनिश्वित करेगा।

(2) प्रत्येक विभाग सूचनाओं को जन उपयोगार्थ "पब्लिक डोमेन" में स्थापित करेगा।

i`jLdkj ,oa n.M

25. सरकार इस अधिनियम में निहित उत्तरदायित्वों के निर्वहन करने वाले कार्मिकों एवं अधिकारियों को उत्कृष्ट कार्य के अभिप्रेरण हेतु पुरस्कार प्रदान करने तथा कार्य में समुचित परिश्रम न करने एवं उदासीनता बरतने वालों को दण्डित करने हेतु उपयुक्त व्यवस्था करेगी।

okf"kZd fjiksVZ dk izLrqrhdj.k

26. नोडल विभाग अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना के क्रियान्वयन के परिणाम, विभागवार प्रगति तथा सम्बन्धित वर्ष में अनुप्रयुक्त रह गयी धनराशि की वार्षिक रिपोर्ट मंत्रिमण्डल को प्रस्तुत करेगा।

नियम बनाने की शक्ति 27. (1) राज्य सरकार, अधिनियम के अन्य प्राविधानों के अध्यधीन रहते हुए, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के किन्ही अथवा समस्त प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी विषयों या किन्ही विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा; अर्थातः—

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास में विषमता का निर्धारण;

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के अधीन अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना के परिव्यय का निर्धारण;

(ग) अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना की योजनाओं का चिन्हांकन तथा विभाग द्वारा उप योजनाओं का निर्माण;

(घ) नोडल विभाग के मूल्यांकन हेतु अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना बजट प्रस्तावों को तैयार करना;

(ङ) अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना के व्यय की समीक्षा हेतु वित्त विभाग का सुदृढ़ीकरण करना;

(च) राज्य अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण समिति के गठन तथा कृत्यों, राज्य समिति के गैर सरकारी सदस्यों की योग्यता, निर्योग्यता तथा मानदेय का निर्धारण करना;

(छ) राज्य अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना के लिए नोडल विभाग नामित करना;

(ज) नोडल विभाग द्वारा "वेब पोर्टल" का रखरखाव;

(झ) नोडल विभाग में पृथक अनुसूचित जाति उप योजना/जनजाति उप योजना प्रशासनिक एवं तकनीकी इकाई की स्थापना;

(ञ) विभागों के स्तर पर उपयोजना सहायता इकाई की स्थापना;

(ट) जिला अनुश्रवण समिति का गठन तथा सम्बन्धित विषयों का निर्धारण;

(ठ) प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य, जिला, विकास खण्ड स्तर पर संस्थान सुदृढ़ीकरण, जागरूकता, जनसम्पर्क कार्यक्रम तथा अनुसूचित जाति उप योजना एवं जनजाति उप योजना की समीक्षा;

(ड) अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना क्रियान्वयन में पाददर्शिता एवं उत्तरदायित्व की प्रक्रिया।

(3) राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति

28. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, ऐसे आदेश द्वारा जो इस अधिनियम के उपबन्धों के असंगत न हो, कठिनाई दूर कर सकेगी:

परन्तु यह कि ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश पारित किये जाने के पश्चात, यथाशीघ्र, विधानसभा के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन एवं अपवाद

29 (1) उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना (नियोजन, धनावंटन तथा उपयोग) अध्यादेश, 2013 (अध्यादेश संख्या 02 वर्ष 2013) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–29 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उप योजना और जन जाति उप योजना (नियोजन, धनावंटन तथा उपयोग) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उप योजना और जन जाति उप योजना (नियोजन, धनावंटन तथा उपयोग) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2013

श्री अध्यक्ष–

क्या कोई माननीय सदस्य संशोधन का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा संशोधन का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूं कि उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–4 तक खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2013

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या वर्ष 2013)

(भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा अधिनियमित)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1971) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

विधेयक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह दिनांक 13 मार्च, 2012 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

धारा–3 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धार–3 के खण्ड (भ) में पूर्व निकायों के अतिरिक्त निम्नलिखित निकाय अन्तःस्थापित कर दिए जायेंगे, अर्थात–

"(58) उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम;

(59) उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड;

(60) उत्तराखण्ड राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण अभिकरण;

(61) उर्दू संस्थान;

(62) पंजाबी संस्थान।;

व्यावृत्ति

3. ऐसे संशोधनों के होते हुए भी अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

निरसन और अपवाद

4 (1) उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 2013 इसके द्वारा निहित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–4 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूं कि उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2013

श्री अध्यक्ष–

क्या कोई माननीय सदस्य संशोधन का प्रस्ताव रखना चाहते हैं?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा संशोधन का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री (श्री हरक सिंह रावत) –

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2013

(उत्तराखण्ड का विधेयक संख्या वर्ष 2013)

उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 में अग्रेत्तर संशोधन के लिए भारत गणराज्य के 64 वें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

विधेयक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2013" होगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा–61 में प्रतिस्थापन 2. मूल अधिनियम, 2011" की धारा–61(2)(दस) निम्नवत प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, अर्थातः–

"धारा–61(2)(दस)– इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने या विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के विपणन को सामान्य रूप से विनियमित करने के लिए कोई अन्य प्रयोजन,

परन्तु यह कि मण्डी क्षेत्र में सम्पर्क मार्गों, गलियों के निर्माण एवं अनुरक्षण में इस निधि का अधिकतम 50 प्रतिशत ही व्यय किया जाएगा।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

हेमवती नन्दन बहुगुणा सम्बद्धक चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 पर वापसी का प्रस्ताव

कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री (श्री हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि हेमवती नन्दन बहुगुणा सम्बद्धक चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि हेमवती नन्दन बहुगुणा सम्बद्धक चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

हिमालयन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

श्री अध्यक्ष–

क्या कोई माननीय सदस्य संशोधन का प्रस्ताव रखना चाहते हैं?

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा संशोधन का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूं कि हिमालयन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि हिमालयन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

हिमालयन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

(विधेयक संख्या................ वर्ष 2013)

हिमालयन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अधिनियम में संशोधन

2. हिमालयन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 में जहां–जहां शब्द "हिमालयन विश्वविद्यालय" आये हैं, वहां–वहां वह शब्द "स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय" पढ़े जायेंगे।

व्यावृत्ति 3. ऐसे संशोधन के होते हुए भी मूल अधिनियम के अधीन कही गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन कही गयी समझी जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि हिमालयन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि हिमालयन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या–44 (1) पर माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक जी का नाम पुकारे जाने पर, सदन व्यवस्थित नहीं होने के कारण संकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया।)

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या–44 (2) पर माननीय सदस्य श्री हरबन्स कपूर जी का नाम पुकारे जाने पर, सदन व्यवस्थित नहीं होने के कारण संकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया।)

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या–44 (3) पर माननीय सदस्य श्री बिशन सिंह चुफाल जी का नाम पुकारे जाने पर, सदन व्यवस्थित नहीं होने के कारण संकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया।)

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या–44 (4) पर माननीय सदस्य श्री भीमलाल आर्य जी का नाम पुकारे जाने पर, सदन व्यवस्थित नहीं होने के कारण संकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया।)

राज्य सरकार द्वारा जनपद चमोली के गैरसैंण (चन्द्रनगर) में उत्तराखण्ड विधान सभा का ग्रीष्मकालीन सत्र प्रतिवर्ष किये जाने निर्णय के दृष्टिगत वर्तमान अस्थाई राजधानी देहरादून को स्थाई राजधानी घोषित किये जाने सम्बन्धी असरकारी संकल्प पर चर्चा

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी:–

"इस माननीय सदन की सर्वसम्मत राय है कि राज्य सरकार द्वारा जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैंण (चन्द्रनगर) में उत्तराखण्ड विधान सभा का ग्रीष्मकालीन सत्र प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने के निर्णय के दृष्टिगत प्रदेश की वर्तमान अस्थाई राजधानी देहरादून को राजधानी क्षेत्र की सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होने के आधार पर स्थाई राजधानी घोषित किया जाय।"

प्रदेश में घरेलू गैस की आपूर्ति में आ रही कठिनाई के कारण प्रदेश की जनता को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए एक पारदर्शी नीति बनाये सम्बन्धी असरकारी संकल्प पर चर्चा

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी:–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में घरेलू गैस की आपूर्ति में आ रही कठिनाई के कारण प्रदेश की जनता को ही रही परेशानी को दूर करने के लिए एक पारदर्शी नीति बनाई जाय।"

उत्तराखण्ड राज्य को ग्रीन बोनस दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–105 के अन्तर्गत प्रस्ताव

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी:–

"यह माननीय सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड राज्य की ग्रीन बोनस दिया जाय।"

देहरादून के धर्मावाला नामक स्थान को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के निकतम स्थान तक सीधे रेल लाइन से जोड़ने के लिए एक नये रेल मार्ग की स्वीकृति सम्बन्धी नियम–105 के अन्तर्गत प्रस्ताव

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी:–

"यह माननीय सदन रेल मंत्रालय केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड राज्य देहरादून के धर्मावाला नामक स्थान को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के निकटतम स्थान तक सीधे रेल मार्ग से जोड़ने के लिए एक नये रेल मार्ग की स्वीकृति दी जाय।"

उत्तराखण्ड राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लोगों को संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत बैकलाग के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरम्भ करने हेतु तत्काल अधिनियम बनाये जाने सम्बन्धी नियम–105 के अन्तर्गत प्रस्ताव

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री हरिदास, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगीः–

> "उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत बैकलाग के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरम्भ करने हेतु तत्काल अधिनियम बनाकर पारित किया जाय।"

नियम–54 के अन्तर्गत सूचना

श्री नव प्रभात

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित सूचना को प्रस्तुत कर रहा हूँ। "दिनांक 22–03–2013 से राज्य में उत्तराखण्ड नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली वर्ष 2013 लागू हो गयी है।

उत्तराखण्ड राज्य में चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति अभी भी बहुत संतोषजनक नहीं है विशेषकर सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में तो चिकित्सा सुविधा का लगभग अभाव है।

राज्य सरकार को चिकित्सा सुविधा विशेषकर सुपर स्पेशिलिटी के क्षेत्र में बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

हमारे राज्य के निवासियों को सस्ती दरों पर चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है, परन्तु इस नियमावली के प्रावधानों से चिकित्सा सुविधा का खर्च बहुत अधिक बढ़ता हुआ प्रतीत होता है।

इस स्थिति में राज्य में निजी क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा का विकास जनहित में आवश्यक है। निजी क्षेत्र की भागीदारी इस नियमावली पर ही आधारित होगी।

यह नियमावली केन्द्र सरकार के अधिनियम, 2010 पर आधारित है। उत्तराखण्ड के विशेष भौगोलिक तथा अवस्थापना स्थितियों के अनुरूप इसे संशोधित तथा परिवर्तित नहीं किया गया है।

इण्डियन मेडिकल एसोसिएरशन यू0ए0 स्टेट ब्रांच ने इस नियमावली पर अपने सुझाव शासन के समक्ष प्रस्तुत किये हैं, परन्तु अभी तक समस्या के निदान के लिये कार्यवाही नहीं हो सकी है।"

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगीः–

"प्रदेश में ऊर्जा की कमी को देखते हुए राज्य में ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार हेतु एक समिति बनायी जाय जो सरकार को एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।"

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगीः–

"जनपद देहरादून के पछवादून क्षेत्र की नदियों में चुगान का कार्य जो गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा वन विकास निगम द्वारा किया जा रहा था, के तीन वर्षों से पूर्णतया बन्द होने के कारण निर्माण सामग्री की लागत बढ़ जाने, सरकारी निर्माण कार्य बाधित होने तथा राजस्व की हानि के सम्बन्ध में।"

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री हेमेश खर्कवाल, श्री मयूख सिंह एवं श्री गणेश गोदियाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगीः–

"वनों को संरक्षित करना एवं सस्ते गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराना जनहित में अति आवश्यक है।"

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री हरीश धामी, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगीः–

"विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत कम ऊँचाई के क्षेत्र मृग विहार बनने से ठप्प हो रहे विकास कार्य के दृष्टिगत मृग विहार बनाने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाय।"

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत श्री मदन कौशिक, श्री राज कुमार ठुकराल, श्री महावीर सिंह, श्री चन्दन राम दास तथा श्री अजय टम्टा की कुल पांच सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इसमें से मैं श्री महावीर सिंह की सूचना जो कि जनपद टिहरी गढ़वाल के चम्बा–मसूरी फल पट्टी योजना में गवर्नमेंट एक्ट, 1895 के प्रावधानों के अन्तर्गत पट्टेधारकों को भूमि के मालिकाना हक का अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में है, को वक्तब्य के लिए स्वीकार करता हूँ। तथा माननीय सदस्य श्री चन्दन राम दास की सूचना, जोकि जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड बागेश्वर की ग्राम सभा रतमोली, आमखेत व आस–पास के गांवों में तत्काल विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार की जाती है।

नोट – [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र रूद्रपुर के 42 विभिन्न सड़क सम्पर्क मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में श्री राज कुमार ठुकराल, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

[66 रूद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में सड़क सम्पर्क मार्गों के सम्बन्ध में मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना पर स्थिति निम्नवत् है:–

क्रम सं 01 से 22 तक तथा क्रम सं0–32 व 33 में वर्णित मार्ग (कुल 24 मार्ग) लोक निर्माण विभाग के अधीन नहीं है।

क्रम सं0 23 से 28 तक एवं क्रम सं0 40 में वर्णित सम्पर्क मार्गों (कुल 7 मार्ग) पर अत्याधिक वर्षा के कारण बने पैचों को मरम्मत किये जाने हेतु दिनांक 08.10.2013 को निविदा आमंत्रित की गई है।

क्रम सं0 35 से 36 तक वर्णित सम्पर्क मार्गों (कुल 2 मार्ग) पर बने कुछ पैचों की मरम्मत करने की कार्यवाही प्रगति में है।

क्रम सं0 29, 34 पर वर्णित सम्पर्क मार्गों (कुल 2 मार्ग) को राज्य योजना के अन्तर्गत व क्रम सं0 30 पर वर्णित सम्पर्क मार्ग (कुल 1 मार्ग) के नव निर्माण हेतु आगणन गठित किये जा रहे हैं जो वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर स्वीकृत किया जाना सम्भव होगा।

क्रम सं0 31 पर वर्णित सम्पर्क मार्ग (कुल 1 मार्ग) का प्रथम भाग पूर्व में गन्ना विभाग द्वारा बनाया गया था, जो कि क्षतिग्रस्त है तथा उसका 700 मीटर का भाग लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत है, उक्त मार्ग पर भी पैच बन गये हैं। इन पैचों को मरम्मत कर ठीक कर लिया जायेगा।

क्रम सं0–37,39 व 41 में वर्णित सम्पर्क मार्ग (कुल 3 मार्ग) का आगणन दैवीय आपदा के अन्तर्गत गठित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

क्रम सं0–38 में वर्णित सम्पर्क मार्ग, (कुल 1 मार्ग) जो मानुनगर मुख्य जिला मार्ग के कि0मी0 3 से 4 में पी0सी0 द्वारा नवीनीकरण के नाम से शासन को प्राप्त हुआ है, को 13वें वित्त आयोग की कार्ययोजना 2013–14 में स्वीकृत करने की कार्यवाही की जा रही है।

नोट – [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्रम सं0–12 में (कुल 1 मार्ग) शान्ति विहार कालोनी में राज्य योजना के अन्तर्गत 100 मीटर व जिला योजना के अन्तर्गत 145 मीटर लम्बाई में स्वीकृत है। कालोनी का शेष मार्ग लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत नहीं है।]

जनपद अल्मोड़ा के सल्ट विधान सभा क्षेत्र में मछोड़ नामक स्थान पर सम्पूर्ण स्वीकृत के उपरान्त भी विद्युत सब पावर स्टेशन का निर्माण न होने के कारण व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

[33 के0वी0 उपसंस्थान मछोड़ के निर्माण के लिए माह अप्रैल, 2013 में भूमि अध्यापित कर ली गयी है। विद्युत उप संस्थान एवं सम्बन्धित 33 के0वी0 लाईन के निर्माण हेतु कार्य आवंटन किया जा चुका है। कार्यदायी संस्था (मै0 सोन इंजीनियरिंग वर्क्स, पिथौरागढ) द्वारा माह अगस्त, 2013 से 33 के0वी0 लाईन का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

उपसंस्थान का पहुँच मार्ग अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था जिसकी मरम्मत का कार्य पूर्ण होते ही उपसंस्थान का कार्य प्रारम्भ कर शीघ्र पूर्ण कर दिया जायेगा।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि यह सदन अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

अब हम राष्ट्रगान के लिए खड़े होते हैं।

राष्ट्र–गान

जन–गण–मन–अधिनायक जय हे।
भारत–भाग्य–विधाता।।
पंजाब–सिंध–गुजरात–मराठा
द्राविड़–उत्कल–बंग।
विन्ध्य–हिमाचल–यमुना–गंगा,
उच्छल–जलधि–तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन–गण–मंगलदायक जय हे,
भारत–भाग्य–विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, अनिश्चित काल के लिए।

(राष्ट्रगान के उपरान्त सदन की कार्यवाही 4 बजकर, 41 मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हुई।)

देहरादून,

दिनांकः 20 सितम्बर, 2013

जगदीश चन्द्र,
अपर सचिव,
विधान सभा, उत्तराखण्ड।

नत्थी ''क''

(देखिये तारांकित 0प्र0 संख्या–07 का उत्तर पृष्ठ संख्या–8 पर)

उत्तराखण्ड में गठित दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों का विवरण पर्वतीय क्षेत्र में विकासखण्डवार दुग्ध समिति गाँवों के नाम दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 देहरादून

क्र0सं0	विकास खण्ड	गाँवों की कुल संख्या
1	2	3
देहरादून	चकराता	14
	कालसी	14
	विकासनगर	05
	सहसपुर	03
	डोईवाल	03
	रायपुर	10
	जौनपुर थत्यूड	12
पौड़ी	कोट	09
	पौड़ी	15
	खिर्सू	25
	द्वारीखाल	30
	जयहरीखाल	02
	दुगड्डा	08
	रिखणीखाल	05
रूद्रप्रयाग	जखोली	16
	ऊखीमठ	17
	अगस्त्यमुनि	20
चमोली	कर्णप्रयाग	40
	गैरसैंण	38
	थराली	28
	दशोली	44
	घाट	02
	जोशीमठ	20
टिहरी	नरेन्द्रनगर	25
	चम्बा	14
	कीर्तिनगर	13
	देवप्रयाग	05

1	2	3
	भिलंगना	11
	जाखणीधार	40
उत्तरकाशी	भटवाड़ी	20
	चिन्यालीसौंड	34
	नौगाँव	15
	डुंडा	16
नैनीताल	भीमताल	64
	ओखलकांडा	48
	धारी	29
	रामगढ़	35
	कोटाबाग	35
	बेतालघाट	28
	हल्द्वानी	01
	रामनगर	09
अल्मोड़ा	लमगड़ा	24
	धौलादेवी	89
	द्वाराहाट	17
	स्याल्दे	01
	बागेश्वर	01
	चौखुटिया	06
	भिक्यासैंण	21
	भैसियाछाना	13
	हवालबाग	29
	ताड़ीखेत	03
	सल्ट	87
चम्पावत	चम्पावत	74
	लोहाघाट	45
	बाराकोट	17
	पाटी	43
पिथौरागढ़	विण	85
	मूनाकोट	107
	धारचूला	05
	योग	1489

नत्थी "ख"

(देखिये तारांकित प्र0 संख्या–08 का उत्तर पृष्ठ संख्या–9 पर)

राज्य गठन के पश्चात् बाल श्रमिकों के नियोजकों के विरूद्ध दायर प्राभियोजन का विवरण

क्र0 सं0	सेवायोजक (प्रतिष्ठान का नाम)	बाल श्रमिक का नाम	चिन्हिकरण की तिथि	दायर प्राभियोजन की तिथि	न्यायालय द्वारा निर्णित एवं दण्डित की धनराशि	प्रतिकर की धनराशि जो वसूल की गयी (रुपयों में)
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री रविन्द्र पाल मै0 रविन्द्र रेस्टोरेन्ट रेलवे स्टेशन के पास, रुड़की हरिद्वार	आदिल	21–11–2007	26–03–2008	मा0 सी0जे0एम0 न्यायालय में विचाराधीन	—
2.	श्री मेवालाल, मै0 शिवगंगा भोजनालय, गणेशपुर पुल, देहरादून रोड़, रुड़की हरिद्वार	अर्जुन	21–11–2007	26–03–2008	मा0 सी0जे0एम0 न्यायालय में विचाराधीन	—
3.	श्री नरेन्द्र मै0 गंगा वैली रेस्टोरेन्ट देहरादून रोड़, सिकन्दरपुर, भगवानपुर, हरिद्वार	पंकज कुमार	23–11–2007	26–03–2008	मा0 सी0जे0एम0 न्यायालय में विचाराधीन	₹ 20,000.00
4	श्री नसीर मै0 नसीर रेस्टोरेन्ट गांगलहेडी रोड़, शाहपुर, भगवानपुर, हरिद्वार	मो0 अशरफ	23–11–2007	26–03–2008	मा0 सी0जे0एम0 न्यायालय में विचाराधीन	—

1	2	3	4	5	6	7
5	श्री दिनेश कुमार जैन मै0 जैन स्वीट्स एण्ड रेस्टोरेन्ट, नेशनल हाइवे, लिब्बरहेडी, हरिद्वार	जीत बहादुर	27–11–2007	26–03–2008	मा0 न्यायालय द्वारा 10,000 दण्डित (दि0 08–08–2011)	₹ 20,000.00
6	श्री नवीन कुमार मै0 शर्मा स्वीट्स निकट ढन्डेरा, मिलापनगर, रुड़की हरिद्वार	सुलेमान	21–11–2007	26–03–2008	मा0 सी0जे0एम0 न्यायालय में विचाराधीन	—
7	श्री विकास शर्मा मै0 शर्मा स्वीट्स, औद्योगिक क्षेत्र, रामनगर, रुड़की हरिद्वार	अंकित	21–11–2007	26–03–2008	मा0 सी0जे0एम0 न्यायालय में विचाराधीन	₹ 20,000.00
8	श्री अरविन्द कुमार मै0 गणपति कुंदन स्वीट्स, सिविल लाईन रुड़की, हरिद्वार	धनलाल	22–11–2007	26–03–2008	मा0 न्यायालय द्वारा 10,000 दण्डित (दि0 23–09–2011)	—
9	श्री रामचन्द्र मै0 दिल्ली चाट हाउस, बी0टी0 गंज रुड़की, हरिद्वार	संदीप	20–11–2007	11–04–2008	मा0 न्यायालय द्वारा 10,000 दण्डित (दि0 18–11–2011)	—
10	श्री टीटू चौरसिया, मै0 महंक ढाबा हरिद्वार हाइवे, बहादराबाद, हरिद्वार	पप्पू	20–11–2007	11–04–2008	मा0 सी0जे0एम0 न्यायालय में विचाराधीन	₹ 20,000.00
11	श्री जावेद लक्खावाला मै0 सहारा चिकन सेंटर, बहादराबाद, हरिद्वार	सोहेल	29–03–2012	08–06–2012	मा0 सी0जे0एम0 न्यायालय में विचाराधीन	₹ 20,000.00

1	2	3	4	5	6	7
12	श्री वकील अहमद मै0 राजा ढाबा, सिडकुल, हरिद्वार	प्रवेश	29–03–2012	08–06–2012	मा0 सी0जे0एम0 न्यायालय में विचाराधीन	—
13	श्री वकील अहमद मै0 राजा ढाबा, सिडकुल, हरिद्वार	असीफ	29–03–2012	08–06–2012	मा0 सी0जे0एम0 न्यायालय में विचाराधीन	—
14	श्री वकील अहमद मै0 राजा ढाबा, सिडकुल, हरिद्वार	आरीष	29–03–2012	08–06–2012	मा0 सी0जे0एम0 न्यायालय में विचाराधीन	—
15	मोहम्मद महबूब, मै0 लजीज चिकन सेंटर, बहादराबाद, सिडकुल, हरिद्वार	शाहनवाज	29–03–2012	08–06–2012	मा0 सी0जे0एम0 न्यायालय में विचाराधीन	₹ 20,000.00
16	श्री अर्जुन सिंह सैनी, मै0 सैनी स्वीट्स बहादराबाद, हरिद्वार	शुभम	27–03–2012	08–06–2012	मा0 न्यायालय द्वारा 10,0000 दण्डित (दि0 03–06–2012)	₹ 20,000.00
17	मै0 दिल्ली वासी स्वीट्स एण्ड स्नैक्स, एस–307, शिवालिक नगर हरिद्वार	राजकुमार	22–02–2013	31–08–2013	मा0 सी0जे0एम0 न्यायालय में विचाराधीन	—
18	मै0 प्रेम भोज, रेलवे स्टेशन के सामने, हरिद्वार	रिंकू	22–02–2013	31–08–2013	मा0 सी0जे0एम0 न्यायालय में विचाराधीन	—
19	मै0 स्वरूप भोजनालय, रेलवे स्टेशन के सामने ज्वालापुर, हरिद्वार	संदीप	22–02–2013	31–08–2013	मा0 सी0जे0एम0 न्यायालय में विचाराधीन	—
20	मै0 अन्नपूर्णा भोजनालय, रेलवे स्टेशन के सामने हरिद्वार	आजाद	22–02–2013	31–08–2013	मा0 सी0जे0एम0 न्यायालय में विचाराधीन	—

1	2	3	4	5	6	7
21	मै0 भगता होटल, दुर्गा मार्केट रेलवे स्टेशन, ज्वालापुर, हरिद्वार	सूरज	21—06—2012	31—08—2013	मा0 सी0जे0एम0 न्यायालय में विचाराधीन	—
22	मैसर्स सबलसिंह ढाबा आशा मेडिकल स्टोर के सामने व्यासी जिला टिहरी गढ़वाल	अमित	19—06—2012	27—09—2012	मा0 सी0जे0एम0 न्यायालय में विचाराधीन	₹ 20,000.00
23	श्री रणवीर सिंह राणा मै0 राणा भोजनालय	कृष्ण सिह राणा	20—06—2012	27—09—2012	मा0 सी0जे0एम0 न्यायालय में विचाराधीन	₹ 20,000.00
24	मै0 चौहान होटल, व्यासी, टिहरी गढ़वाल	विवेक	20—06—2012	27—09—2012	मा0 सी0जे0एम0 न्यायालय में विचाराधीन	₹ 20,000.00
25	मै0 हनीहट लक्ष्मण झूला चौक, तपोवन, टिहरी गढ़वाल	संदीप भट्ट	18—06—2012	27—09—2012	मा0 सी0जे0एम0 न्यायालय में विचाराधीन	₹ 20,000.00
26	मै0 रावत रेस्टोरेन्ट, तपोवन, लक्ष्मण झूला टिहरी गढ़वाल	मिलन	18—06—2012	27—09—2012	मा0 सी0जे0एम0 न्यायालय में विचाराधीन	₹ 20,000.00
27	मै0 रीवर रैन, लक्ष्मण झूला टिहरी गढ़वाल	हेमन्त, गोपाल	18—06—2012	27—09—2012	मा0 सी0जे0एम0 न्यायालय में विचाराधीन	₹ 40,000.00
28	मै0 दिल्ली वैजिटेरियल, कैम्पटी फॉल, मसूरी, देहरादून	फिरोज खान	23—06—2012	20—02—2012	मा0 सी0जे0एम0 न्यायालय में विचाराधीन	—
29	मै0 अलकनन्दा रेस्टोरेन्ट, ऋषिकेश, देहरादून	जूम्मन	18—06—2012	20—10—2012	मा0 सी0जे0एम0 न्यायालय में विचाराधीन	—

1	2	3	4	5	6	7
30	मै0 पंजाब रेस्टोरेन्ट, मसूरी स्टेशन के सामने हरिद्वार	रमेश	22–06–2012	22–10–2012	मा0 सी0जे0एम0 न्यायालय में विचाराधीन	—
31	मै0 गुरदीप चाट, चुक्खुवाला देहरादून	सौरभ	27–08–2012	30–01–2013	मा0 सी0जे0एम0 न्यायालय में विचाराधीन	—
32	मै0 नरेन्द्र सिंह डोबाल होटल, हल्द्वानी, नैनीताल	दीपक	20–11–2007	06–10–2008	मा0 सी0जे0एम0 न्यायालय में विचाराधीन	—
33	मै0 ख्वाजा गरीब नवाज मुस्लिम होटल बरेली रोड, किच्छा	मौ0 आरिफ	17–11–2007	14–11–2011	मा0 सी0जे0एम0 न्यायालय में विचाराधीन	₹ 20,000.00
34	मै0 ओम प्रकाश चाय वाला स्टेशन रोड, काशीपुर	बबलू	14–03–2008	05–02–2009	मा0 सी0जे0एम0 न्यायालय में विचाराधीन	₹ 20,000.00
35	मै0 सैनी चिकन कॉर्नर रूद्रपुर रोड गदरपुर।	अजय विनोद	23–11–2007	27–06–2008	मा0 सी0जे0एम0	₹ 40,000.00

नत्थी "ग"

(देखिये अ0तारां0प्र0 संख्या–05 का उत्तर पृष्ठ संख्या–14 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2013 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, मा0 विधायक द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–05 का संलग्नक

1–उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड एवं नियंत्रणाधीन कार्यालयों में वर्ष 2007 के पश्चात् तैनात कार्मिकों/श्रमिकों का विवरण–

क्र0 सं0	जनपद/तैनाती स्थल	उपनल के माध्यम से तैनात श्रमिकों/कार्मिकों की संख्या	पी0आर0डी0 के माध्यम से तैनात श्रमिकों/कार्मिकों की संख्या	योग
1	2	3	4	5
1.	चमोली (जिला उद्योग केन्द्र, चमोली)	01	–	01
2.	पौड़ी (जिला उद्योग केन्द्र, कोटद्वार)	01	–	01
3.	देहरादून (उद्योग निदेशालय)	01	01	02
4.	देहरादून (उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परीषद्)	02	05	07
5.	दिल्ली (उत्तराखण्ड हस्तशिल्प परिषद् द्वारा संचालित हिमाद्री शोरूम)	02	–	02
			योग	13

1–उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोंद्योग बोर्ड/नियंत्रणाधीन कार्यालयों में वर्ष 2007 के पश्चात् तैनात कार्मिकों का विवरण–

क्र0 सं0	जनपद/तैनाती स्थल		उपनल के माध्यम से तैनात श्रमिकों/कार्मिकों की संख्या	पी0आर0डी0 के माध्यम से तैनात श्रमिकों/कार्मिकों की संख्या	योग
1	2		3	4	5
1.	चमोली (जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, चमोली)		01	01	02
2.	रूद्रप्रयाग (जिला ग्रामोउद्योग कार्यालय, रूद्रप्रयाग)		01	01	02
3.	टिहरी	जिला ग्रामोउद्योग कार्यालय, टिहरी	01	–	01
		क्षेत्रीय अधीक्षक, उद्योग, चम्बा	01	01	02
4.	हरिद्वार (जिला ग्रामोउद्योग कार्यालय हरिद्वार)		01	–	01
5.	देहरादून	(उ0खा0ग्रा0बो0 मुख्यालय)	01	01	02
		जिला ग्रामोउद्योग कार्यालय	01	01	02

1	2		3	4	5
	देहरादून	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन	–	01	01
		मा0 अध्यक्ष/मं0कै0. कार्या0 विधान सभा	–	03	03
6.	पौड़ी	जिला ग्रामोउद्योग कार्यालय, पौड़ी	01	01	02
		क्षेत्रीय अधीक्षक, उद्योग ऊन, श्रीनगर	01	–	01
7.	उत्तरकाशी	जिला ग्रामोउद्योग कार्यालय, उत्तरकाशी	01	01	02
8.	अल्मोड़ा	जिला ग्रामोउद्योग कार्यालय, अल्मोड़ा	01	–	01
		क्षेत्रीय अधीक्षक, उद्योग (ऊन) अल्मोड़ा	–	01	01
9.	पिथौरागढ़	उत्पादन केन्द्र गाठी, धारचूला	–	01	01
10.	बागेश्वर	उत्पादन केन्द्र कपकोट	–	01	01
				कुल योग	25

नत्थी ''घ''

(देखिये अ0तारां0प्र0 संख्या–07 का उत्तर पृष्ठ संख्या–15 पर)

नगर निकायवार अवमुक्त धनराशि का विवरण

क्र0 सं0	निकाय का नाम	अवस्थापना सुविधा हेतु वर्ष 2007 से 2012 तक अवमुक्त धनराशि	विकसित की गयी अवस्थापना सुविधाओं का विवरण
1	2	3	4
1.	नगर निगम, देहरादून	कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है।	सूचना शून्य है।
2.	नगर पालिका परिषद्, विकासनगर	2008–09 रु0 157.73 लाख 2009–10 रु0 51.27 लाख	पालिका कार्यालय भवन, टाउन हाल, पुस्तकालय भवन, 28 फिट रोड पर शॉपिंग काम्पलैक्स।
3.	नगर पालिका परिषद्, मसूरी	2005–06 रु0 66.90 लाख 2005–06 रु0 594.41 लाख 2006–07 रु0 317.85 लाख	लण्डौर साउथ रोड का चौड़ीकरण तथा टिहरी बस स्टैण्ड से सड़क का रख–रखाव। मसूरी शहर में विकास कार्य हेतु। मसूरी शहर में 14 विकास कार्य हेतु।
4.	नगर पालिका परिषद्, ऋषिकेश	2007–08 रु0 59.30 लाख 2008–09 रु0 17.70 लाख	पालिका सीमान्तर्गत सड़क एवं शौचालय निर्माण का कार्य।
5.	नगर पंचायत, हरबर्टपुर	2011–12 रु0 54.83 लाख	पथ प्रकाश एवं सफाई उपकरण।
6.	नगर पंचायत, डोईवाला	2006–07 रु0 87.87 लाख	टाईल्स रोड का निर्माण, पुलिया निर्माण गली निर्माण एवं सामुदायिक केन्द्र का निर्माण।
7.	नगर निगम, हरिद्वार	2007–08 रु0 80.00 लाख	शहर में टाईल्स द्वारा सड़क पटरी का निर्माण।
8.	नगर निगम, रुड़की	2006–07 रु0 106.00 लाख 2007–08 रु0 105.00 लाख	सामुदायिक केन्द्र का निर्माण, टाउन हॉल का सौन्दर्यीकरण तथा नगर की 12 सड़कों को हाट मिक्स प्लांट से बनवाया गया।
9.	नगर पालिका परिषद्, मंगलौर	कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है।	सूचना शून्य है।

1	2	3	4
10.	नगर पंचायत, झबरेडा	कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है।	सूचना शून्य है।
11.	नगर पंचायत, लक्सर	2007—12 रु0 90.56 लाख	आदर्श कॉलोनी में बारातघर निर्माण एवं बसेडी रोड़ से मुख्य बाजार धर्मशाला की ओर नाला निर्माण।
12.	नगर पंचायत, लण्ढौरा	2007—09 रु0 71.42 लाख	सामुदायिक भवन एवं सी0सी0 मार्ग निर्माण कराया गया है।
13.	नगर पालिका परिषद्, उत्तरकाशी	कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है।	सूचना शून्य है।
14.	नगर पंचायत, बडकोट	कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है।	सूचना शून्य है।
15.	नगर पंचायत, गंगोत्री	कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है।	सूचना शून्य है।
16.	नगर पंचायत, पुरोला	कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है।	सूचना शून्य है।
17.	नगर पंचायत, चिन्यालीसौड़	कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है।	सूचना शून्य है।
18.	नगर पालिका परिषद्, चमोली—गोपेश्वर	2009—11 रु0 39.55 लाख	गोपेश्वर में बस अड्डे का निर्माण, क्षेत्रपाल में स्नानघाट निर्माण।
19.	नगर पालिका परिषद्, जोशीमठ	2008—09 रु0 1.00 लाख 2009—10 रु0 1.80 लाख	जोशीमठ में बहुमंजिला पार्किंग स्थल का निर्माण।
20.	नगर पंचायत, बद्रीनाथ	कोई धनराशि अवमुक्त नहीं नहीं की गई है।	सूचना शून्य है।
21.	नगर पंचायत, नन्दप्रयाग	2006—2007 रु0 40.30 लाख	मुनियाली में सामुदायिक भवन निर्माण नन्दप्रयाग नगर पंचायत कार्यालय का निर्माण, नन्दप्रयाग में टैक्सी स्टैण्ड का निर्माण एवं नन्दप्रयाग में बद्रीनाथ मुख्य मार्ग के ऊपर नन्दप्रयाग तक पहुँच मार्ग।
22.	नगर पंचायत, गौचर	कोई धनराशि अवमुक्त नहीं नहीं की गई है।	सूचना शून्य है।

1	2	3	4
23.	नगर पंचायत, कर्णप्रयाग	2009–10 रु0 24.17 लाख 2011–12 रु0 17.01 लाख	अपर बाजार में पार्किंग स्थल का निर्माण। अपर बाजार में पार्किंग स्थल का निर्माण।
24.	नगर पंचायत, पोखरी	कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है।	सूचना शून्य है।
25.	नगर पंचायत, गैरसैंण	कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है।	सूचना शून्य है।
26.	नगर पालिका परिषद्, टिहरी	2009–10 रु0 20.96 लाख	बौराड़ी बस अड्डे के पक्कीकरण का कार्य (कार्य न होने के कारण सम्पूर्ण धनराशि शासन को समर्पित)।
27.	नगर पालिका परिषद्, नरेन्द्रनगर	2007–2012 रु0 19.38 लाख	शॉपिंग कॉम्पलेक्स का निर्माण।
28.	नगर पंचायत, चम्बा	कोई धनराशि अवमुक्त नहीं नहीं की गई है।	सूचना शून्य है।
29.	नगर पंचायत, कीर्तिनगर	2008–10 रु0 71.79 लाख 2011–12 रु0 30.00 लाख	बहुउद्देशीय भवन निर्माण हेतु दो मंजिला कार पार्किंग निर्माण हेतु। दो मंजिला कार पार्किंग के अवशेष निर्माण हेतु।
30.	नगर पंचायत, देवप्रयाग	2007 रु0 36.00 लाख	देवप्रयाग शान्ति बाजार बद्रीकेदार मन्दिर धर्मशाला के समीप बहुउद्देशीय भवन /रैन बसेरे का निर्माण, पब्लिक लाईब्रेरी का निर्माण, मार्ग का सुधारीकरण व पेवर्स, सड़क मरम्मत कार्य, बारातघर निर्माण एवं मां भुवनेश्वरी देवी मन्दिर जाने वाले मार्ग निर्माण।
31.	नगर पंचायत, मुनीकीरेती	2007–08 रु0 285.83 लाख 2011–12 रु0 70.17 लाख	बहुगुणा पार्क का सौन्दर्यीकरण, रामझुला के पास दीनदयाल पार्क का विस्तार, सुमन पार्क का सौन्दर्यीकरण, इन्दिरा प्रियदर्शनी पार्क सौन्दर्यीकरण, गंगा रिर्सोर्ट के समीप पार्क का सौन्दर्यीकरण, मुनिकीरेती में कॉमर्सियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण, कार्यालय भवन का निर्माण, सामुदायिक भवन का निर्माण एवं वन भूमि पर पार्किंग का निर्माण।

1	2	3	4
32.	नगर पालिका परिषद्, रूद्रप्रयाग	कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है।	सूचना शून्य है।
33.	नगर पंचायत, केदारनाथ	कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है।	सूचना शून्य है।
34.	नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि	कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है।	सूचना शून्य है।
35.	नगर पंचायत, ऊखीमठ	कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है।	सूचना शून्य है।
36.	नगर पालिका परिषद्, पौड़ी	कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है।	सूचना शून्य है।
37.	नगर पालिका परिषद्, श्रीनगर	2009–10 रु0 94.48 लाख	बद्रीनाथ मार्ग से कमलेश्वर मन्दिर केशोरायमठ जाने वाली सड़क एवं नाली, पौड़ी बस स्टेशन से अल्केश्वर घाट तक मार्ग एवं नाली निर्माण, हनुमान मन्दिर से अलकनन्दा घाट तक मार्ग एवं नाली निर्माण एवं खाद्य गोदाम से श्रीयंत्र टापू तक मार्ग निर्माण।
		2011–12 रु0 5.00 लाख	स्नानघाट का निर्माण किया गया।
38.	नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक	कोई धनराशि अवमुक्त नहीं नहीं की गई है।	सूचना शून्य है।
39.	नगर पालिका परिषद्, दुगड्डा	2007–12 रु0 6.55 लाख	धनीराम बाजार दुगड्डा में आवासीय भवन का निर्माण कराया गया।
40.	नगर पालिका परिषद्, कोटद्वार	2007–12 रु0 22.80 लाख	नाले के निर्माण का कार्य।
41.	नगर पालिका परिषद्, पिथौरागढ़	2008–2009 रु0 325.74 लाख	21 टाइल्स युक्त सड़क एवं नाली निर्माण कार्य तथा कार पार्किंग कार्य।
		2011–12 रु0 87 .04 लाख	चन्द्रभागा में शवदाह निर्माण कार्य, सांस्कृतिक रंगायन मंच टकाना, सांस्कृतिक रंगायन मंच, निकट नगरपालिका, संस्कृतिक रंगायन मंच, देवसिंह फिल्ड, सिल्थाम, में टूरिस्ट लॉज एवं स्लाउटर हाउस निर्माण कार्य।
42.	नगर पंचायत, धारचूला	2008–09 रु0 100.00 लाख 2009–10 रु0 77.51 लाख	टैक्सी स्टैण्ड हेतु सुरक्षा दीवार एवं पहुँच मार्ग हेतु।

1	2	3	4
43.	नगर पंचायत, डीडीहाट	2009– रु0 23.62 लाख 2010– रु0 30.00 लाख	17 दुकानों का निर्माण किया गया। दुकान, पार्किंग स्थल एवं बारातघर का निर्माण किया जा रहा है।
44.	नगर पंचायत, गंगोलीहाट	कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है।	सूचना शून्य है।
45.	नगर पालिका परिषद्, टकनपुर	2007–08 रु0 2.50 लाख 2009–10 रु0 17.16 लाख	कार्यालय भवन का निर्माण कार्य।
46.	नगर पालिका परिषद्, चम्पावत	कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है।	सूचना शून्य है।
47.	नगर पंचायत, लोहाघाट	कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है।	सूचना शून्य है।
48.	नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा	2008–09 रु0 57.41 लाख 2011–12 रु0 63.41 लाख	चिल्ड्रन पार्क, कार्यालय भवन में द्वितीय तल भवन निर्माण एवं जी0आई0सी0 के पास पार्किंग निर्माण अवस्थापना सुविधाएं विकसित किये गये है।
49.	नगर पंचायत, द्वाराहाट	2007–08 रु0 61.88 लाख	नगरीय क्षेत्र में निर्माण कार्य/टायल्स सौन्दर्यकरण कार्य।
50.	नगर पालिका परिषद्, बागेश्वर	2007–2010 रु0 50.00 लाख	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा पार्किंग एवं शॉपिंग कॉम्पलैक्स का निर्माण।
51.	नगर पंचायत, कपकोट	कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है।	सूचना शून्य है।
52.	नगर पालिका परिषद्, नैनीताल	2007–08 रु0 20.00 लाख 2008–09 रु0 62.43 लाख	ट्रचिंग ग्राउण्ड में कूड़ा निरस्तारण हेतु रिटेनिंग वॉल का निर्माण एवं विद्युत उपकरण क्रय किये जाने हेतु।
53.	नगर पालिका परिषद्, रामनगर	2007–08 रु0 120.00 लाख 2008–09 रु9 23.14 लाख	मिनी ट्रान्सपोर्टनगर के निर्माण हेतु। मिनी ट्रान्सपोर्टनगर के निर्माण हेतु।
54.	नगर पालिका परिषद्, भवाली	2007–08 रु0 80.00 लाख 2009–10 रु0 44.22 लाख	पार्कों का सौन्दर्यीकरण। कार्यालय शॉपिंग कॉम्पलेक्स, पार्कों का सौन्दर्यीकरण।
55.	नगर निगम, हल्द्वानी	2010–11 रु0 39.02 लाख 2011–12 रु0 50.00 लाख	पार्क सोन्दर्यीकरण। पालिका भवन निर्माण।
56.	नगर पंचायत, कालाढुंगी	कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है।	सूचना शून्य है।

1	2	3	4
57.	नगर पंचायत, लालकुँआ	कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है।	सूचना शून्य है।
58.	नगर पंचायत, भीमताल	कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है।	सूचना शून्य है।
59.	नगर पालिका परिषद्, गदरपुर	कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है।	सूचना शून्य है।
60.	नगर पालिका परिषद्, जसपुर	कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है।	सूचना शून्य है।
61.	नगर निगम, काशीपुर	कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है।	सूचना शून्य है।
62.	नगर पालिका परिषद्, बाजपुर	कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है।	सूचना शून्य है।
63.	नगर निगम, रूद्रपुर	2007–08 रु0 201.88 लाख	इन्टरलौक टाईल्स द्वारा सड़कों का निर्माण व नाला निर्माण।
64.	नगर पालिका परिषद्, किच्छा	कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है।	सूचना शून्य है।
65.	नगर पालिका परिषद्, सितारगंज	कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है।	सूचना शून्य है।
66.	नगर पालिका परिषद्, खटीमा	2008–09 रु0 30.00 लाख 2009–10 रु0 19.55 लाख	शमशान घाट सौन्दर्यकरण, सैड बाथरूम, गेट निर्माण एवं भैंसा वधशाला निर्माण।
67.	नगर पंचायत, महुवाडावरा	कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है।	सूचना शून्य है।
68.	नगर पंचायत, महुआखेडागंज	कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है।	सूचना शून्य है।
69.	नगर पंचायत, सुल्तानपुर	2008–09 रु0 100.00 लाख	शॉपिंग कॉम्पलेक्स, दुकान, आवास का निर्माण।
70.	नगर पंचायत, केलाखेडा	कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है।	सूचना शून्य है।
71.	नगर पंचायत, दिनेशपुर	2008–09 रु0 194.00 लाख	सड़क नाली निर्माण एवं जनमिलन केन्द्र निर्माण।
72.	नगर पंचायत, शक्तिगढ़	कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है।	सूचना शून्य है।

नत्थी "ङ"

(देखिये अ0तारां0प्र0 संख्या–12 का उत्तर पृष्ठ संख्या–17 पर)

संलग्नक

विधान सभा द्वितीय सत्र 2013 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–12 के सम्बन्ध में जनपदवार ठेकेदारी के आधार पर श्रमिकों व कर्मचारियों का विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	कार्मिकों की संख्या	कम्पनी/ठेकेदार का नाम
1	2	3	4	5
1.	देहरादून	नगर निगम, देहरादून	01 (हैड गार्ड)	जी0 4एस सिक्यूरिटी
			05 गार्ड	
			07 सिक्यूरिटी गार्ड	जेड सिक्यूटिरी सर्विस
		नगर पंचायत डोईवाला	01 (कम्प्यूटर ऑपरेटर)	दि साफ्ट्रोनिक्स कम्प्यूटर ऐजुकेशन डोईवाला
			01 (विद्युत लाइमैन)	मोहन इलैक्ट्रिकल्स डोईवाला
2.	हरिद्वार	नगर निगम रुड़की	05	अर्थ सिक्यूरिटी सर्विस प्रा0लि0
			16	मौ0 इकराम खान
			12	मै0 उत्तरांचल कंस्ट्रक्शन कम्पनी
			32	श्री अहसान अहमद
			32	श्री ओम पाल शर्मा
			39	श्री तहसील अहमद
		नगर पालिका परिषद् मंगलौर	16	मौ0 फजल इलाही
			80	शकील अहमद
		नगर पंचायत लण्ढौरा	01 कम्प्यूटर ऑपरेटर	
			05 सफाई कर्मचारी	
		नगर पंचायत झबरेड़ा	06 सफाई कर्मचारी	श्री राकेश कुमार
3.	ऊधमसिंह नगर	नगर पालिका परिषद्, किच्छा	128	

1	2	3	4	5
		नगर निगम, काशीपुर	02 कम्प्यूटर ऑफरेटर	मैसर्स नीरज कुमार अग्रवाल काशीपुर
			02 प्लम्बर	
			03 लेखनकर्मी कर विभाग 02 कम्प्यूटर ऑपरेटर	मैसर्स बी0एस0इंजी0 वर्क्स काशीपुर
			01 माली	
			03 ड्राईवर	
			01 लाइनमैन	
			02 लाईट कुली	
			45 सफाई मजदूर	
		नगर पालिका परिषद्, जसपुर	07 सफाई कर्मी	श्री प्रताप सिंह ठेकेदार
			01 सीढ़ी वाला	
			08 सफाई कर्मी	श्री हरीश अहमद ठेकेदार
		नगर पालिका परिषद्, गदरपुर	16 सफाई कर्मचारी	श्री गौहर अली ठेकेदार
		नगर पंचायत, महुआडाबरा	09 सफाई कर्मी	
			01 लाईट मजदूर	
		नगर पंचायत, केलाखेड़ा	04	साईनाथ इण्टरप्राइजेज काशीपुर
		नगर पंचायत, महुआखेड़ागंज	01 ड्राईवर	मैसर्स साईनाथ इण्टर प्राइजेज, महेशपुरा काशीपुर
			07 सफाई मजदूर	
4.	नैनीताल	नगर पालिका परिषद्, रामनगर	06	श्री संजय कुमार ठेकेदार
			06	श्री अमीर अहमद
			03	श्री ओमप्रकाश आर्यवंशी
		नगर पालिका, परिषद्, नैनीताल	01 ड्राईवर	श्री भूपाल सिंह मेहरा, ठेकेदार
			17 श्रमिक	
			01 कम्प्यूटर ऑपरेटर	मै0 ग्लोबल कम्प्यूटर सोसायटी, सर्विस प्रोवाइडर/मैन पॉवर एजेंसी
			02 कम्प्यूटर ऑपरेटर	मै0 ग्लोबल कम्प्यूटर सोसायटी।

नत्थी ''च''

(देखिये अ0तारां0प्र0 संख्या–14 का उत्तर पृष्ठ संख्या–18–19 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2013 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित मा0 सदस्य, विधान सभा, श्री नवप्रभात जी द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0 14 का संलग्नक

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

(धनराशि करोड़ में)

परियोजना का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल स्वीकृत धनराशि	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय
1	2	3	4	5
देहरादून वाटर सप्लाई रिऑर्गनाईजेशन	पेयजल निगम, देहरादून	70.03	63.03	63.00
हरिद्वार वाटर सप्लाई रिऑर्गनाईजेशन	पेयजल निगम, हरिद्वार	70.81	70.81	70.80
नैनीताल वाटर सप्लाई रिऑर्गनाईजेशन	पेयजल निगम, नैनीताल	5.47	4.92	4.00
देहरादून सीवरेज सिस्टम	पेयजल निगम, देहरादून	54.65	46.31	45.80
देहरादून सीवरेज सिस्टम फेस–2	पेयजल निगम, देहरादून	63.83	52.76	53.01
हरिद्वार सीवरेज (लाल मन्दिर एवं कनखल एरिया)	पेयजल निगम, हरिद्वार	26.98	10.80	10.79
हरिद्वार सीवरेज (पी0डब्लू0डी0 कॉलोनी क्षेत्र	पेयजल निगम, हरिद्वार	7.48	2.99	2.99
नैनीताल सीवरेज सिस्टम	पेजयल निगम, नैनीताल	19.6	13.15	12.15
16 तिराहों, चौराहों / मार्गों के सुधार देहरादून	पी0डब्लू0डी0, देहरादून	27.90	19.85	19.85
12 तिराहों, चौराहों / मार्गों के सुधार हरिद्वार	पी0डब्लू0डी0, हरिद्वार	17.67	11.46	11.46
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट देहरादून	नगर निगम, देहरादून	24.6	9.86	9.16
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हरिद्वार	नगर निगम, हरिद्वार	16.72	4.18	3.08
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट	नगर पालिका परिषद्, नैनीताल	9.31	2.33	2.15
सिटी बस सर्विस देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार	उत्तराखण्ड, परिवहन निगम	18.77	16.90	16.90

1	2	3	4	5
नैनीताल में राजभवन का जीर्णोद्धार	पी0डब्लू0डी0 नैनीताल	11.83	2.95	2.08
मसूरी सीवरेज सिस्टम	पेयजल निगम, मसूरी	61.73	35.87	31.07
आवास निर्माण–रामनगर मलिन बस्ती, देहरादून	नगर निगम, देहरादून	11.60	2.90	2.52
आवास निर्माण–निरंजपुर, ब्रहमपुरी, फेज–1 देहरादून	नगर निगम, देहरादून	11.15	2.78	1.37
आवास निर्माण–निरंजपुर, ब्रहमपुरी, फेज–2 देहरादून	नगर निगम, देहरादून	16.67	4.17	0.75
राम मन्दिर कुष्ठ आश्रम, देहरादून	नगर निगम, देहरादून	1.64	1.12	1.12
शान्ति कुष्ठ रोग आश्रम, देहरादून	नगर निगम, देहरादून	1.37	1.03	0.75
रोटरी कुष्ठ रोग आश्रम, देहरादून	नगर निगम, देहरादून	1.63	0.82	0.82
चकशाह नगर, देहरादून	नगर निगम, देहरादून	1.60	2.15	0.00
काठ बंगला, देहरादून	नगर निगम, देहरादून	6.23	1.55	1.55
खाला बस्ती, देहरादून	नगर निगम, देहरादून	3.73	0.93	0.00
पाण्डेवाला, हरिद्वार	नगर निगम, देहरादून	4.34	4.34	3.44
दुर्गापुर, नैनीताल	नगर निगम, देहरादून	9.30	2.33	2.33
एकीकृत आवास निर्माण परियोजना, श्रीनगर	नगर पालिका परिषद्, श्रीनगर	1.33	1.29	0.54
एकीकृत आवास निर्माण परियोजना, पौड़ी	नगर पालिका परिषद्, पौड़ी	4.52	4.41	1.80
एकीकृत आवास निर्माण परियोजना, महुआडाबरा	नगर पंचायत, महुआडाबरा	9.25	3.71	3.71
एकीकृत आवास निर्माण परियोजना, महुआखेड़ागंज	नगर पंचायत, महुआखेड़ागंज	11.87	4.77	4.77
एकीकृत आवास निर्माण परियोजना, दिनेशपुर	नगर पंचायत, दिनेशपुर	11.78	4.73	4.73
एकीकृत आवास निर्माण परियोजना, काशीपुर	नगर पालिका परिषद्, काशीपुर	11.96	4.80	4.80
एकीकृत आवास निर्माण परियोजना, लालकुँआ	नगर पंचायत, लालकुँआ	3.59	2.24	1.48
एकीकृत आवास निर्माण परियोजना, पिथौरागढ़	नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़	10.96	8.81	4.41

1	2	3	4	5
एकीकृत आवास निर्माण परियोजना, कालाढूँगी	नगर पंचायत, कालाढूँगी	10.48	8.42	4.20
एकीकृत आवास निर्माण परियोजना, किच्छा	नगर पालिका परिषद्, किच्छा	5.63	3.67	2.26
एकीकृत आवास निर्माण परियोजना, चम्पावत	नगर पंचायत, चम्पावत	3.81	3.06	1.51
एकीकृत आवास निर्माण परियोजना, मसूरी	नगर पलिका परिषद्, मसूरी	5.10	2.08	2.08
एकीकृत आवास निर्माण परियोजना, अल्मोड़ा	नगर पलिका परिषद्, अल्मोड़ा	8.33	3.34	2.77
एकीकृत आवास निर्माण परियोजना, जसपुर (फेस–1)	नगर पलिका परिषद्, जसपुर	6.30	3.92	2.61
एकीकृत आवास निर्माण परियोजना, जसपुर (फेस–2)	नगर पलिका परिषद्, जसपुर	1.57	1.34	0.62
एकीकृत आवास निर्माण परियोजना, लण्ढौरा (फेस–1)	नगर पंचायत, लण्ढौरा	10.10	5.78	4.00
एकीकृत आवास निर्माण परियोजना, लण्ढौरा (फेस–2)	नगर पंचायत, लण्ढौरा	2.58	1.89	1.04
एकीकृत आवास निर्माण परियोजना, हल्द्वानी	नगर पालिका परिषद्, हल्द्वानी	13.47	6.68	3.34
एकीकृत आवास निर्माण परियोजना, हल्द्वानी–काठगोदाम	नगर पालिका परिषद्, हल्द्वानी	11.85	5.83	3.03
एकीकृत आवास निर्माण परियोजना, विकासनगर	नगर पालिका परिषद्, विकासनगर	3.34	3.12	1.66
एकीकृत आवास निर्माण परियोजना, मंगलौर	नगर पालिका परिषद्, मंगलौर	13.45	5.58	5.58
एकीकृत आवास निर्माण परियोजना, रूद्रपुर	नगर पालिका परिषद्, रूद्रपुर	16.27	7.68	0
	योग	759.83	489.41	434.17

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 04 विधानसभा/248–18–10–2014–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।